अक्टूबर-दिसंबर अंक : 89 2016
October-Decembar
ISSN : 0976-0024

महिला
Mahila

विधि भारती
Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) शोध पत्रिका
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

(केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंशिक अनुदान से प्रकशित)

मुख्य संपादक
सन्तोष खन्ना

पत्रिका में व्यक्त विचारों से सम्पादक/परिषद् की सहमति आवश्यक नहीं है।

व्यक्तियों के लिए		संस्थाओं के लिए
मूल्य 100/- रुपए	डाक ख़र्च अलग	वार्षिक मूल्य 500/- रुपए
वार्षिक मूल्य 450/- रुपए	**वर्ष 23**	आजीवन संस्था सदस्य 20,000/- रुपए
आजीवन सदस्य 4000/- रुपए	**अंक 89**	Citation No. MVB-23/2016

विधि भारती परिषद्
बी.एच./48 (पूर्वी) शालीमार बाग
दिल्ली-110088 (भारत)
मोबाइल : 09899651872, 09899651272
फ़ोन : 011-27491549, 011-45579335
E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com

'महिला विधि भारती'

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) विधि-शोध त्रैमासिक पत्रिका

अंक : 89 (अक्टूबर-दिसंबर, 2016)

मुख्य संपादक : सन्तोष खन्ना

परिषद की कार्यकारिणी

संरक्षक : डॉ. राजीव खन्ना

1. डॉ. सुभाष कश्यप (अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद (उपाध्यक्ष)
3. श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव)
4. श्रीमती मंजू चौधरी (कोषाध्यक्ष)
5. श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव (सदस्य)
6. डॉ. आशु खन्ना (सदस्य)
7. श्री अनिल गोयल (सदस्य)
8. डॉ. पूरनचंद टंडन (सदस्य)
9. श्री जी.आर. गुप्ता (सदस्य)
10. डॉ. उषा टंडन (सदस्य)
11. डॉ. सूरत सिंह (सदस्य)
12. डॉ. के.एस. भट्टी (सदस्य)
13. डॉ. शकुंतला कालरा (सदस्य)
14. डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम (सदस्य)
15. डॉ. उमाकांत खुबालकर (सदस्य)

प्रदेश प्रभारी

1. प्रो. देवदत्त शर्मा (उत्तर प्रदेश) 09236003140
2. प्रो. (डॉ.) सुरेंद्र यादव (राजस्थान) 09414442947

परामर्श मंडल

1. श्री एस.पी. सबरवाल
2. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह
3. प्रो. (डॉ.) एल.आर. सिंह
4. डॉ. उषा देव
5. प्रो. के.पी.एस. महलवार
6. श्री हरनाम दास टक्कर
7. श्री वी.पी. कालरा

विधि भारती परिषद्

बी.एच./48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088 (भारत)

फ़ोन : 011-27491549, 011-45579335, **मोबाइल :** 09899651872, 09899651272

E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail.com

अंक 89 में

1. संपादकीय / **सन्तोष खन्ना** -- 231
2. एक ओर सर्जिकल स्ट्राइक / **सन्तोष खन्ना** -- 233
2. जम्मू कश्मीर की समस्या एवं संयुक्त राष्ट्र संघ / **डॉ. भगवानदास अहिरवार** -- 237
3. महिलाओं के हित में है समान सिविल संहिता / **डॉ. निरुपम अशोक** -- 246
4. किशोर न्याय क़ानून में संशोधन और महिला सुरक्षा / **श्रीमती कालिंद्री** -- 250
5. गलत जानकारी से चुनाव रद्द : उच्चतम न्यायालय / **रेनू** -- 254
6. Study of Key Provisions of the Competition Act 2002 / **Anjay Kumar** -- 255
7. भारत में सूचना का अधिकार : लोकतंत्र की ताक़त के रूप में / **राजेंद्र** -- 266
8. प्यार की बातें करें (कविता) / **डॉ. योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरूण'** -- 270
9. अनुच्छेद 370 : विशेष दर्ज़े की अलगाववादी मानसिकता / **रिंकू गंगवानी** -- 271
10. माँगती हूँ जवाब (कविता) / **डॉ. निशा केवलिया शर्मा** -- 276
11. I was Sexually harassed in the Corridors of the Supreme Court / **Indira Jai Singh** -- 278
12. महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा / **संतोष बंसल** -- 281
13. Maternity Benefits For Women Workers : A Constitutional and Legal Right / **Dr. Sonu** -- 291
14. हिंदी ब्लॉगिंग और महिला सरोकार / **डॉ. शिखा कौशिक** -- 297
15. लहू का रंग (कहानी) / **सन्तोष खन्ना** -- 303
16. महाराष्ट्र की महिलाओं के सामाजिक सरोकार / **उमाकांत खुबालकर** -- 310
17. यौनकर्मी महिलाओं के साक्षात्कार / **डॉ. विभा नायक** -- 313

लेखक मंडल

डॉ. भगवानदास अहिरवार : प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

डॉ. निरुपम अशोक : प्राचार्य, भगवानदीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश

श्रीमती कालिंद्री : असिस्टेंट प्रोफेसर (विधि), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

रेनू : के-292, शकूरपुर, आनंद वास, दिल्ली-110034

Anjay Kumar : Assistant Professor, Law Centre-II, Faculty of Law, University of Delhi, Delhi

राजेंद्र : असिस्टेंट प्रोफेसर, दयानंद कालेज ऑफ लॉ, कानपुर, **मोबाइल :** 9452451124

डॉ. योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरूण' : पूर्व आचार्य, 74/3, न्यू नेहरू नगर, रूड़की-274667

रिंकू गंगवानी : अतिथि व्याख्याता, विधि महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) **E-mail :** gangwanirinku11@gmail.com

डॉ. निशा केवलिया शर्मा : एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ लॉ, आई.पी.एस.एकेडमी, इंदौर **E-mail :** nishakevaliya44@gmail.com, nagar.bharat@gmail.com

Indira Jai Singh : Senior Lawyer, Supreme Court of India, New Dehi

संतोष बसंल : साहित्यकार, ए-1/17, मियां वाली नगर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

Dr. Sonu : Assistant Professor, Faculty of Law, M.D. University, Rohtak

डॉ. शिखा कौशिक : डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी) बुढ़ाना, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश

सन्तोष खन्ना : मुख्य संपादक, 'महिला विधि भारती' त्रैमासिक पत्रिका

उमाकांत खुबालकर : 33/11, नोवा, अशोक रोड, शिप्रा सन् सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 201014, **मोबाइल :** 9868151357

डॉ. विभा नायक : असिस्टेंट प्रोफसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

भारत में 8 नवंबर, 2016 को अर्थ जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस दिन प्रधान मंत्री श्री मोदी ने देश की आम जनता की तकदीर बदलने के लिए नोटबंदी का ऐसा फैसला लिया जिससे अर्थ-व्यवस्था को अंदर ही अंदर घुन की तरह नुकसान पहुँचाने वाले काले धन पर लगाम लगाई जा सके। काले धन का अर्थ है वह धन जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता। अगर देश में इस्तेमाल हो रहे अधिकांश धन पर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाए तो सरकार संसाधनों की कमी की वजह से जनता को वांछित सुविधाएँ देने से ले कर देश का विकास तक नहीं कर सकती। अपनी कमाई पर टैक्स न देने वाले इस बात से वाकिफ हैं कि वह टैक्स न दे कर आम आदमी के हक को मार रहे हैं, इसी कारण अमीर और गरीब में खाई बढ़ती जाती है। ऐसे वर्ग पैसे की जमाखोरी करते रहते हैं, प्रायः न तो वह उसका प्रयोग करते हैं और न उसे दूसरों को करने देते हैं, जबकि एक सशक्त अर्थ-व्यवस्था का अर्थ है कि पैसा सर्कुलेशन में रहना चाहिए। किंतु जब व्यवस्था में काला धन बहुतायत में आ जाता है तो नदी की बाधित धार की तरह वह हानिकारक हो जाता है।

मोदी सरकार के 500-1000 की नोटबंदी से एक प्रकार के ही काले धन पर अंकुश नहीं लगा है बल्कि भारत की अर्थ-व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने के लिए वर्षों से पाकिस्तान से आ रहे नकली नोटों का चलन भी बंद हो गया है, इसी तरह आतंकवादियों, मादक द्रव एवं हवाला का पैसा भी बेकार हो गया है। काला कारोबार करने वालों पर इसका सब से अधिक प्रभाव पड़ेगा। सर्वविदित है कि भारत में चुनावों में भुजबल और काले धन का बोलबाला रहता है, ज़ाहिर है निकट भविष्य में पाँच राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए प्रयुक्त होने वाला काला धन रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक भी नहीं रहा, शायद इसीलिए देश के तमाम राजनीतिक दल बौखला कर प्रधान मंत्री के इस महत्त्वपूर्ण कदम का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करने पर उतारू हो गए हैं, बेशक वह जनता का नाम ले-ले कर आठ-आठ आँसू बहाते देखे जा रहे हैं, परंतु विरोध करने का क्या केवल यही उद्देश्य है?

आम जनता ने तो प्रधान मंत्री के इतने बड़े उठाए गए इस कदम का आमतौर पर स्वागत किया है और प्रायः जनता कह रही है कि वह कुछ दिनों की तकलीफ उठाने के लिए तैयार है। प्रधान मंत्री मोदी ने भी लोगों से कहा है कि पचास दिन की बात है स्थितियाँ धीरे-धीरे ठीक होती जाएँगी। यह ठीक है कि इस कदम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ रही हैं, फैसले के आने के एक सप्ताह

बाद भी देशके सभी बैंकों में अभी भी लंबी-लंबी कतारें लगी हैं। वैसे सरकार कोशिश कर रही है कि हर बैंक और हर ए.टी.एम. को सुचारू रूप से चलाया जा सके, परंतु अर्थ-व्यवस्था को स्वच्छ करने के इस महा-अभियान में कुछ समस्याएँ आना अप्रत्याशित नहीं है। सभी बैंक कर्मी दिन-रात काम कर रहे हैं। इस महा यज्ञ में उनकी आहूति को भी हमेशा देश याद रखेगा। बीच-बीच में पुराने नोटों के चलन की समय सीमा भी बढ़ाई जा रही है। लोग बार-बार लाईन में न लगे, वोट की तरह हाथ में स्याही लगाने की व्यवस्था का लंबी कतारों पर भी अंकुश लगाने का प्रबंध किया जा रही है।

कई लोग इस बात का रोना रो रहे हैं कि प्रधान मंत्री ने इस कदम को इतना अचानक उठाया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। परंतु लोग भूल गए कि देश से भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए प्रधान मंत्री सतत् सक्रिय हैं। सब से पहले उन्होंने 'जन-धन योजना' के अंतर्गत करोड़ों गरीब लोगों का बैंकों में खाता खुलवाया ताकि काले धन पर रोक लगने पर उनकी पहुँच बैंकों तक बनी रहे। उन्होंने 'आय डिस्क्लोज़र योजना' चलाई और काले धन वालों को बार-बार चेताया कि वह अपनी अघोषित आय को 30 दिसंबर, 2016 तक घोषित कर दें, उन्हें उसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। उनकी यह योजना भी सफल रही और इस योजना के अंतर्गत करोड़ों की धनराशि सरकारी खजाने में आई है। परंतु देश में काले धन का इतना अधिक पसारा है कि उसके लिए सतत् कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधान मंत्री ने नोटबंदी के इस कदम में भी काले धन वालों के लिए अपना काला धन सफेद करने का रास्ता खुला रखा है वह अब भी 200 प्रतिशत पेनल्टी दे कर उसे सफेद कर सकते हैं। गंगा नदी अथवा नालों में बहाने या आग में जलाने से अच्छा है कि काले धन को योजना के अंतर्गत पेनल्टी के रूप में जमा किया जाए।

प्रधान मंत्री ने फिर चेतावनी दी है कि नोटबंदी उनका अंतिम कदम नहीं है, इसके बाद भी वह बेनामी संपत्ति आदि के संबंध में ऐसे ही 'सर्जिकल स्ट्राइक' कर सकते हैं। वास्तव में प्रधान मंत्री ने नोट बंदी कर काले धन पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि संबद्ध लोग सकते में हैं। पर देश का आम नागरिक खुश है और वह देश से काले धन की गंदगी हटाने और स्वच्छ अर्थ-व्यवस्था बनाने में हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। आज हमें ऐसा ही भारत बनाने की जरूरत है। इन कदमों से देश से गरीबी हटेगी, देश आगे बढ़ेगा और विश्व में विकास और शांति का रास्ता साफ होगा। प्रधान मंत्री अपने इस कदम के लिए साधुवाद के पात्र हैं।

जय जनता, जय भारत!

❑

सन्तोष खन्ना

एक और सर्जिकल स्ट्राइक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया था कि राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा जिसका सीधा-सा अर्थ यह था कि देश की सभी जातियों और धर्मों के अनुयायियों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी जिसके अंतर्गत विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार तथा संरक्षकत्व के बारे में एक प्रकार का कानून होगा। भारत के संविधान के इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 1955 में भारत की संसद ने देश की 80 प्रतिशत हिंदू आबादी के लिए हिंदू कोड बिल नाम से कानून बनाए जिसका उस समय जम कर विरोध हुआ था किंतु तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और डॉ. भीमराव अंबेडकर इस कानून के बारे में अडिग रहे और हिंदुओं की वैवाहिक विधि में एकरूपता लाने के लिए हिंदू कोड बिल पास हो गया जिसके अंतर्गत कई सुधार किए गए जिसमें सब से महत्त्वपूर्ण था कि एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरे विवाह पर मनाही, जिसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को पहुँचा, बहुत सारी बातों में महिला और पुरुष को बराबर के अधिकार मिल गए।

उस समय जो कानून पारित किए गए थे वह निम्नवत् हैं :--

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
2. हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956
3. हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षण अधिनियम, 1956
4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955

हिंदुओं के बाद मुसलमानों की आबादी 20 प्रतिशत थी और उनके धर्म और सिविल विधियों में इस तरह के प्रावधान थे जिससे मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर बहुत कम अधिकार थे और उनका समाज में बहुत शोषण होता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे देश में समान सिविल संहिता चाहते थे परंतु मुस्लिम धर्म उलेमाओं के विरोध के कारण

वह ऐसे नहीं कर सके। उन्होंने संसद में कहा था, ''मैं चाहता हूँ कि सिविल कोड पूरे देश में लागू हो परंतु ऐसा संभव नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि भारत में मुस्लिम लोगों में समान सिविल कोड लागू करने का यह सही समय नहीं है।''

जब 1980 में राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो उन्हें संसद में सर्वाधिक सीटें मिली थीं, वह चाहते तो उस समय इस संबंध में कुछ किया जा सकता था किंतु उच्चतम न्यायालय ने जब शाहबानो मामले में अपना एक प्रगतिशील निर्णय दिया, उस समय समान सिविल संहिता को लागू किया जा सकता था किंतु तब भी उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरूओं के समक्ष घुटने टेक दिए और उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नकार कर मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित कर समान सिविल संहिता लगाने के लिए एक सुनहरे अवसर को गँवा दिया और मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के स्थान पर उन्हें शोषण का शिकार होने दिया गया।

आजादी के पश्चात् 70 वर्षों बाद भी मुस्लिम महिलाएँ समान सिविल संहिता न होने के कारण कई प्रकार की विभेदकारी स्थितियों का सामना करने के लिए अभिशप्त हैं। उच्चतम न्यायालय अपने कई निर्णयों में राज्य से देश में समान सिविल संहिता लागू करने के बारे में कह चुका है, उच्चतम न्यायालय प्रायः कहता रहा है कि ''देश में अलग-अलग पर्सनल लॉ होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती है, सरकार चाहे तो एक जैसा कानून बना कर इसे दूर कर सकती है।''

इसके बावजूद, सरकार की तरफ से कोई विशेष पहल कभी नहीं की गई है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने 1995 में सरला मुद्गल मामले में कहा था कि ''देश में 80 प्रतिशत से अधिक जनता पर संहितागत व्यक्तिक कानून लागू हो चुका है, देश के सभी नागरिकों को इसके अंतर्गत न लाने में और देरी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।''

हाल में अश्विनी उपाध्याय ने उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित याचिका फाइल कर कहा था कि ''देश की सभी जातियों को एक समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लाया जाए जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय की एक तीन-सदस्यीय पीठ ने कहा है कि यद्यपि अनुच्छेद 44 को लागू किया जाना संविधान का लक्ष्य है किंतु क्या यह कार्य न्यायालय कर सकते हैं? यह क्षेत्र संसद के अंतर्गत आता है, इस पर संसद को कानून बनाना होगा।''

उच्चतम न्यायालय में पश्चिम बंगाल की शायरा बानो की याचिका सहित देश की कई अन्य मुस्लिम महिलाओं तथा कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने याचिका दायर कर मुस्लिम पर्सनल कानून के तहत तीन तलाक (तलाक-ए-बिदात), निकाह हलाला और बहु-विवाह को गैर-शरियत बताते हुए इन प्रथाओं को गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया है। इन याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता

में तीन-सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। उच्चतम न्यायालय के कहने पर केंद्र सरकार ने हलफ़नामा दायर कर कहा है कि ''तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु-विवाह जैसी कुप्रथाओं को सभी को संविधान के अंतर्गत दिए गए समानता के अधिकार और भेदभाव विरोधी अधिकार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत जैसे पंथ-निरपेक्ष देश में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें धर्म विशेष के संदर्भ में संविधान के अंतर्गत देखा जाना चाहिए और महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।''

उच्चतम न्यायालय ने इन मुद्दों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफ़नामे पर केंद्र सरकार से जवाब माँगा था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में मुस्लिम महिलाओं द्वारा दाखिल याचिकाओं का घोर विरोध करते हुए कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का मूल स्रोत कुरान है। ऐसे में इन मुद्दों की वैद्यता को न्यायालय में परखा नहीं जा सकता है। संविधान का भाग-3 पर्सनल लॉ को नहीं छूता है अतः उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पक्ष में एक बड़ी बेहूदी दलील देते हुए कहा है कि जब किसी पति-पत्नी में विवाद की स्थिति आती है और पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है तो न्यायालयों में तलाक प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण हो सकता है कि पति अपनी पत्नी की हत्या तक कर दे। ऐसी स्थिति में तीन तलाक एक बेहतर जरिया है--पत्नी से छुटकारा पाने का। इस दलील से ही ऐसा हलफ़नामा दायर करने वालों की महिलाओं के प्रति उनकी क्रूर एवं हिंसक मानसिकता का पता चलता है कि उनके समक्ष नारी का वजूद क्या है?

जिस स्तर का पक्ष वर्तमान केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की अधिकार रक्षा के लिए अपनाया है वैसा वोट की राजनीति के चलते कभी किसी सरकार ने नहीं अपनाया। वर्तमान केंद्र सरकार ने वोट की राजनीति से ऊपर उठ कर उच्चतम न्यायालय में जो एक सकारात्मक और सही हलफ़नामा फाइल किया है वह मुस्लिम विवाह, तलाक आदि मुद्दों के संदर्भ में सुधार के लिए एक अच्छी पहल है। सरकार ने इस हलफ़नामें में यह भी कहा है कि ट्रिपल तलाक से बहु-विवाह, लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को देखा जाना चाहिए। वैसे भी कई इस्लामिक देशों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

वास्तव में मुस्लिम महिलाओं में अब तक आई जागृति के कारण उन्होंने तीन तलाक, बहु-विवाह का विरोध करना आरंभ किया है। जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में एक समान सिविल संहिता के विरोध में उठ खड़ा हुआ है और उच्चतम न्यायालय में बराबर हलफ़नामे दे कर न्यायपालिका में भी विरोध कर ही रहा है तथा वह पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों की धमकी दे रहा है, वहीं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन महिलाओं के अधिकारों

की मुहिम चला रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने भी तीन तलाक का विरोध करते हुए इसे खत्म करने के लिए कहा है। उधर मजलिस-ए-इतेहदुल मुसलमीन दल के अध्यक्ष ओवैसी जैसे नेता भी कह रहे हैं कि तीन तलाक, बहु-विवाह जैसे मुद्दों पर इस्लाम धर्म गुरू और विद्वान ही विचार कर सकते हैं, न्यायालय नहीं। उसने प्रधान मंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जबकि केंद्र सरकार ने विधि आयोग से इन मुद्दों पर देश में बहस चला कर सर्व-सम्मति बनाने के लिए कहा है। किंतु मुस्लिम समाज में निहित स्वार्थ तीन तलाक, बहु-विवाह जैसे मुद्दे, जो इस समय न्यायालय में मुस्लिम महिलाओं की याचिकाओं के आधार पर विचाराधीन हैं और एक समान नागरिक संहिता के मुद्दे के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कुछ भी हो, जब मुस्लिम महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो रही हैं तो मुस्लिम पुरुष समाज कितना ही विरोध करता रहे, परिवर्तन को अब और अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता है।

वास्तविकता यह है कि समान नागरिक संहिता के विरोध के पीछे मुस्लिम पुरुष का अहम् है जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता तथा सामंती तरीके से पर्सनल मामलों में पुरुष श्रेष्ठता का सदैव दावेदार रहता है। ध्यान देने योग्य है कि बहुत से मुस्लिम देशों में एक विवाह का नियम बना दिया गया है जबकि हिंदुस्तान में इस मुद्दे को छेड़ते ही ऐसा लगता है मानो मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया गया हो। किंतु मुस्लिम समाज में तीन तलाक, बहु-विवाह जैसी कुप्रथा कब तक चलेगी? भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। भारत का संविधान ही देश की सर्वोत्तम विधि है जिसमें धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव किए जाने की मनाही है किंतु अब भी मुस्लिम पुरुष सरेआम तीन तलाक कह कर महिलाओं को तलाक दे कर शोषण का वाहक बना हुआ है, इस पर रोक लगनी ही चाहिए। नागरिक असमानता को अब अधिक देर तक रोक कर नहीं रखा जा सकता है।

केंद्र सरकार से कई ओर से यह बयान आ चुके हैं कि विधि आयोग समान सिविल संहिता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ कर इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहता है, अतः किसी पर इसे थोपा नहीं जाएगा। उधर उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष मुस्लिम महिलाओं की तीन तलाक आदि को अवैध और असंवैधानिक ठहराने की याचिकाओं पर संविधान के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर सकता है और जब केंद्र सरकार ने भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनकी अस्मिता के प्रति प्रतिबद्धता जताने वाला हलफ़नामा फाइल कर दिया है तो अब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का रास्ता साफ हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है।

❑

डॉ. भगवानदास अहिरवार

जम्मू कश्मीर की समस्या एवं संयुक्त राष्ट्र संघ

ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 18 जुलाई, 1947 को पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में तत्कालीन भारतीय रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी में भी अपना विलय करने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। इस विकल्प का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक महाराजा स्व. श्री हरिसिंह ने अपनी रियासत के हितों को देखते हुए रियासत का विलय भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी में न कर स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था।

चूँकि जम्मू कश्मीर रियासत मुस्लिम बहुल रियासत थी, जिसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी मुस्लिम थी अतः पाकिस्तानी शासक महाराजा हरिसिंह की अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की इच्छा को हजम नहीं कर पाएँ तथा उन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत के कबाइलियों को इस्लाम के आधार पर महाराजा हरिसिंह के विरूद्ध भड़काया । पाकिस्तानी सेना की मदद से इन कबाइलियों ने 22 अक्टूबर, 1947 को एवटाबाद से होते हुए जम्मू कश्मीर रियासत पर अचानक आक्रमण कर दिया। चूँकि रियासत के सभी मुस्लिम सैनिक कबाइलियों से मिल गए तथा वे आक्रमणकारियों की अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य करने लगे, अतः शीघ्र ही इन कबाइलियों ने रियासत के मुजफ्फराबाद, बारामूला, उड़ी, महूरा, मुलमर्ग, तनमर्ग इत्यादि स्थानों पर कब्जा कर लिया। 24 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरिसिंह ने जब अपनी रियासत को चारों ओर से आक्रमणकारियों से घिरा पाया तो उन्होंने अपनी रियासत की रक्षार्थ भारत सरकार से सैनिक सहायता की अपील की।

भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री लार्ड माऊंटबैटन ने महाराजा हरिसिंह द्वारा माँगी गई इस सैनिक सहायता के संदर्भ में प्रधानमंत्री पंडित जबाहरलाल नेहरू एवं गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल को अवगत कराया कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत है, जिसमें भारत सरकार सैनिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यदि जम्मू कश्मीर रियासत

को सैनिक सहायता चाहिए तो उसे पहले अपना विलय भारत में करना होगा। भारत सरकार के दृष्टिकोण से महाराजा हरिसिंह को अवगत कराने तत्कालीन गृह सचिव श्री वी.पी. मेनन को जम्मू कश्मीर भेजा गया। महाराजा हरिसिंह ने भारत सरकार के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए तुरंत अपनी रियासत के भारत में विलय के अधिमिलन पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर कर दिए। महाराजा हरिसिंह ने इस पर लिखा था कि ''जो परिस्थिति मेरी रियासत में हैं और जो संकटकालीन स्थिति इस समय है, उसमें मेरे पास भारत की सहायता माँगने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जो सहायता मैं चाहता हूँ उसको भारत सरकार तब तक नही दे सकती जब तक की मैं अपनी रियासत को भारत में न मिला दूँ। इसलिए मैंने यह निर्णय किया है और मैं यह विलय पत्र भारत सरकार को भेज रहा हूँ।'' 26 अक्टूबर, 1947 को प्रतिरक्षा समिति की बैठक में श्री वी.पी.मेनन द्वारा इस विलय पत्र को प्रस्तुत किया गया जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय स्वीकार कर लिया गया। अब चूँकि जम्मू कश्मीर रियासत भारतीय डोमिनियन का हिस्सा बन चुकी थी अतः उसकी रक्षा करना भारत सरकार का दायित्व था, अतः 27 अक्टूबर, 1947 को भारत सरकार ने अपनी सेना श्रीनगर में उतार दी ।

जैसे ही पाकिस्तानी शासकों को जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में विलय व वहाँ भारत सरकार द्वारा सैनिक कार्यवाही किए जाने की सूचना मिली वह बौखला गए और उन्होंने भी वहाँ अपनी सेना भेजना चाही जिसे जनरल ग्रेमी व सेनापति फील्डमार्शल आचिलनेक द्वारा मना कर दिया गया तथा पाकिस्तान द्वारा सैनिक कार्यवाही की जाने की स्थिति में पाकिस्तानी सेना से सभी अंग्रेज अधिकारियों को हटा देने की धमकी दी। भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी कबाइलियों को पीछे ढकेलते हुए महूना, बरामूला, उड़ी, व रियासत के अन्य शहरों पर अपना कब्जा कर लिया।

लार्ड माउंटबैटन नहीं चाहते थे कि कश्मीर संघर्ष व्यापक रूप ले एवं भारत पाकिस्तान के बीच खुले युद्ध में बदल जाए, इसलिए उन्होंने भारत पाकिस्तान के नेताओं को जम्मू कश्मीर की समस्या आपसी चर्चा द्वारा हल करने का सुझाव दिया। लार्ड माउंटबैटन के इस सुझाव के परिणाम स्वरूप स्वयं लार्ड माउंटबैटन व प्रधानमंत्री नेहरू इस समस्या पर पाकिस्तानी नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए 8 दिसंबर, 1947 को कराची गए जहाँ पर उन्होंने आक्रमणकारियों को रियासत से बाहर निकालने तथा शांति व्यवस्था स्थापित होने पर रियासत पर जनमत संग्रह कराए जाने का अपना वायदा दुहराया, भारत पाकिस्तान नेताओं की यह चर्चा सफल नही हो सकी। 22 दिसंबर, 1947 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली भारत आए, यहाँ पर भी नेहरू ने कबाइलियों को कश्मीर से बाहर निकालने

का आग्रह किया, भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान द्वारा काबाइलियों को आधुनिक सैनिक साजो सामान जैसे छोटे मोटार, बंदूकें, तोपें, बी. मार्क की बारूद, मोटर वाहन व उनके लिए डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सब सामग्री कबाइलियों के पास नहीं होती, स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर रियासत पर कबाइलियों द्वारा किए गए आक्रमण में पाकिस्तानी सेना का स्पष्ट हाथ है।''[2] लियाकत अली खान द्वारा भारत सरकार के इस आरोप को मनगढंत बताया गया। भारत पाकिस्तान के नेताओं की इन दोनों वार्ताओं के असफल होने पर लार्ड माउंटबैटन को यह महसूस हुआ कि वार्ता की असफलता कहीं दोनों राष्ट्र के मध्य युद्ध को जन्म न दे दे। अतः उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नेहरू को जम्मू कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का परामर्श दिया। यद्यपि सरदार पटेल व अन्य नेता इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के पक्षधर नहीं थे बावजूद इसके नेहरू द्वारा अपनी आदर्शवादिता के चलते मामले को 31 दिसंबर, 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् के समक्ष पेश करते हुए प्रार्थना की गई कि कश्मीर से कबाइलियों को निकाला जाए, तथा पाकिस्तान को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत की प्रार्थना प्राप्त होने के पश्चात् 20 जनवरी, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् द्वारा जम्मू कश्मीर की समस्या पर औपचारिक विचार विमर्श प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही चल रही इस जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में निम्नांकित प्रयास किए गए है --

सुरक्षा परिषद् द्वारा कश्मीर समस्या का अध्ययन कर इसके समाधान का उपाय सुझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत पाक आयोग का गठन किया जिसके सदस्य थे भारत की ओर से चैकोस्लावाकिया, पाकिस्तान की ओर से अर्जेंटीना एवं तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र भारत पाक आयोग के सदस्यों ने भारत पाकिस्तान व कश्मीर का दौरा किया तथा अपना प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को सौंपा, आयोग के इस प्रतिवेदन के आधार पर 13 अगस्त, 1948 को सुरक्षा परिषद् ने जो प्रस्ताव किया उसके प्रस्ताव इस प्रकार थे।''[3]

1. पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेनाएँ हटाए तथा विदेशी कबाइलियों व सामान्य रूप से कश्मीर में न रहने वाले नागरिकों को वहाँ से हटाने का प्रयत्न करें।
2. पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा खाली किए गए क्षेत्र के प्रशासन का प्रबंध आयोग के निरीक्षण अधिकारी करें।
3. जब पाकिस्तान इन दोनों शर्तों को पूरा करने की सूचना आयोग के दे तो उस समय भारत भी अधिकांश सेना कश्मीर से हटा ले।

4. अंतिम समझौता होने तक भारत युद्ध विराम की सीमाओं के भीतर उतनी ही सेना रखे जितनी उस क्षेत्र में क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में स्थानीय अधिकारियों को सहायता देने के लिए काफी हो।

डॉ. ओम नागपाल के अनुसार, ''प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार पर है तथा यदि पाकिस्तान अपनी सेनाएँ नहीं हटाता तो भारत जनमत संग्रह के लिए बाध्य नहीं होगा।''[4] यद्यपि अन्य लेखकों ने इस तरह के प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की है।

आयोग के साथ भारत एवं पाकिस्तान का लंबा पत्र व्यवहार चला तथा 01 जनवरी 1949 को दोनों राष्ट्र युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। यहाँ उल्लेखनीय है कि कश्मीर में युद्ध तो भारत कबाइलियों के साथ लड़ रहा था, पाकिस्तान तो घोषित तौर पर युद्ध लड़ ही नहीं रहा था, उसके अनुसार युद्ध कबाइली लड़ रहे थे, जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, फिर दोनों राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम का प्रश्न कहाँ आता है? अर्थात् युद्ध विराम तो एकतरफा भारत को करना पड़ा। दोनों राष्ट्रों के मध्य एक युद्ध विराम रेखा निर्धारित की गई। युद्ध विराम रेखा के उस पार कश्मीर की 32000 वर्गमील जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा रहा, जिसकी जनसंख्या उस समय सात लाख थी तथा इस पार लगभग 82000 वर्गमील भूमि पर भारत का अधिकार रहा, जिसकी जनसंख्या उस समय 33 लाख थी।''[5]

संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् के उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार चूँकि कश्मीर के प्रश्न का निर्णय जनमत संग्रह से होना था अतः जनमत संग्रह कराने के लिए अमेरिकी नागरिक चेस्टर निमिट्ज़ को नियुक्त किया गया। श्री निमिट्ज़ ने इस दिशा में प्रयास आरंभ किए। भारत ने यह स्पष्ट किया कि जनमत संग्रह उसी दिशा में होगा जब पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा लेगा तथा पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था अतः श्री निमिट्ज़ ने त्याग पत्र दे दिया। जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की यह पहली असफलता थी।''[6]

चूँकि पाकिस्तान द्वारा बार-बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किए जाने तथा भारत द्वारा इसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से किए जाने पर स्थिति गंभीर होने लगी। अतः 17 दिसंबर, 1949 को सुरक्षा परिषद् ने अपने अध्यक्ष श्री मैकनॉटन से इस समस्या का समाधान सुझाने को कहा, मैकनॉटन के निम्नलिखित सुझाव दिए जिसे मैकनाटन योजना के नाम से जाना जाता है --

1. भारत एवं पाकिस्तान दोनों ही एक साथ अपनी सेनाएँ पाकिस्तान से हटा लें।
2. कश्मीर का विसैन्यीकरण (Demilitarisation) करके वहाँ जनमत संग्रह कराया जाए।

भारत ने इस मैकनॉटन योजना को सुरक्षा परिषद् के 13 अगस्त, 1948 के प्रस्ताव के विरूद्ध बताया क्योंकि इसमें आक्रामक एवं आक्रांता अर्थात् भारत एवं पाकिस्तान को बराबर माना गया था, पाकिस्तान को आक्रामक घोषित नहीं किया गया था अतः भारत ने इसे मानने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात्, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 24 मार्च, 1950 को एक अन्य प्रस्ताव पास किया जिसमें 13 अगस्त, 1949 के प्रस्ताव के प्रति आस्था व्यक्त की गई तथा प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु आस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ओवन डिक्कशन को नियुक्त किया। डिक्कशन ने मई 1950 से अपना कार्य आरंभ किया। दोनों देशों की यात्रा की तथा लगभग वही सुझाव दिए जो मैकनॉटन दे चुके थे अर्थात् भारत एवं पाकिस्तान 5 महीने के अंदर कश्मीर से सेनाएँ हटा ले, फिर वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराया जाए।''[7] यद्यपि डिक्कशन ने स्वीकार किया कि कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा सेना भेजना अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन है, परंतु उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखा। भारत का तर्क था कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया है जबकि भारत ने सेना सहयोग के अनुबंध पर भेजी है, चूँकि अधिनियम पत्र के अनुसार कश्मीर भारत का अंग है अतः कश्मीर को किसी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता।

भारत ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया, तब डिक्कशन महोदय ने अपने नए सुझावों के अंतर्गत जम्मू एवं लद्दाख को भारत में, तथा आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने एवं कश्मीर घाटी में जनमत संग्रह कराने की बात कही।

चूँकि ये कश्मीर के विभाजन का औपचारिक प्रस्ताव था जिसे भारत एवं पाकिस्तान दोनों ने अमान्य कर दिया था अंत में डिक्कशन ने त्यागपत्र दे दिया तथा सुझाव दिया कि कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान व भारत आपसी वार्ता द्वारा कोई निर्णय ले लें।''[8]

ग्राहम् मिशन मार्च, 1951 में सुरक्षा परिषद ने आदेन डिक्कशन के स्थान पर अमेरिका के फ्रेंक ग्राहम् को मध्यस्थ के पद पर नियुक्त किया। फ्रेंक ग्राहम् 30 जून 1951 भारत आए उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान की सरकार से चर्चा कर कश्मीर समस्या के समाधान हेतु निम्नांकित सुझाव दिए।''[9]

1. जनमत संग्रह को पूर्ण करने के लिए युद्ध विराम रेखा के एक ओर पाकिस्तान 6000 सैनिक तथा भारत 18000 सैनिक रखे, शेष सेना दोनों तरफ से हटा ली जाए।
2. लोकमत संग्रह के अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

भारत ने इन प्रस्तावों को अमान्य कर दिया। भारत का तर्क था कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है तथा उसके सभी सैनिक कश्मीर से निकाले जाएँ क्योंकि अधिमिलन के पश्चात् कश्मीर भारत का अंग बन गया है। अतः पहले कश्मीर से पाकिस्तान के सभी सैनिक निकाले जाए तब भारत भी वहाँ अपनी सैनिक शक्ति को कम कर सकता है।

जब तक एक भी आक्रमणकारी कश्मीर की धरती पर है, जनमत सग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता, पाकिस्तान का मानना था कि मुख्य प्रश्न जनमत संग्रह का है अतः ध्यान इस पर केंद्रित किया जाए। भारत का कहना था कि मुख्य प्रश्न पाकिस्तानी आक्रमण का है अतः सारा ध्यान आक्रमणकारी को कश्मीर से निकालने पर केंद्रित किया जाए, चूँकि फ्रेंक ग्राहम् दो वर्षों के अथक परिश्रम से समस्या का हल नहीं निकाल सके अंततः उन्होंने कहा कि भारत एवं पाकिस्तान स्वयं वार्ता द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुँचे।''[10]

चूँकि 1952 के पश्चात् विश्व की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलने लगी तथा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के निमित्त नाटो सीटो एवं बगदाद पैक्ट अस्तित्व में आए। 1954 में बदली हुई परिस्थितयों में पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेनाएँ हटाने के लिए तैयार नही था बल्कि शेष कश्मीर को वह शस्त्रों के बल पर जीतने का प्रयास कर रहा था। तथा 1955 में वह बगदाद पैक्ट का सदस्य बन गया, अतः बदली हुई परिस्थितयों में भारत ने भी कश्मीर के संबंध में नई नीति अपनाने का फैसला लिया तथा कश्मीर के मसले पर सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त किया।

26 जनवरी, 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान वहाँ लागू होने के साथ ही यह राज्य भारत का एक अभिन्न अंग बन गया इससे पाकिस्तान बौखलाया तथा उसके प्रतिनिधि श्री फिरोजखान ने 2 जनवरी 1957 को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में शिकायत भेजी कि भारत ने जनमत संग्रह का प्रस्ताव हटा लिया है तथा कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने राज्य के भारत के साथ विलय का अनुमोदन कर दिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का सरासर उल्लंघन है अतः एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है और सुरक्षा परिषद् उसको सुझलाए। 16 फरवरी, 1957 को संयुक्त राज्य अमेरिका, बिट्रेन, क्यूबा एवं आस्ट्रेलिया ने एक सम्मिलित प्रस्ताव रखा कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री गुनार जारिंग (स्वीडन) भारत व पाकिस्तान जाकर वहाँ की परिस्थिति का अध्ययन करें। कश्मीर से पाकिस्तान व भारत की सेनाये हटे तथा वहाँ जनमत संग्रह के लिए संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सेना भेजी जाए । 23-24 जनवरी, 1957 को भारतीय प्रतिनिधि श्री वी.पी. मेनन ने अपने 07 घंटे 48 मिनिट के एतिहासिक भाषण में इसका पुरजोर विरोध किया। रूस ने समर्थन करते हुए कहा था कि कश्मीर समस्या का हल वहाँ की संविधान सभा कर चुकी है। जब पश्चिमी गुट ने इसे स्वीकार नहीं किया जो सोवियत संघ ने इस सारे प्रस्ताव पर अपनी वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया।''[11]

24 जनवरी, 1957 को सुरक्षा परिषद में ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, इग्लैंड और अमेरिका ने एक अन्य प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही यू.एन.ओ. के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराया जाए, प्रस्ताव के पत्र में दस मत आए रूस ने पुनः वीटो कर दिया। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।''[12]

21 फरवरी, 1957 को सुरक्षा परिषद ने एक अन्य प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि कश्मीर समस्या के समाधान तथा वहाँ जनमत संग्रह की व्यवस्था के लिए गुनार जारिंग को पुनः भारत एवं पाकिस्तान भेजा जाए, 14 मार्च, 1957 से 10 अप्रैल, 1957 के मध्य श्री गुनार जारिंग ने तीन बार दिल्ली से कराची के बीच यात्राएँ की तथा दोनों देश के नेताओं सोहरावर्दी नून, भारत में नेहरू, मेनन से चर्चाएँ की परन्तु भारत एवं पाकिस्तान किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं हुए अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दोनों देशों के मध्य इस समस्या का सुलझना कठिन है अतः 30 अप्रैल, 1957 को सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मिशन फेल हो गया है एवं वे कश्मीर समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं।''[13]

दिसंबर, 1957 में सुरक्षा परिषद ने एक अन्य प्रस्ताव पारित कर फ्रैंक ग्राहम् को अधिकृत किया कि वे कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में कश्मीर का विसैन्यीकरण कर वहाँ जनमत संग्रह की व्यवस्था करें। प्रस्ताव के परिपालन में श्री ग्राहम ने 12 जनवरी से 15 जनवरी, 1958 तक भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों से चर्चा के उपरांत 3 अप्रैल, 1958 को सुरक्षा परिषद् में पेश अपनी रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें कीं --

1. भारत एवं पाकिस्तान अपनी जनता से अपील करे कि शांति का वातावरण बनाये रखें ताकि वार्ता हो सके।
2. दोनों देश युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन न करें।
3. कश्मीर से पाकिस्तानी सेनाएँ हटाई जाए तथा उसके स्थान पर आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की सेना रखी जाए।
4. दोनों देश की सरकारें संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि से जनमत संग्रह के बारे में बातचीत करें।
5. दोनों देश के प्रधानमंत्री परस्पर वार्ता करें।

यद्यपि पाकिस्तान ने उपर्युक्त प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया लेकिन भारत ने इन्हें अस्वीकार करते हुए कहा कि ये सुझाव 13 अगस्त, 1948 के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों से आगे बढ़ गए हैं तथा भारत एवं पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा दिया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य विद्यमान कश्मीर समस्या के समाधान की दिशा में एक दो नहीं, बल्कि अब तक 08 बार प्रयास किए जा चुके है, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे, समस्या हल की दिशा में जितने भी आयोग बने उनमें से चेस्टर निमिट्ज, डिक्कशन, फ्रेंक ग्राह्म ने समस्या को पैचीदा मानते हुए भारत पाकिस्तान को आपसी चर्चा द्वारा हल निकालने का सुझाव दिया है। स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी मध्यस्थता द्वारा जम्मू कश्मीर समस्या को समाधान

किए जाने के पक्ष में नहीं है, जम्मू कश्मीर के संबंध में यहाँ कुछ प्रश्न विचारणीय है --

प्रथम, 26 अक्टूबर, 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत का विलय महाराजा हरिसिंह द्वारा बगैर किसी पूर्व शर्त के किया गया था अर्थात् विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कोई पूर्व शर्त नहीं रखी थी ऐसी स्थिति में इस विलय पत्र को स्वीकार करते समय प्रधानमंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू द्वारा जनमत संग्रह कराये जाने का वायदा करने का क्या औचित्य था?

दूसरा, जब महाराजा द्वारा जम्मू कश्मीर रियासत के रक्षार्थ सैनिक सहायता मांगे जाने व विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने को जम्मू कश्मीर रियासत के भारत का हिस्सा बन जाने के परिणाम स्वरूप वहाँ भारत अपनी सेनाएँ उतार चुका था, सेना आक्रमणकारियों को पीछे ढकेल रही थी, एक-एक करके रियासत सभी नगरों व गाँवों को आक्रमणकारियों से मुक्त करा रही थी ऐसी स्थिति में मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का क्या औचित्य था?

तीसरा, जब महाराजा हरिसिंह ने अपनी रियासत के विलय हेतु कोई पूर्व शर्त नहीं रखी थी तब जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया गया?

इन प्रश्नों के संबंध में जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिंहावलोकन करते है तो पाते है कि चूँकि हैदराबाद एवं जूनागढ़ रियासतों का भारत में विलय वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप किया गया था, इसीलिए हो सकता है इसी आदर्श के चलते जम्मू कश्मीर के संबंध में जनमत संग्रह का वायदा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया हो।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व मुस्लिम लीग की सहमति से भारत विभाजन की पूरी रूपरेखा तत्कालीन गर्वनर लार्ड माउंट बैटन द्वारा तैयार की गई थी। माउंट बैटन की सहानुभूति भारत एवं पाकिस्तान दोनों के प्रति थी जम्मू कश्मीर समस्या का दोनों देशों के नेताओं की वार्ता द्वारा हल न देखकर इस मामले में खुले युद्ध संभावना से आशंकित थे। अतः उन्होंने नेहरूजी से मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का सुझाव दिया, जिसे नेहरू द्वारा स्वीकार कर लिया गया व 31 दिसंबर, 1947 को मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष पेश कर दिया।

चूँकि मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपा जा चुका था, समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका था अतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थायी समाधान निकाले जाने तक इसका स्थायी विलय भारत में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत होता अतः इसके विलय के संबंध में संविधान की धारा 370 में अस्थायी उपबंध करते हुए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया।

इस संबंध में विद्वानों का मत है कि नव-निर्मित पाकिस्तान इस मसले को लेकर भारत से खुले युद्ध की स्थिति में था ही नहीं, विश्व शक्तियाँ द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण थकी हुई थी, अतः इस मसले को लेकर युद्ध की आशंका निर्मूल थी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं सौंपी गई होती तो भारत पाकिस्तान के मध्य 1 जनवरी, 1949 को युद्ध विराम नहीं होता यदि युद्ध विराम नहीं होता तो हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्सों को उसी तरह अपने कब्जे में ले लेती जैसे कश्मीर के अन्य क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था और आज पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर पाकिस्तान बराबर का भागीदार पक्ष नहीं होता इस प्रकार जम्मू कश्मीर रियासत के संबंध में जनमत संग्रह का वायदा करना एवं समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुर्द करना तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की अति आदर्शवादिता थी।

❑

संदर्भ

1. डॉ. अग्रवाल आर.सी., भारत की विदेश नीति, पृ. 90-91
2. नागपाल डॉ. ओम, भारत एवं विश्व राजनीति, पृ. 212
3. टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 अगस्त, 1948
4. श्रीवास्तव एस.के., भारत एवं विश्व राजनीति, पृ. 138
5. डॉ. नागपाल ओम, भारत एवं राजनीति, पृ. 214
6. डॉ. नागपाल ओम, भारत एवं राजनीति, पृ. 214
7. डॉ. नागपाल ओम, भारत एवं राजनीति, पृ. 215
8. डॉ. नागपाल ओम, भारत एवं विश्व राजनीति, पृ. 216
9. डॉ. नागपाल ओम, भारत एवं विश्व राजनीति, पृ. 216
10. डॉ. अग्रवाल आर.सी., भारत की विदेश नीति, पृ. 90
11. डॉ. नागपाल ओम, भारत एवं विश्व राजनीति, पृ. 222
12. डॉ. नागपाल ओम, भारत एवं विश्व राजनीति, पृ. 222
13. डॉ. अग्रवाल आर.सी., भारत की विदेश नीति, पृ. 96

डॉ. निरुपमा अशोक

महिलाओं के हित में है समान सिविल संहिता

अभी हाल में भारत सरकार ने विधि आयोग से अपेक्षा की है कि देश में समान नागरिक संहिता (कामन सिविल कोड) को लागू करने के दिशा-निर्देश निर्धारित करें। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान ने इस पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इसके विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार मंथन की आवश्यकता है, तथा विधि आयोग इस दिशा में पूर्ण मनोयोग से संकल्पित है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में वर्णित इस सिद्धांत को विधि बनाकर लागू करने की अनुशंसा की है। विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार तथा संरक्षकत्व संबंधी क़ानून विभिन्न धर्मों में अलग-अलग हैं। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब इनमें एकरूपता नहीं होनें के कारण वाद के निपटारे में कठिनाई आई हैं।

संविधान के अनुच्छेद 44 के परिपालन में 1955 में हिंदू कोड बिल पारित कर देश की अस्सी फीसदी जनता के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित क़ानूनों का संहिताकरण किया गया था। उसके बाद विभिन्न धर्मों में इनसे संबंधित कई क़ानून पास किए गए लेकिन पूरे देश के लिए समान संहिता बनाने का संकल्प अभी अधूरा है। गोवा दमन-दीव में ऐसा क़ानून लागू है लेकिन वह भी एक पंथ विशेष के बहुसंख्यक होने के कारण है।

समान नागरिक संहिता बनाने का मामला तब सुर्खियों में आया था जब शाहबानो के बहुप्रचारित वाद में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया था। मुस्लिम विधि के अनुसार किसी तलाकशुदा महिला को तीन माह (इद्दत की अवस्था) तक ही गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है, फिर उसे मेहर की पूर्व तयशुदा रकम देकर पति को हमेशा के लिये

उन्मुक्ति मिल जाती है। इस निर्णय को मुस्लिम पर्सनल क़ानून के विपरीत मानते हुए विवाद खड़ा हो गया था। चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है अतः न्यायालय का निर्णय सही था। लेकिन मुस्लिम धर्मावलंबियों के दबाव में आकर संबंधित विधि में परिवर्तन कर न्यायालय के निर्णय को निष्फल बनाया गया था। इसके विरुद्ध तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था।

इस प्रसंग में सरला मुद्गल का वाद काफी चर्चित है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संसद से अपेक्षा की थी कि अनुच्छेद 44 का परिपालन किया जाए। प्रस्तुत वाद में दूसरा विवाह करने की नीयत से धर्म परिवर्तन के मामले थे। यह सर्वविदित है कि मुस्लिम विधि में कुछ परिस्थितियों में एक से अधिक विवाह अनुमत है। इसी की आड़ में कई हिंदू अपना धर्म तक परिवर्तित कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग अनुमान्य नहीं है तथा दूसरा विवाह करने हेतु किया गया धर्मांतरण कपट होने के कारण अवैध तथा अमान्य है।

प्रायः प्रत्येक धर्म में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के क़ानून पुरुष केंद्रित है। जातक के नाम के साथ पहचान हेतु पिता का नाम लगाने की परंपरा बहुत पुरानी है। मुस्लिम धर्म में जहाँ एक समय पुरुष के चार विवाह तक वैद्य हैं, वहीं महिला को दूसरा विवाह करने पर निषेध है। मुस्लिम महिला को तीन बार तलाक कह कर (वह भी टेलीफोन या व्हाट्सअप पर) उससे मुक्ति पाई जा सकती है, वहीं महिला को तलाक देने तक की अनुमति नहीं है। मुस्लिम विधि में दत्तक ग्रहण पर मनाही है, वहीं हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण में पुरुष की मर्जी सर्वोपरि होती है। हिंदू विधि में पिता के जीवित रहते हुए माता को प्राकृतिक संरक्षक नही माना जाता था। इस क़ानून का अर्थान्वयन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने नई व्याख्या कर इसके उलट निर्णय दिया था। इसाई तथा पारसी विधियों में भी इसी प्रकार की विसंगतियाँ प्रकाश में आई हैं। यह स्थिति सिर्फ स्वीय विधियों (पर्सनल लॉज) तक ही सीमित नहीं है। उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम ऐसे अधिनियमों में भी उत्तराधिकार के मामले में सिर्फ पुरुषों को ही हिस्सा मिलने का क़ानून रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में अभी थोड़े ही वर्ष पूर्व पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया गया है। यह केवल उदाहरणार्थ दृष्टांत हैं। सभी पर्सनल क़ानूनों का झुकाव पुरुषों की तरफ है।

दरअसल यह क़ानून स्त्री को दोयम दर्जे का स्थान देते हैं। एक पत्नी के रहते दूसरे विवाह की अनुमति पुरुष की स्वेच्छाचारिता का परिचायक तो है ही, एक स्त्री को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति का भी प्रमाण है। इसी प्रकार ट्रिपिल तलाक कह उसका पत्नीत्व हरण अमानवीय तो है ही, उसके वजूद तक को नकारने के समान है। धर्म परिवर्तन के द्वारा दूसरा विवाह करने का हौसला क़ानून तथा स्त्रीत्व का मखौल उड़ाना ही माना जाता है। ऐसे क़ानून स्त्री के प्रति

क्रूर तो हैं ही, संविधान प्रदत्त क़ानून के समक्ष समता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है।

उक्त उदाहरण हमारे वर्तमान क़ानूनों में गैर-बराबरी की कहानी बयान करते हैं। आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनों के कारण अब नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। अब अविवाहित या एकल स्त्रियाँ भी मातृत्व सुख प्राप्त कर रही हैं जिसमें मेडिकल तकनीक सहायक हो रही है। लेकिन क़ानून पिता के नाम पर जोर देता है।

यह स्त्री के एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण है। अभी एक रोचक मुकदमा उच्चतम न्यायालय पहुँचा जिसमें एक अविवाहित स्त्री ने अपने बच्चे को पासपोर्ट जारी करने की अनुमति माँगी थी। दरअसल पासपोर्ट अधिकारी ने बिना पिता का नाम घोषित किए उस बच्चे को पासपोर्ट जारी करने से मना कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्त्री की याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय में संबंधित महिला ने शपथ-पत्र दिया कि वह व्यक्तिगत कारणों से बच्चे के पिता का नाम नहीं प्रकट करना चाहती है तथा वह भविष्य में उस व्यक्ति से न तो संपत्ति में हिस्सा मांगेगी और न ही भरण-पोषण की माँग करेगी। उच्चतम न्यायालय ने इस शपथ-पत्र के आधार पर बिना पिता के नाम के बच्चे को पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। ऐसे मामलों में अभी तो कोई समस्या न हो लेकिन भविष्य में यदि जातक अपने पिता का नाम जाहिर करने के लिये प्रयास करे, तो कौन क़ानून उसको रोक पाएगा। रोहित शेखर का प्रकरण अभी ताजा है जिसकी परिणति एन.डी. तिवारी तथा उज्जवला शर्मा के विवाह में हुई। इसी प्रकार गर्भपात कराने का अधिकार हर महिला का एकांतता का अधिकार है जो एक मौलिक अधिकार है लेकिन यदि पति की इच्छा के विरुद्ध वह ऐसा करती है तो यह क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है जो विवाह विच्छेद का एक आधार है।

अब अंतर्धार्मिक तथा अंतरदेशीय विवाह अपवाद नहीं है। विवाह तथा दत्तक-ग्रहण क़ानूनों के दुरुपयोग के कई मामले न्यायालयों की चौखट पर पहुँचे हैं। बेमेल विवाह (स्त्री 11 वर्ष-पुरुष 72 वर्ष) तथा बुरी नीयत से किए गए दत्तक-ग्रहण पर उच्चतम न्यायालय ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विवाह के अनिवार्य पंजीकरण तथा विदेशियों को दत्तक-ग्रहण से पूर्व सरकारी एजेंसी से अनुमति अनिवार्य किया गया है। विवाह की वैधता के लिए दोनों का एक ही धर्म का न होना 'लव-जिहाद' जैसी समस्याएँ पैदा करता है और ऐसी घटनाएँ क़ानून और व्यवस्था को चुनौती हो जाती हैं। बलात्कार ऐसे मामलों में खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान भी स्त्री को निम्न स्तर का मानते हैं जब बलात्कारी से विवाह करने का निर्णय सुनाया जाता है। गनीमत है कि इन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने बड़ी सूझ-बूझ का निर्णय दिया है। अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने उ.प्र. सिविल सेवक नियमावली के उस नियम को संविधान सम्मत निर्धारित किया जिसमें एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने पर नौकरी से बर्खास्तगी

हो सकती है। इसी प्रकार हरियाणा तथा राजस्थान के उस क़ानून को भी वैध माना है जिसके अनुसार दो बच्चों से अधिक पर पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। इन क़ानूनों को नरगिस मिर्जा बनाम एयर इंडिया में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर आक्षेपित किया गया था जिसमें कहा गया था कि मातृत्व हर स्त्री का पवित्र अधिकार है। तर्क दिया गया कि जब मुस्लिम धर्म में चार विवाह की अनुमति है और प्रत्येक पत्नी को मातृत्व का अधिकार है फिर दो बच्चों की सीमा धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। लेकिन न्यायालय ने इसको अमान्य कर दिया। इसी प्रकार बलात्कारी को तब भी सजा सुनाई गई जब कि न्यायालय के संज्ञान में आया कि पीड़िता ने उससे विवाह कर लिया है। ऐसे अनेक मामलों में न्यायालय ने सराहनीय निर्णय दिए हैं जिन पर बाद में क़ानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है।

मानव जीवन अत्यंत जटिल है। कभी-कभी ऐसे प्रकरण आते हैं जब निर्णय पर पहुँचना आसान नहीं होता। अभी हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक ऐसा ही मुकदमा निर्णीत हुआ। दरअसल एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ तथा वह गर्भवती हो गई। जब तक यह बात उसके संरक्षकों तक पहुँची तब तक गर्भ परिपक्व हो चुका था। न्यायालय से गुहार करने पर डॉक्टरों के एक दल द्वारा जाँच कराई गई लेकिन उसने उस स्थिति में गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अंततः उस बालिका ने पूर्ण विकसित शिशु को जन्म दिया लेकिन इस शिशु को उसने पालने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस शिशु की देखभाल सरकारी खर्चे पर की जाए तथा बालिग होने पर वह अपने बलात्कारी पिता (जो सजा काट रहा है) की संपत्ति में हिस्सेदार होगा। इन प्रकरणों में नीति, नैतिकता तथा मर्यादा के अनेक अनसुलझे प्रश्न निहित हैं।

जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है कि सभ्य समाज तथा उच्चतर न्यायपालिका ने कई बार समान सिविल संहिता की आवश्यकता को रेखांकित किया है लेकिन हर बार इसे धर्म विशेष का मामला कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जबकि असलियत यह है कि यह मुद्दा पुरुषीय ग्रन्थि और अहंकार का है। तथाकथित जातीय पंचायतें भी इसी ग्रंथि से पीड़ित हैं। ऐसे में यह यक्ष प्रश्न है कि क्या विभिन्न धर्मावलंबी समय की दीवार पर लिखी इन इबारतों को पढ़ेंगे तथा स्त्रियों को वास्तव में बराबरी का दर्जा देने की मानसिकता का परिचय देने का पौरुष दिखला पाएँगे।

❑

श्रीमती कालिंद्री

किशोर न्याय क़ानून में संशोधन और महिला सुरक्षा

तीन साल पहले निर्भया गैंग रेप कांड ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया था। 16 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली में चलती बस में ड्राइवर समेत 6 लोगों ने 23 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म किया। दरिंदगी के कारण बुरी तरह से जख़्मी छात्रा ने 13वें दिन सिंगापुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर चला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कड़ी आलोचना भी की गई। इस घटना के बाद ही आनन-फानन में आपराधिक क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया तथा अवयस्कों के लिए क़ानून पर पुनर्विचार करने व जघन्य अपराधों में शामिल अवयस्कों के लिए ज़्यादा कड़े क़ानूनों की माँग होने लगी।

लेकिन दूसरी ओर यह नहीं कहा जा सकता कि पिछले तीन साल में हमारी सरकार और हमारे समाज में महिला सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा फर्क आया है। महिलाएँ अब भी उतनी ही असुरक्षित हैं, सरकारी संस्थाएँ उतनी ही अकर्मण्य और लापरवाह हैं। समाज उतना ही अनुदार, हिंसक व पुरुषवादी है। ऐसे में दिसंबर, 2015 में अवयस्क आरोपी की रिहाई ने लोगों के पुराने जख़्मों को फिर से ताज़ा कर दिया है। जो लोग उसकी रिहाई के ख़िलाफ़ थे उन्हें इस बात की तसल्ली ज़रूर मिल रही होगी कि निर्भया कांड में शामिल अवयस्क अपराधी भले ही रिहा हो गया हो लेकिन किशोर न्याय क़ानून, 2016 के अस्तित्व में आने पर अब जघन्य अपराध में शामिल अवयस्क अपराधियों को कड़ी सज़ा दी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर इस नए क़ानून के पारित होने से हमारा समाज दो वर्गों में बँट गया है। क्योंकि हमारे समाज के कई बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे हैं जो इसके पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार, गुस्से और दबाव में बनाया गया क़ानून हमेशा नुक़सान करता है।

इस क़ानून पर पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने तर्क हैं। लेकिन इससे पहले 2016 से पूर्व किशोर न्याय क़ानून और नए संशोधित क़ानून के बारे में जानना ज़रूरी है। पुराने किशोर क़ानून में अवयस्क की उम्र 18 साल रखी गई थी और अपराध के लिए उसे जेल न भेज कर बाल किशोर गृह भेज दिया जाता था जहाँ पर उसे सुधारने का प्रयास किया जाता था तथा तीन साल बीत जाने पर रिहा कर दिया जाता था। नए 'किशोर न्याय क़ानून' जो 15 जनवरी, 2016 से लागू हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं --

1. रेप व अन्य जघन्य अपराध का दोषी पाया जाने वाले किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है।
2. अब न तो वह बाल किशोर गृह भेजा जाएगा और न ही तीन वर्ष में रिहा किया जाएगा।
3. 16 से 18 साल के किशोर पर व्यस्क व्यक्ति की तरह मुक़द्दमा चलेगा और सात से दस वर्ष की सज़ा मिलेगी।
4. 16 साल के अपराधियों को सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा।
5. किशोर न्याय बोर्ड और मनोवैज्ञानिक यह तय करेंगे कि रेप व हत्या जैसे गंभीर एवं जघन्य अपराधों में किशोर अपराधी के लिप्त होने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? किया गया अपराध बाल मानसिकता से किया गया है अथवा वह दिमाग़ी तौर पर बालिग़ जैसा है?
6. जेल जाने के बाद भी अपील का अधिकार होगा, नाबालिग़ को अगर जेल हुई तो बालिग़ होने तक बाल सुधार गृह में ही रखा जाएगा।

कुछ बुद्धिजीवी इस नए क़ानून के पक्षधर हैं। लखनऊ के सीनियर एडवोकेट आई. बी. सिंह का कहना है कि यह क़ानून वर्तमान परिस्थितियाँ में बहुत ज़रूरी हो गया था। आज जिस तरह के तेज़ रफ़्तार युग में हम जी रहे हैं उसमें 18 वर्ष की उम्र होने तक युवा पूरी तरह परिपक्व हो चुका होता है। इस उम्र के लड़के संगठित अपराध तक करने लगते हैं। रेप, हत्या व अन्य गंभीर अपराधों में उनकी संलिप्तता बढ़ती ही जा रही है। निर्भया कांड के नाबालिग़ ने जो कृत्य किया है वह कही से क्षभ्य नहीं है। इस नए क़ानून के तहत जैसे ही एक-दो लोगों को दंड मिलेगा, उसके बाद ही असर दिखने लगेगा। इस विचार से कई लोग सहमत होते दिखे हैं जिनमें जस्टिस विष्णु सहाय भी हैं जिनका मानना है कि अभी तक इन किशोरों में यह भाव रहता था कि उनका कोर्ट में ट्रॉयल नहीं होगा। नए क़ानून की परिधि में इन्हें सज़ा मिलेगी। लिहाज़ा कहीं-न-कहीं इनके मन में भय ज़रूर पैदा होगा। समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें 16 से 18 वर्ष की उम्र के बीच के लड़कों ने गंभीर अपराध किए और उनके ख़िलाफ़ थानों में मुक़द्दमें दर्ज़ हुए भी, लेकिन नया क़ानून न होने की वजह

से सज़ा नहीं मिल सकी। जैसे, लखनऊ का आशियाना रेप केस। अतः यह क़ानून समाज की ज़रूरत बन गया है।

वहीं जो इस नए क़ानून के पक्षधर नहीं हैं उनका तर्क है कि यह क़ानून बिगड़ैल रईसज़ादों के लिए बहुत ही मुफ़ीद साबित होगा। यह लोग साठगाँठ कर मनोवैज्ञानिक को पक्ष में कर लेंगे। फिर नए क़ानून के तहत अपराध करने वाले किशोर के पक्ष में निर्णय हो जाया करेगा और जेल जाने से बच जाएगा। वहीं प्रो. रूपरेखा वर्मा सामाजिक कार्यकर्त्ता मानती हैं कि गुस्से के असर में बनाया गया क़ानून हमेशा नुक़सान करता है। केवल एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर सैकड़ों पर क़ानून बनाया जाना पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता। वह भी तब जब जिसके अपराध के चलते यह क़ानून पारित किया गया। अवयस्क अपराध के आँकड़े बताते हैं कि अभी भी नाबालिग़ अपराधियों की दर 2 प्रतिशत के आसपास है इसलिए यह इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। इससे निर्भया के परिवार को तसल्ली ज़रूर मिली है। लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा पहलू यह है कि सिर्फ़ क़ानून बना देने से अपराध नहीं रुकेंगे। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बदलावों की ज़रूरत है, जो हो ही नहीं रहे। जैसे, हत्या के उम्रक़ैद से लेकर फाँसी तक कई स्तर पर क़ानून व सजाएँ हैं। लेकिन क्या क़त्ल की घटनाएँ कम हो गईं? किशोर न्याय क़ानून को पास करने की प्रक्रिया भी सही नहीं है। निर्भया के अपराधी की रिहाई के एक दिन पहले राज्य सभा में बहस चल रही थी। वह भी इस दबाव में क्योंकि जंतर-मंतर पर लोगों की भीड़ बैठी थी। अगर वाक़ई कोई बदलाव चाहिए तो बदलाव आने तक आंदोलन होना चाहिए।

निर्भया कांड में अवयस्क अपराधी को न छोड़े जाने के लिए जो दलीलें रखी गईं, वे भी क़ानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क़ानून का अर्थ प्रतिरोध नहीं है, बल्कि अपराध से समाज को बचाना है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी है। यह माना जाता है कि अवयस्क दिमाग़ इतना परिपक्व नहीं होता कि वह अपने किए गए कृत्यों के परिणामों पर ठीक से विचार कर सके और अवयस्क अपराधियों के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी रहती है। इसलिए इन्हें सज़ा भी कम दी जाती है और बजाय वयस्कों की जेल के बाल सुधार गृह में रखा जाता है ताकि उन्हें सुधार कर समाज में नई ज़िंदगी शुरू करने लायक बनाया जाए।

निर्भया मामले के बाद अवयस्कों के लिए क़ानून पर पुनर्विचार करने व जघन्य अपराधों में शामिल अवयस्कों के लिए ज़्यादा कड़े क़ानून की माँग होने लगी क्योंकि कुछ लोगों का मत है कि कम सज़ा की वह वयस्क अपराधी किशोरों का इस्तेमाल अपराधों के लिए कर सकते हैं या कर रहे हैं और दूसरी आशंका यह भी व्यक्त की गई कि अपराधी प्रवृत्ति के किशोर यह सोचकर ज़्यादा दुस्साहसी हो सकते हैं कि पकड़े जाने पर उन्हें बहुत कम सज़ा मिलेगी। अतः इस नए कूनन से बाल अपराधें पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी।

सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी भी नए क़ानून की पक्षधर हैं। उनके अनुसार नए क़ानून के अभाव में निर्भया के गुनाहगार को बाहर आना ही था। पिछले तीन वर्षों में अवयस्क अपराधी की मानसिकता में सुधार क्यों नहीं हुआ जिस अपराधी की मानसिकता पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सवाल उठा रहे हैं उसे जनता के बीच छोड़कर समाज की सुरक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। इस किशोर अपराधी का बाहर आना व्यवस्था और सरकार की भारी लापरवाही है। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का भी प्रतीक है। सरकार ने न तो अपराधी के अधिकार ही सुनिश्चित किए और न ही पीड़िता के। दिल्ली सरकार अपने अंतर्गत आने वाले सुधार गृहों की निगरानी की बेहतर व्यवस्था अभी तक नहीं कर सकी है। वह न तो मॉनीटरिंग कर पा रही है और न ही यह देख पा रही है कि वहाँ मनोचिकित्सक हैं या नहीं। किशोर न्याय बोर्ड किस तरह काम कर रहा है, इसकी भी कोई समीक्षा उसने नहीं की है। रंजना कुमारी आगे कहती हैं कि क़ानून सामाजिक वास्तविकता देखकर ही बनाए जाते हैं। अगर समाज बदल रहा है और छोटी उम्र के बच्चे भी गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो सज़ा में भी उसी तरह के बदलाव ज़रूरी हैं। इंग्लैंड का उदाहरण देखें तो वहाँ 1993 में दो साल के एक बच्चे की हत्या दस वर्ष के दो कशोरों ने कर दी थी। अदालत ने उन दोनों को दोषी मानते हुए बालिग़ होने तक हिरासत में रखने को कहा। अतः नृशंस हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध बाल अपराध नहीं माने जाने चाहिए। वहीं विपक्ष विचारधारा के लोगों को भय है कि अवयस्कों का इस नए क़ानून के तहत शोषण एवं झूठे मामले में फँसाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। सहमति से संबंध बनाने में उसे रेप के केस में दर्ज़ किया जा सकता है।

दोनों ही पक्षों के तर्क वज़नदार हैं लेकिन क्या क़ानून बनाना मात्र ही समस्या का हल है? यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी। समाज में अपराध को रोका जा सके इसके लिए हमारी राजनीतिक एवं आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार अत्यंत ज़रूरी है। हमारी सोच में बदलाव की ज़रूरत है। बच्चों के अपराधी बनने की ज़िम्मेदारी हम आप पर है। समाज में 'सेक्सुअल क्राइम' बढ़ रहे हैं। आज सेक्स से संबंधित मैसेज अपेक्षाकृत ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभाव बच्चों की ज़िंदगी में बढ़ा है। किशोर इसलिए भी ऐसे अपराध की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उन पर सामाजिक दबाव घट रहा है। पुरुषों और महिलाओं में होने वाले सामाजिक भेदभाव

भी कम उम्र के लड़कों को ऐसे अपराध करने को उकसाते हैं। चूँकि परिवार प्राथमिक विद्यालय होता है, इसलिए उसे सबसे पहले अपने भीतर के इस दोहरे मापदंड को बदलना होगा। समाज में उदार और प्रगतिशील मूल्य मज़बूत करने की जगह हमारे नेता संकीर्ण और अनुदार तत्त्वों की वकालत करते पाए जाते हैं।

यह भी सोचने का विषय है। इसलिए राजनीतिक ही नहीं, समाज के तमाम क्षेत्रों के नेतृत्व को पहले अपने गिरेवान में झाँकना होगा, तभी बेटियों को ज़्यादा सुरक्षा और आत्म-विश्वास मिल सकेगा।

❑

रेनू

गलत जानकारी से चुनाव रद्द : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक महत्त्व के अपने एक फैसले में कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र में कोई गलत जानकारी देता है तो उसका चुनाव रद्द हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए.आर. दवे तथा एल. नागेश्वर राव की खंडपीठ ने मणिपुर कांग्रेस के एक एम.एल.ए. मैरामबम पृथ्वीराज के चुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया क्योंकि उसने चुनाव के समय भरे गए अपने नामांकन पत्र में लिखा था कि वह एम.बी.ए. पास हैं जबकि उसने कोई एम.बी.ए. नहीं कर रखी थी। यद्यपि पृथ्वीराज ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि ऐसी गलत सूचना उनके वकील ने दी थी परंतु न्यायालय ने उसके इस तर्क को नहीं माना और उसका चुनाव रद्द कर दिया।

इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सूचनाएँ पाने का मौलिक अधिकार है और यह सूचनाएँ सार्वजनिक रूप से अंतर्जाल पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि मतदाता जान सकें कि उम्मीदवार का अपराधिक रिकॉर्ड क्या हैं, उसकी शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं अथवा उसकी संपत्ति कौन-कौन-सी है, ताकि उसे मतदान करने में सुविधा हो सके।

इसी संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ''इस न्यायालय ने यह नियम निर्धारित कर दिया है कि मतदाताओं को उम्मीदवार की शैक्षिक अर्हताएँ जानने का मौलिक अधिकार है और लोक प्रतिनिधित्व कानून, नियम और फार्म 26 से भी स्पष्ट है कि उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यताएँ सही रूप से बतानी चाहिए, अन्यथा उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है।''

❑

Anjay Kumar

Study of Key Provisions of the Competition Act 2002

Competition is inherent in the human nature and therefore it must be promoted and protected. Roots of the Competition law very deeply rooted. Competition is a process that requires numerous participants and decentralisation. Indian Competition law may be described as *Magna Carta* of free enterprise. Competition law plays a very important role in the preservation of economic freedom and free enterprise system. Competition law provides a regulative force which establishes effective control over economic activities.

Competition means a struggle or contention for superiority, and in the corporate world, the term is generally understood as a process whereby the economic enterprises compete with each other to secure customers for their product[1]. Competition is a situation in a market in which firms or sellers independently strive for the buyers' patronage in order to achieve particular business objective for example, profits, sales or market share.[2] Competition is an age-old phenomenon and is a kind of market pressure, which must be exerted to penalise the laggards and to reward the enterprising, and in this way to promote economic progress[3].

Competition is a process of economic rivalry between market players to attract customers. Free and fair competition is one of the pillar of an efficient business environment. Infusion of greater degree of competition can play a catalytic role in unlocking of the growth potential in many critical areas of the economy. Competition improves quality, lowers the prices and makes people aware of the attraction of buying a product or service.

Change is the law of nature, therefore law have to change with the changing needs of the society. A law once enacted has to respond the needs of the time. Time change, needs change, but very often the laws

lag behind. It the duty of the State to keep the existing laws up to dates. The old laws have to be altered, amended or replaced, while at times new laws have to be created to replace the existing laws. Indian Competition law[4] was enacted to replace the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (in short, MRTP Act) 1969.

The competition in markets promotes efficiency, encourages innovation, improves quality, boosts choice, reduces costs, and leads to lower prices of goods and services. It also ensures availability of goods and services in abundance of acceptable quality at affordable price. It also act as driving force for building up the competitiveness of the domestic industry. The businesses that don't face competition in indigenous or local markets are less likely to be globally competitive. Competition ensures freedom of trade and prevents abuse of economic power and thereby promotes economic democracy. Thus, competition in markets is good for consumers, business corporate and economy as a whole. Several studies have shown how competition in the markets has enabled the growth process by conserving scarce resources and aiding the growth of economy. To maintain healthy competition in the market producer must follow certain rules. Competition law is the tool through which the government controls and regulates the producers, sellers, distributors, traders or service providers and players in the market.[5]

With the globalization of the world economy, it became necessary to encourage competition to foster speedy economic development. In the pursuit of globalization, India opened its economy by removing control and resorted to liberalisation, privatisation and globalization. This resulted in the gearing up of Indian market to face competition from outside world. Also the '*old*' MRTP Act had become obsolete in certain respects in light of international economic developments relating to competition laws. So there arose a need to shift our focus from curbing monopolies to promote completion. In this context, these changes necessitated the enactment of Competition Act, 2002, with a view to put restraint on the unhealthy commercial practices, curb the monopolies and encourage competition in Indian market. Due to new economic policy paradigm, India has chosen to enact a new competition law called the Competition Act, 2002. The 'old' MRTP Act has metamorphosed into the '*new*' law, The Competition Act, 2002. The Indian Competition law repealed the MRTP Act. Competition Law for India was triggered by Articles 38 and 39 of the Constitution of India.

Key Components of Competition Act : There are four substantive provisions of the Competition Act which are Prohibition of the Anti-Competitive agreement (ACA)[6], Prohibition of Abuse of Dominance Position (ADP)[7], Regulation of Combination-Mergers and Amalgamations, Acquisitions and Takeovers (MAAT)[8] and Competitive Advocacy (CA). These provisions can further be sub-divided into behaviour-oriented[9] and structure oriented[10].

1. Anti-competitive Agreements : Those agreements which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India (AAECI, in short). The enterprises enter into agreements, which may have the potential of restricting competition. A fair competition among pool of suppliers of goods or service providers stabilizes the prices at a reasonable level. The suppliers of goods or service providers who are in a position to manipulate the market strive to maintain their profits at pre-determined level. They seek to achieve this through various means. Agreements for price-fixing, limiting supply of goods or services, dividing the markets, sharing the source of production etc., are the usual modes of interfering with the process of competition. Where competition is adversely affected to an appreciable extent, such agreements would be of anti-competitive in nature.

A deep scan of the Indian competition law and chapter II of the act, in particular shows that there can be two types of these agreements viz. the horizontal and vertical agreements. The horizontal agreements are those among competitors[11] and the latter, namely the vertical agreements are those relating to an actual or potential relationship of purchasing or selling to each other. Cartel is a pernicious type of horizontal agreements is the. Vertical agreements[12] are pernicious too, if they are between firms in a position of dominance. Most competition laws view vertical agreements generally more leniently than horizontal agreements, as, prima facie, horizontal agreements are more likely to harm fair competition than agreements between firms in a purchaser - seller relationship. It is an agreement between enterprises dealing in the same product or products. Such horizontal agreements, which include membership of cartels, are presumed to lead to unreasonable restrictions of competition and are therefore, presumed to have an appreciable adverse effect on competition. In other words, they are *per se* illegal and shall be void[13]. The underlying principle in such presumption of illegality is that the agreement in question have an appreciable anti-competitive effect.

Outline of the terms used in Section 3:

a. Agreement : The meaning of agreement is an inclusive one and covers not only agreement as understood in the conventional sense as given in the Indian Contract Act, but any ''arrangement' or 'understanding' or 'action in concert'. The expression 'action in

concert' is less formal than 'arrangement' or 'understanding'. Even if parties to the agreements are not intending their arrangement, understanding or action to be enforceable by legal proceedings, it would still be an agreement for the purposes of the Act.[14]

b. **Appreciable adverse effect on competition within India :** An agreement is anti-competitive, if it causes or is likely to cause adverse effect on the competition. The 'appreciable adverse effect on competition' has not been defined under the Act, every case has to be examined individually and facts considered peculiar to business.[15] The 'appreciable adverse effect on competition' embraces acts, contracts, agreements or combinations which operate to the prejudice of the public interests by unduly restricting competition or unduly obstructing due course of trade. Public interest is the first consideration. It does not mean interest of the industry.[16] The Commission shall, while determining whether an agreement has an appreciable adverse effect on competition under section 3, have to pay due regards to all or any of six factors defined under cl. (a) to (f) of Ss. (3) of Section 19 [17].

c. **Cartel :** The three ingredients of 'Cartel' are a) an agreement which includes arrangement or understanding, b) agreement is amongst producers, sellers, distributors, traders or service providers i.e. the parties are engaged in similar trade of goods or provisions of service, c) agreement aims to limit, control or attempts to control the production, sale or price of, trade in goods or provisions of service.[18] In *Union of India* v. *Hindustan Development Corporation*[19] Supreme Court held that '*Cartel'* is an association of producers who by agreement among themselves attempt to control production, sale and price of the product to obtain a monopoly in any particular industry or commodity.

d. **Enterprise :** What is an enterprise for the purpose of Competition Act, 2002 is defined under section 2(h). It can be either be a 'person' or 'department of the government carrying on an economic activity in the supply of goods or services. The term enterprise does not include any activity of the Government relatable to the sovereign functions of the Government including all activities carried on by the departments of the Central Government dealing with atomic energy, currency, defence and space. Also, under section 54 the Central government can exempt an enterprise from the application of the Act

e. **Person:** The term person has been defined very widely and it would cover every conceivable entity.[20]

2. Abuse of Dominance : Dominant Position has been defined in section 4 the Act in terms of the position of strength, enjoyed by an enterprise, in the relevant market, within India, which enables it to (i) operate independently of competitive forces prevailing in the relevant market; or (ii) affect its competitors or consumers or the relevant market, in its favour. No enterprise shall abuse its dominant position.[21] Dominant position is abused when an enterprise imposes unfair or discriminatory conditions in purchase or sale of goods or services or in the price in purchase or sale of goods or services. Again, the philosophy of the Competition Act is reflected in this provision, where it is clarified that a position of monopoly *per se* is not against public policy rather, the use of the monopoly status such that it operates to the detriment of potential and actual competitors is prohibited. The Act does not prohibit or restrict enterprises from coming into dominance. There is no control whatsoever to prevent enterprises from coming into or acquiring position of dominance. The Act prohibits the abuse of that dominant position. The Act therefore, targets the abuse of dominance and not dominance per se. This is indeed a welcome step, a step towards a truly global and liberal economy. Dominance *per se* is not considered bad under competition law in any jurisdiction; however, abuse of such dominance constitutes an anti-competitive practice. The acts of abuse of dominance position set out in cl. (a) to (e) of Ss. 2 of sec. 4 of the Act.[22]

3. Combinations Regulation : The Competition Act also is designed to regulate the operation and activities of combinations, a term, which contemplates acquisitions, mergers or amalgamations. Thus, the operation of the Competition Act is not confined to transactions strictly within the boundaries of India but also includes such transactions involving entities existing and established overseas or affects within India. Combinations, in terms of the meaning given to them in the Act, include mergers, amalgamations, and acquisitions.

Control on Anti-competitive Combinations

The competition Act requires that a prior notice has to be given to the commission by a party proposing to enter into a combination.[23] No combination shall come into effect until 210 days have passed from the day on which the notice has been given to the commission or the Commission has passed orders under section 31, whichever is earlier.[24] The notice given shall be dealt with in accordance with sections 29, 30 and 31 of the Act.[25] The provisions of Section 6 shall not apply to share subscription or financing facility or any acquisition, by a public financial

institution, foreign institutional investor, bank or venture capital fund, pursuant to any covenant of a loan agreement or investment agreement.[26] The public financial institution, foreign institutional investor, bank or venture capital fund, referred to in sub-section (4), shall, within seven days from the date of the acquisition file such details, as may be prescribed by the Commission.[27]

Combinations and Appreciable Adverse Effect on Competition : After the monetary threshold limits have been crossed by a combination, as per section 5 (a) or (b) or (c), the next test to be applied is to see whether that combination is one which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within in the relevant market in India. The act clearly says that 'No person or enterprise shall enter into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India and such a combination shall be void'.[28] The first step in examining whether a combination has any adverse effect on competition within the relevant market in India is to define the relevant market and market for the product or service.[29] In essence, homogeneity is the test in identifying a geographical market and interchangeability is the test in defining a market for a product or service.[30] Defining a market means identifying the structure of the market for the relevant product or service, viz. the supplies and their shares of the market and the conditions of supply. The commission will consider the factor given in section 19 (6) and (7).

Evaluating a Combination : The question whether a combination is likely to cause or has actually caused an appreciable effect on competition within the relevant market in India is a question of fact to be determined in each case. Section 20(4) sets out the factors that are to be considered be the Commission in determining whether a combination would have the effect of, or is likely to have an appreciable adverse effect on competition in the relevant market. The 'relevant market' is the area of effective competition, within which the defendant operates.[31] Any benefits that arise from the combination which outweigh the adverse impact of the combination are to be considered.

4. Competition Advocacy : The Competition Commission of India, in terms of advocacy provisions in the Act, is enabled to participate in the formulation of the country's economic policies and to participate in the reviewing of laws related to competition at the instance of the Central Government. Commission is required to take measures for promotion of Competition Advocacy, creating Awareness and imparting Training about competition issues.[32] Advocacy means competition promotion through non-enforcement measures. For promotion of competition advocacy and creation of awareness about competition issues, the Commission undertake appropriate programmes, activities. Encourage and interact with the organizations of stakeholders, academic community etc. to undertake activities, programmes, studies, research work, etc. on competition issues; Competition advocacy creates a culture of competition. There are many possible valuable roles for competition advocacy, depending on a country's legal and economic circumstances. The Regulatory Authority under the Act, namely, Competition Commission of India (CCI), in terms of the advocacy provisions in the Act, is enabled to participate in the formulation of the country's economic policies and to participate in the reviewing of laws related to competition at the instance of the Central Government. The Central Government can make a reference to the CCI for its opinion on the possible effect of a policy under formulation or of an existing law related to competition. The Commission will therefore be assuming the role of competition advocate, act proactively to bring about Government policies that lower barriers to entry into buisnesses, that promote deregulation and trade liberalisation and that promote competition in the market place. Perhaps one of the most crucial components of the Competition Act is contained in a single section under the chapter entitled competition advocacy.

Intellectual Property Rights (IPR) and Competition law : The relationship between competition law and IPR is often referred as "unhappy marriage" since IPR chooses the limitations, where the competitors may exercise legal exclusiveness. The objective of the former is to provide an incentive to enterprises and individuals who innovates. IPR can harm the consumers because it results in setting the prices at a higher rate.[33] While reasonable use of IPRs stand exempted from the rigours of Section 3 related to anti-competitive agreements, Section 4 shall stand applicable equally to IPR holders provided such rights are considered by the Commission to render the holder a dominant player in the relevant market.

There is conflict between the objectives of IPR and Competition law.[34] The later maximizes the social welfare by condemning the monopolies while, former does the same by granting temporary monopolies (exclusivicity). The prohibition on horizontal and vertical agreements do not restrict the right of any person to impose reasonable restrictions to protect any of his rights under the Copyright Act, the Patents Act, the Trade and Merchandise Marks Act, Designs Act.

Rule of reason : The *rule of reason* is a legal approach where an attempt is made to evaluate the pro-competition features of the restrictive

business practice against its anticompetitive effect in order to decide whether or not the practice should be prohibited.[35] Under the *rule of reason,* the effect on the competition is found on the facts of a particular case, and its effect on the market condition.[36] However, for certain kinds of agreements, the presumption is generally that they cannot serve any useful or pro–competitive purpose. Because of this presumption, the law makers do not subject such agreements to the "rule of reason" test.[37] They place such agreements in the *per se* category. The Act presumes that the four types of agreements between enterprises, involved in the same or similar manufacturing or trading of goods or provision of services have an appreciable adverse effect on competition, they are agreements regarding prices, agreements regarding market sharing, qualities and quantities, bids[38] (collusive bidding or bid rigging).

Rule of Per Se : Rule of *Per se* means finding illegality on the face of an agreement or practice. Horizontal agreements[39], which include membership of cartels, are presumed to lead to unreasonable restrictions of competition and are therefore, presumed to have an appreciable adverse effect on competition[40]. In other words, they are illegal per se. A per se illegality would mean that there would be very limited scope for discretion and interpretation on the part of the prosecuting and adjudicating authorities. The underlying principle in such presumption of illegality is that the agreements in question have an appreciable anti-competitive effect. The vertical agreements will not be subjected to the rigours of competition law. However, where a vertical agreement has the character of distorting or preventing competition, it will be placed under the surveillance of the law. For instance, the following types of agreements, inter alia, will be subjected to the "rule of reason" test. The Act lists the following factors to be taken into account for adjudicatory purposes to determine whether an agreement or a practice has an appreciable adverse effect on competition[41], namely, creation of barriers to new entrants in the market, driving existing competitors out of the market, foreclosure of competition by hindering entry into the market, accrual of benefits to consumers, improvements in production or distribution of goods or provision of services, and promotion of technical, scientific and economic development by means of production or distribution of goods or provision of services.

Conclusion : Law is an instrument to regulate human behaviour, be it social life or business. With emergence of liberalisation, privatization and globalization, the role of competition law has increased and competition law was introduced to ensure a fair competition in the market. Whenever there is competition there is a likelihood of unfair means. Violation of the rules of the game is the essence of unfair competition and it is the nature of the competition that determines those rules. The proposed Competition Law may be said to be flexible and behaviour oriented. The Act is a 'new wine in a new bottle'. As wine gets better as it ages. The extent MRTP Act, 1969 has aged for more than three decades and has given birth to the new law (the Act) in line with the changed and changing economic scenario in India and rest of the world and in line with the current economic thinking comprising liberalization, privatization and globalization.

Healthy competition amongst the market players leads to maximization of consumer welfare and benefit. Cheap or low price is not the only criteria of competitiveness but simultaneously the consumer should get value for his money in the form of superior quality, utility, ample choice, prompt post sales service, and other relevant benefits depending upon the peculiar nature of the goods or service. This in turn would lead to enhance the consumer satisfaction over the product or service of the competitor supplier. In absence of strict regulatory measures, the suppliers will try to dominate market and exploit the consumers. The law will serve the purpose only if it is made independently, runs independently and is less expensive. Here lies the key to understanding the Competition Act. The intent of the legislation is not to prevent the existence of a monopoly across the board. Competition law is mechanism to counter cross border economic terrorism. Indian Competition law was designed to be a comprehensive charter of economic liberty aimed at preserving free and unfettered competition as the rule of trade and unrestricted interaction of competitive forces will yield the best allocation of economic resources of the country the lowest prices, the highest quality and greatest material progress.

❑

Reference

1. See Statement of Objects and Reasons of the Competition Bill, 2001.
2. Ignacio De Leon, *An Institutional Assessment of Antitrust Policy: The Latin American Experience* xxxviii (Kluwar Law International 2009)
3. http://www.legalservicesindia.com/article/print.php?art_id=602 accessed on 12-01-2015
4. The Competition Act, 2002
5. http://antitrust.oxfordjournals.org/content/1/1/162.full accessed on 12-3-2016
6. The Competition Act, 2002, sec.3
7. The Competition Act, 2002, sec.4

8. The Competition Act, 2002, sec. 5 and 6
9. Anti-Competitive agreement (ACA), Prohibition of Abuse of Dominance Position (AD)
10. Mergers and Amalgamations, Acquisitions and Takeovers (MAAT)
11. Horizontal Agreements: These are between and among competitors who are at the same stage of production, supply, distribution, etc. These are presumed to be illegal. Examples: cartels, bid rigging, collusive bidding, sharing of markets, etc.
12. Vertical Agreements: Vertical Agreements are between parties at different stages of production, supply, distribution, etc. These are not presumed illegal; are subject to rule of reason. Examples: tie-in arrangements, exclusive supply/distribution agreements, refusal to deal, resale price maintenance.
13. *Cl.* (2) of Sec. 3 of the Competition Act, 2002.
14. Sec.2(b) of the competition Act, 2002 says that "agreement" includes any arrangement or understanding or action in concert, —
    (i) whether or not, such arrangement, understanding or action is formal or in writing; or
    (ii) whether or not such arrangement, understanding or action is intended to be enforceable by legal proceedings;
15. Board of Trade of the City of Chicago v. US, 246 US 231
16. *Haridas Exports* v. *All India Float Glass Manufacturers Association*, (2002) 111 Comp. Cas. 617 (SC)
17. (a) creation of barriers to new entrants in the market;(b) driving existing competitors out of the market;(c) foreclosure of competition by hindering entry into the market; (d) accrual of benefits to consumers;(e) improvements in production or distribution of goods or provision of services;(f) promotion of technical, scientific and economic development by means of production or distribution of goods or provision of services.
18. Sec. 2(c) "cartel" includes an association of producers, sellers, distributors, traders or service providers who, by agreement amongst themselves, limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or price of, or, trade in goods or provision of services;
19. (1994 AIR 988: 1993 SCR (3) 128.
20. Section 2(l) says "person" includes— an individual; a Hindu undivided family; a company; a firm; an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India; any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India; a co-operative society registered under any law relating to cooperative societies; a local authority; every artificial juridical person, not falling within any of the preceding sub-clauses;
21. The Competition Act, 2002, Section 4 (1)
22. imposes unfair or discriminatory conditions or price, limiting or restricting production of goods or provision of services or market; technical or scientific development relating to goods or services or, indulges in practice or practices resulting in denial of market access, conditional contract have no connection with the subject of such contracts; or using dominant position in one relevant market to enter into, or protect, other relevant market.
23. The Competition Act, 2002, sec 6(2)
24. The Competition Act, 2002, sec 6(2A)
25. The Competition Act, 2002, sec 6(3)
26. The Competition Act, 2002, sec 6(4)
27. The Competition Act, 2002, sec 6(5)
28. The Competition Act, 2002, sec 6(1)
29. The Competition Act, 2002, sec 2(r), (s), (t)
30. T. Ramappa, *Competition Law in India Policy, Issues and Developments* 231(Oxford University Press New Delhi 3rd Edn.)
31. *Standard Oil Co. of Californinia & Others* v. *U.S.* 293
32. The Competition Act, 2002, sec 49(3)
33. Kundu, Abhipsita, '*Owners' Right versus Owners' Monopoly: The IPR Competition Interface*'. CNLU Law Journal, Volumes, 3 (2013):60
34. IPR laws creating monopolistic rights, whereas competition law battles or counters it.
35. World Bank: Glossary of Industrial Organisation, Economics and Competitive Law.
36. T. Ramappa, *Competition Law in India : Policy, Issues, and Developments* 93 (Oxford University Press, 3rd edn., 2014)
37. *Standard Oil Co. of New Jersey* v. *US* [1911] 221US 1, *Board of Trade of City of Chicago* v. *US* 246 US (1918), *TELCO Ltd* v. *Registrar of Restrictive Trade Agreements* (1997) 2 SCC55
38. These include tenders submitted as a result of any joint activity or agreement.
39. The Competition Act, 2002 s. 3(3)
40. *Dry Stone Pipe & Steel* v *US* 175 U.S. 211 (1899), *Northern Pac. R. Co.* v *United States,* 356 U.S. 1, *Jefferson Paris Hospital Distt. No 2* v. *Hyde* 466 U.S. 2 (1984)
41. The Competition Act, 2002 s.19(3)

राजेंद्र

भारत में सूचना का अधिकार : लोकतंत्र की ताक़त के रूप में

भारत में सूचना का अधिकार भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित 'हम भारत के लोग' की भावना को उद्घोषित, परिभाषित एवं सार्थक साबित करता है, तथा यह भी साबित करता है, कि लोकतंत्र की असली मालिक भारत की जनता ही है। नेता हो, चाहे अधिकारी या कर्मचारी, वे केवल जनता के सेवक हैं, और सेवकों को अपने मालिक के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान हमें सूचना का अधिकार प्रदान करता है तथा उन अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार कर्त्तव्यबद्ध हैं। ये अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं, इन मौलिक अधिकारों में कुछ महत्त्वपूर्ण भी हैं, जो हमें सूचना का अधिकार देते हैं। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(a) में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त मूल कर्त्तव्य के रूप में यह अनुच्छेद 51(A) में भी सम्मिलित है।

अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें प्रत्येक नागरिक को वाणी एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सर्वप्रथम, उच्चतम न्यायालय ने **राज नारायन बनाम उत्तर प्रदेश** के मामले में यह कहा कि जब तक लोगों को जानकारी न हो वे न तो बोल सकते हैं अथवा न ही अपने को अभिव्यक्त ही कर सकते हैं इसलिए सूचना का अधिकार अनुच्छेद (19(1)(a) में अंतःस्थापित है, और यह भी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोग ही इसके मालिक हैं, इसलिए मालिक को यह जानने का अधिकार है कि सरकारें उनके सेवार्थ किस प्रकार कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नागरिक करों का भुगतान करता है, इसलिए नागरिकों

को यह भी जानने का अधिकार है कि उनके धन को किस प्रकार व्यय किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने **इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ (1985) S.C.C.641** के मामले में यह कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) में जानने का अधिकार (Right to Know) भी शामिल है। इसमें सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएँ जानने का अधिकार भी आता है। केवल अपवादिक दशाओं में जब देश की सुरक्षा अथवा लोक हित में आवश्यक हो, तभी उनका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है।

लोकतांत्रिक सरकार एक खुली सरकार होती है, जिसके विषय में जनता को जानने का अधिकार होता है, और जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आज लोकतंत्र में ज़रूरत है आम नागरिकों की जागरूकता की जो अपने मौलिक अधिकारों और दायित्वों को गहराई से जानें और समझें।

अब्राहम लिंकन का यह कथन ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सही जानकारी से युक्त जागरुक जनता के सामने हर चुनौती और चट्टान छोटी पड़ जाती है, जानकारी न होने से लोकतंत्र ध्वस्त व तितर-बितर हो जाता है।

जनता के लंबे संघर्ष से बने सूचना का अधिकार क़ानून 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुए कई वर्ष पूरे हो गए, विगत वर्षों में बहुत कुछ प्राप्त हुआ। भारत की जनता ने इस क़ानून को मूर्त रूप देने के लिए कड़ी मेहनत की है। भारतीय नागरिकों के हाथ में दिया गया सूचना का अधिकार विशेष प्रकार का एक शक्तिशाली हथियार और लोकतंत्र की ताक़त है।

सर्वप्रथम राजस्थान सूचना के अधिकार के जन संघर्ष का शुरुआती केंद्र रहा है, और जन सुनवाई की भी जन्मस्थली राजस्थान ही रहा है। मज़दूर किसान शक्ति संगठन ने सन् 1994 में पाली जिले की कोट किराणा पंचायत से विकास कार्यों की पहली जन सुनवाई की थी, जिसमें यह साबित हुआ था कि विकास ख़र्च का काफ़ी हिस्सा बिचौलियों की जेब में जा रहा है। इसके बाद कई जन-सुनवाइयाँ आयोजित होने लगीं, भ्रष्टाचार उजागर हुआ, बाद में चलकर राज्य में सूचना के अधिकार का क़ानून बना।

भारत युवाओं का देश है, देश की आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। ऐसे में देश की किसी भी योजना को कामयाब बनाने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी, पहली और ज़रूरी शर्त होती जा रही है। यह दूसरी बात है कि देश के असंख्य युवाओं के सामने भविष्य को लेकर स्पष्ट योजना नहीं है, बेरोज़गारी, भुखमरी और अभाव से जूझते युवा वर्ग को देश की राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था में कोई ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया है, यही वजह है कि युवा वर्ग न तो देश की चुनावी व्यवस्था

में भागीदारी करने को इच्छुक दिखता है और न ही सरकारी योजनाओं से ही कोई उम्मीद दिखती है, लेकिन सूचना का अधिकार इसका अपवाद साबित हुआ है।

सूचना के अधिकार को कामयाब बनाने के लिए देश भर के युवा सामने आ रहा है जब से यह क़ानून लागू हुआ है, इस क़ानून के प्रति युवाओं की भागीदारी आश्चर्यपूर्ण ढंग से ज़्यादा देखने को मिल रही है। सन् 2008 में जारी हुए एक आकलन के मुताबिक़ देश के ग्रामीण इलाके में आ रहे सूचना के अधिकार आवेदनों में 31 फीसदी और शहरी इलाकों में आ रहे 26 फीसदी आवेदकों की उम्र 35 वर्ष से कम है

इसका बख़ूबी एहसास तब होता है, जब देश भर में सूचना के अधिकार क्रांति से जुड़े संगठनों और आंदोलनों के क़रीब जाते हैं, चाहे वह राजस्थान का आंदोलन हो, या फिर पश्चिम बंगाल, गुज़रात, उत्तर प्रदेश का, आपको हर जगह युवाओं की फ़ौज नज़र आती है।

शहरों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि ज़्यादातर युवा शैक्षणिक संस्थाओं से जवाब तलब करते हैं, इस दावे में दम भी नजर आता है क्योंकि हाल के दिनों में इस क़ानून की मदद से कई अहम बदलाव भी देखने को मिले हैं। इसी क़ानून के इस्तेमाल से संघ लोक सेवा आयोग को अपने विवादास्पद चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करना पड़ा। आई.आई.टी. को भी इसी क़ानून के तहत अपने यहाँ नामांकन के लिए ज़रूरी कट ऑफ मार्क्स को बताना पड़ा। सूचना के अधिकार क़ानून के चलते ही दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने बजट को अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ा। भोपाल के सरकारी इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों ने भी इस क़ानून का उपयोग करके अपने यहाँ शुल्क के ढाँचे और अनुदान के वितरण की माँग की थी। जब कि शिमला और इम्फाल के लोगों ने सूचना के अधिकार रूपी हथियार का उपयोग करके अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति में धाँधली पर रोक लगाई है।

'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोज़गार योजना', यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इस क़ानून का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भारत के गाँवों में 60 फीसदी से ज़्यादा लोग युवा हैं, और वे अपने रोज़गार की मज़दूरी के लिए इस योजना का सहारा ले रहे हैं। इस योजना में सबसे ज़्यादा बाधा सरकारी तंत्र ही करता है, इसके बावजूद युवाओं का उत्साह कहीं से कम नहीं दिख रहा है। यह क़ानून देश के लिए जादू की छड़ी साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र 23 वर्ष के आदिल हुसैन ने इस क़ानून का प्रयोग विश्वविद्यालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया है।

युवाओं की सक्रियता को देखते हुए पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, वजाहत हबीबुल्ला

भी बहुत खुश हैं। वे कहते हैं, आजकल हर तरफ़ प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, युवा कहीं ज़्यादा आज़ाद ख़्याल का हो रहा है, इससे सूचना के अधिकार क़ानून का उपयोग का दायरा निश्चित रूप से बढ़ रहा है। युवाओं की सक्रियता से साफ़ है कि क़ानून के प्रयोग से उन्हें कई समस्याओं का समाधान सामने नज़र आने लगा है।

यह क़ानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है। इतने अल्प अवधि में यह क़ानून जन-जन में कितना लोकप्रिय हो गया है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस क़ानून की जानकारी पढ़े लिखे लोगों के साथ ही निरक्षर एवं आम लोगों को भी है और सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस क़ानून का डर भी सता रहा है।

आज विश्व के लगभग 85 देशों में यह क़ानून लागू है और अन्य बाकी दूसरे देश भी इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पिछड़ा माने जाने वाला चिली, युगांडा इत्यादि देशों के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त करने कें लिए क़ानूनी अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में यह क़ानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं है, लेकिन वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उमर अब्दुल्ला ने इसकी लोकप्रियता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में भी लागू करने की पहल की थी।

सूचना का अधिकार सर्वप्रथम विश्व में स्वीडन में लागू हुआ था और अमेरिका जैसे विकसित देश में इस क़ानून को देश का सर्वश्रेष्ठ क़ानून का दर्ज़ा प्राप्त है, और इसे सनसाइन क़ानून के नाम से जाना जाता है, और इस क़ानून के आधार पर किसी भी तरह की सरकारी जानकारी फ़ोन से प्राप्त किया जा सकती है किंतु पूरे विश्व को सूचना के अधिकार की राह भारत ने ही दिखलाई थी।

भारत में सर्वश्रेष्ठ राज व्यवस्था का उदाहरण राम राज्य माना जाता है राम राज्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक धोबी भी राजा राम से उनके निजी जीवन संबंधी सवाल कर सका और राजाराम ने न केवल उसकी शंका का समाधान किया बल्कि उसके लिए अकल्पनीय त्याग भी कर दिखाया। सूचना के अधिकार क़ानून का इससे बड़ा उदाहरण किसी अन्य देश में नहीं हो सकता है।

भारत में मुगल काल में कई शासकों ने भी अपने महल के बाहर घंटा लटकाने की प्रथा अपनाई थी, जिसे बजाकर एक आम आदमी राजा तक अपनी बात को पहुँचा सकता था। अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं, जब भेष बदल कर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए राजा स्वयं जाया करते थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से एक ऐसे पात्र श्री नारद की परिकल्पना की गई है, जिसका कार्य ही किसी पीड़ित की समस्या को संबंधित अधिकारी तक पहुँचाने का है, जो उसका निदान करने में सक्षम है। निश्चित

रूप से यह व्यवस्थाएँ सूचना के अधिकार क़ानून से भी कई कदम आगे थी।

अंत में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस क़ानून के प्रयोग के कारण ही भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले उजागर हुए हैं और इसके भय से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी गलत कार्य या भ्रष्टाचार करने से कतराने लगे हैं, इसके प्रयोग से शासन-प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता आ रही है और इस क़ानून का सहारा पढ़े-लिखे जागरूक लोगों के साथ ही निरक्षर एवं वंचित देश का आम नागरिक भी कई क़दम आगे बढ़ कर रहा है।

निःसंदेह निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सूचना के अधिकार क़ानून की मदद से एक बेहतर समाज की स्थापना होगी और देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, शासन-प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता आएगी एवं भविष्य में निश्चित रूप से यह क़ानून लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ मज़बूत ताक़त के रूप में स्थापित होगा। ❑

कविता

डॉ. योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरुण'

प्यार की बातें करें

आइए कुछ प्यार की बातें करें,
बेवजह क्यों मौत से पहले मरें।
हौंसले मन में सलामत हैं अगर,
आइए, क्यूँ मुश्किलों से हम डरें।
ये आँधियाँ, तूफान आएँगे जरूर,
हौंसले सब के दिलों में हम भरें।
ये अँधेरे खुद-ब-खुद मिट जाएँगे।
आइए, अब रोशनी बन हम झरें।
कोई आए या न आए मदद को।
'अरूण' सब के वास्ते अब हम ढरें।

❑

रिंकू गंगवानी

अनुच्छेद 370 : विशेष दर्जे की अलगाववादी मानसिकता

'एक देश में दो निसान, एक देश में दो प्रधान
एक देश में दो विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।'

— डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उपरोक्त वाक्य जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उचित प्रतीत होते है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में है। यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अन्य राज्य के मुकाबले विशेष दर्ज़ा दिया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 प्रारंभ से ही विवादित रहा है और आज भी इसकी स्थिति विवादित है। इस अनुच्छेद को 'अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला' बताया गया है और यह बात सत्य भी है कि जम्मू एवं कश्मीर को हमने केवल प्रावधानों में ही अलग दर्ज़ा नहीं दिया बल्कि हमारी मानसिकता में भी यह विशेष और अलग बन गया है और इसके चलते हम ख़ुद को जम्मू कश्मीर से अलग मान बैठे हैं। यह एक अलगाववाद की मानसिकता है और सिर्फ़ जबकि सच्चाई तो यही है कि जम्मू कश्मीर आज भी भारत का एक अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेगा।

अनुच्छेद 370 की जटिलता के दरअसल दो कारण है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात् जिन नेताओं ने इस संवैधानिक व्यवस्था की रचना की थी (जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था) और इसे पारित करवाया था उन्हें न ही देश के जनमानस का उस समय कोई एहसास था, और न ही जम्मू कश्मीर की जनता की आवश्यकताओं का और न ही उन्हें देश के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की तत्कालीन स्थिति की कोई समझ थी। वे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की स्थिति व इसके गंभीर परिणामों के बारे में अनभिज्ञ थे।

अनुच्छेद 370 इसी उम्मीद पर पारित करवाया गया था कि यह एक अस्थाई व्यवस्था है जो कि धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। परंतु इसके विपरीत कई दलों ने इसकी अपनी मनमानी व्याख्याएँ करके इसको और अधिक जटिल बना दिया। और यह विशेष दर्ज़ा प्राप्त राज्य और उससे जुड़ा यह अनुच्छेद न केवल भारत की जनता के लिए अपितु जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी के लिए भी यह एक अबूझ पहेली बन गया है।

यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनुच्छेद 370 राज्य की संविधान सभा के अभाव में जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान लागू करने की एक तात्कालिक और अंतरिम व्यवस्था थी। कुछ लोगों का तर्क है कि इस व्यवस्था के बावजूद भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद और केंद्रीय क़ानून राज्य पर लागू किए जा चुके हैं, लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर तक कर दिया गया है। इस तर्क से तो अनुच्छेद 370 को रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। परंतु कुछ लोग अब भी इस अनुच्छेद को 'अस्पृश्य' मानते हैं। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर का भारत से विलय इसी अनुच्छेद के अनुसार वैध माना जाता है इसलिए इस अनुच्छेद के साथ छोड़छाड नहीं की जानी चाहिए।

जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इस अनुच्छेद को पारित करवाने का विरोध करने वाले सदस्यों के तर्कों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने आवेश में कहा था कि **'शक्ति संविधान में नहीं, जनता की इच्छा में निहित होती है।'** संभव है जनता की इच्छा से उनका आशय जम्मू एवं कश्मीर की जनता से रहा होगा। अनुच्छेद 370 सिर्फ़ एक विवाद और मीडिया का मुद्दा नहीं है, इसलिए रोज़गार, उद्योग, विकास और सुशासन से वंचित कश्मीरी समाज को यह बताने की ज़रूरत है कि उनके विकास में यह अनुच्छेद सबसे बड़ी बाधा बन गया है, और इस बाधा को तोड़ने की आवश्कयता है। देश और राज्य को यह बताने की आवश्कयता है कि यदि भारतीय संविधान का कोई अनुच्छेद बहस से परे नहीं है तो अनुच्छेद 370 भी नहीं है। एक प्रख्यात पत्रकार और विचारक जवाहर लाल कौल के अनुसार यह बहस जितनी व्यापक और बहुआयामी होगी उतनी जम्मू कश्मीर की जनता को भी सुशासन और सही लोकतंत्र का हक़ है जो बहस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति से ही संभव हैं, अनुच्छेद 370 का डर दिखा कर जनता के मुँह पर ताले लगाने से कदापि संभव नहीं। यह बात अनुच्छेद 370 के बारे में रोचक है कि अगर संविधान सभा की बहस के बारे में देखा जाए तो जिन प्रावधानों के बारे में सीमित और सबसे छोटी बहस हुई है, वह अनुच्छेद 370 था। यह विचार योग्य है कि तैयार होते वक्त इस पर जितनी कम बहस हुई, बनने के बाद अब तक यह एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति

जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न भाग है किंतु कुछ ऐतिहासिक कारणों से उसे अनुच्छेद 370 के अधीन एक विशेष सांविधानक दर्ज़ा दिया गया है। ऐसा भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप है, जिसके अंतर्गत वहाँ के तत्कालीन शासक महाराजा हरिसिंह ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। 15 अगस्त, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र हो गया था। किंतु जब पाकिस्तानी सेनाओं ने इस राज्य पर आक्रमण किया तो महाराजा हरिसिंह ने भारत से सहायता माँगी और भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए 26 अक्टूबर, 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया। यद्यपि उसी समय जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न भाग बन गया, किंतु इस समझौता की वहाँ की जनता ने अपनी संविधान सभा के प्रवर्तन के समय इस राज्य की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न रखी थी, इसी कारण अनुच्छेद 370 को संविधान में समाविष्ट करने की आवश्यकता पड़ी। यद्यपि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक भाग है और प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यों की सूची में सम्मिलित है किंतु निम्नलिखित मामलों में उसकी स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है :--

1. जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है और उसके उपबंधों के अनुसार इसका प्रशासन चलता है। अन्य राज्यों के प्रशासन संबंधी उपबंध इस राज्य पर लागू नहीं होते हैं।
2. इस राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार से परामर्श करके यह घोषित करे कि वे अधिमिलन पत्र (Instrument of Accession) में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुरूप है।
3. संसद की विधि बनाने की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार की सहमति से आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे अर्थात् अन्य विषयों पर विधि राज्य सरकार की सहमति से ही बनाई जा सकती है।
4. अनुच्छेद 370 (1)(घ) में यह उपबंध है कि ऐसे अन्य उपबंध उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे अपवादों और उपांतरणों (modifications) के अधीन उस राज्य में लागू होंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ऐसे आदेश जो (1) उपखंड (ख) के पैरा (1) में विनिर्दिष्ट राज्य के अधिमिलन पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित है उस राज्य की सरकार के परामर्श के बिना तथा (2) जो अधिनियम पत्र में

विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से संबधित है राज्य सरकार की सहमति के बिना जारी नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों को उन उपांतरणों के साथ उस राज्य में लागू कर सकता है जिसे यह उचित समझे। (**पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति, A.I.R. 1961 SC 1519**) राष्ट्रपति ऐसे उपबंधों में बाद में भी संशोधन या उपांतरण कर सकता है। (**संपत प्रकाश बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, AIR. 1970 SC 118**)

5. अनुच्छेद 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने समय-समय पर आदेश जारी करके संविधान के अनेक उपबंधों को उस राज्य में लागू किया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर को लागू होना) आदेश 1950 जारी किया। इस आदेश को अधिक्रांत (Supersede) करते हुए संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश 1954 जारी किया है। इस आदेश में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है। यही आदेश उस राज्य की सांविधानिक स्थिति के अधिकांश विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति को जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू कर दिया गया है। 1954 के आदेश को समय-समय पर संशोधित करने से संविधान के अनेक उपबंधों को उस राज्य में लागू किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत में संविधान निर्माण हेतु बनी संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के 4 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 25 नवंबर, 1949 को डॉ. कर्ण सिंह ने घोषणा कर भारत के संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 15वें नंबर का राज्य जम्मू-कश्मीर है। अगर जम्मू कश्मीर के संविधान को समझना हो तो 26 जनवरी, 1957 में जम्मू-कश्मीर का जब नया संविधान लागू हुआ उसकी प्रस्तावना की पहली पंक्ति में लिखा है कि "We the people of State of Jammu & Kashmir, Having Solemnly resolved, in pursuance of accession of this State to India which took place of twenty sixth day of October, 1947 to further define the existing relationship of the state with the union of India as an integral part thereof" एकदम स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर के संविधान में अनुभाग 3 भी यह कहता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा (Jammu & Kashmir is and shall be an integrat part of India) उसी का अनुभाग स्पष्ट कहता है कि "the execution and legislation power of the state extends to all matters except those with respect to which partiament has power to make laws for the state under the Provisions of the Constitution of India" जिसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संसद सर्वोच्च है।

मूल्याकंन

वास्तविकता यही है कि जम्मू-कश्मीर को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, जो कि सबसे महत्त्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 वास्तव में कोई विशेष दर्ज़ा या शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 370 वास्तव में एक प्रक्रिया है जो मात्र एक अंतरिम व्यवस्था थी। मैं अनुच्छेद 370 के लिए सिर्फ़ यही बताना चाहूँगी कि यह एक अलगाववादी मानसिकता है जिसे हमने अपने मस्तिष्क में जगह दी है। और जब तक यह मानसिकता हमारे दिमाग़ में रहेगी तब तक इस विवाद पर शांति का चिह्न लगा पाना मुश्किल है। इससे पहले कि इस मुद्दे के साथ राजनीति, सेक्यूलर-नॉन सेक्यूलर या आतंकवाद जैसे तमाम अन्य मुद्दे जोड़ दिए जाए इसे शांति से समझकर सुलझा लेना चाहिए एवं विकृत मानसिकता को यहीं विराम देना चाहिए।

❑

संदर्भ

- www.wikipedia.org
- भारत का संविधान, जय नारायण पांडेय
- भारत का संविधान, डी.डी बसु
- Article 370', A discussion - Jammu Kashmir study center

डॉ. निशा केवलिया शर्मा

माँगती हूँ जवाब

मैं स्त्री हूँ, तो मैं क्या करूँ
मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ
मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ
इन रूपों में मैं ज़िम्मेदार हूँ
संस्कारों की शिक्षा की, संस्कृति की, सम्मान की
करती हूँ सृजन, देश के भविष्य का
करती हूँ निर्माण, देश के सम्मान का
बनती हूँ अन्नपूर्णा, देती हूँ सौष्ठव
माँगती हूँ जब सम्मान, माँगती हूँ जब अधिकार
जो प्रकृति प्रदत्त है, फिर भी उसे माँगती हूँ
इस पुरुष प्रधान समाज के मान के लिए

देता है समाज कुछ शिक्षा अपने प्रथम शिक्षक को
सुनो तुम बड़ी हो गयी हो
देहरी पर मत खड़े रहो
सुनो तुम माँ हो, नियंत्रित रहो
सुनो तुम महिला हो, यू खुली ना घूमो
अगर, नहीं माना तो?
होगा तंदूर कांड होगा भूमि कांड, होगा फिर चीर हरण
जी ना सकेगी कोई निर्भया, सुषमा, कोई रूप कुँवर, नुपुर
जी ना सकेगी कोई माँ, बेटी, बहन, बहू
क्योंकि स्त्री द्वारा सृजित समाज कहेगा
हमने कहा था यूँ खुली मत घूमो नियंत्रण में रहो
तो मैं क्या करूँ?
मुझे पसंद है, घूमना, गाना, खिलखिलाना
मुझे पसंद है, उन्मुक्त घूमना पसंद है शृंगार
मुझे अधिकार है इसका, मुझे अधिकार है ख़ुश रहने का
लेकिन यहाँ सज़ा है स्त्री होना, यह मुझे पसंद नहीं
मुझे गर्व है अपने स्त्री होने पर
तो मैं क्या करूँ? मैं स्त्री हूँ
अगर समाज को पसंद नहीं मेरा स्त्री होना
तो मैं क्या करूँ
समाज को पसंद नहीं मेरी स्वतंत्रता
तो मैं क्या करूँ
क्या कर लोगे निर्माण देश के भविष्य का
मेरे बिना?
क्या कर लोगे निर्माण स्वस्थ समाज का
मेरे बिना?
क्या दिला दोगे सम्मान देश को
मेरे बिना
क्या उपजा लोगे अन्न मेरे बिना?
क्या कर लोगे सृजन मेरे बिना?

❑

Indira Jai Singh

I was Sexually harassed in the Corridors of the Supreme Court

Indira Jaising is a woman who anyone would think more than twice before messing with. She has a reputation for being formidable—as a lawyer and also as a legal activist. She is India's first woman additional solicitor-general and the first-ever woman to become senior advocate in the 154-year-old Bombay High Court. Yet, she was sexually harassed—that, too, in the precincts of the Supreme Court. Sexual harassment, Jaising says in an interview with THE WEEK, is the "hidden dirty secret" of the legal profession in India, faced not just by women lawyers but even women judges. Excerpts:

Are the Indian judiciary and the bar patriarchal?

Highly patriarchal, in many ways. There is no enabling environment in the courts for a woman lawyer. This is driving out women from the profession. There is another very important issue—of sexual harassment of women, both lawyers and judges. I am fighting a case of a woman judge who had to resign after she complained against another judge for having sexually harassed her. This is the hidden dirty secret of the legal profession. Women lawyers and even judges are sexually harassed. There are two well known cases of these two interns who were [allegedly] sexually harassed by judges in the Supreme Court. If this is the position of two interns working with Supreme Court judges, I cannot imagine the real extent of the problem.

How rampant is this malaise?

Even now, I experience abuse from male colleagues. They say 'Oh, that woman is so aggressive', or they refer to me as 'that woman', not bothering to even call me by my name.... Sexual harassment is not related to age. I have experienced it at my age. I have been subjected to sexual harassment in the corridors of the Supreme Court. It happened a couple of years ago. It is a busy place and it is normal for people to bump into you. But, you know when it is accidental and when it is deliberate. It was another senior male lawyer. I did not make any complaint, but I stopped him then and there and confronted him about it. I feel it is an adequate way of dealing with it. So, I had to experience it, despite my seniority in the profession and despite my age. Women lawyers and judicial officers who are junior are definitely more vulnerable.

Don't these problems exist in other professions, too?

Yes, but there is a difference. If a woman government employee is sexually exploited, the government is under obligation to redress her complaint. A woman lawyer is self-employed. It is like being in the unorganised sector. And junior women lawyers are dependent on seniors. So, in the legal profession, you are on your own. You do not have the protective umbrella of the employer.

Did you have to face problems as a woman lawyer?

People say to me that now that I have made it, I do not have to face these problems. But, even after 'I have made it', my word is often treated as less valuable than the word of a male lawyer. If there is a male lawyer with me, the judge asks the male lawyer to speak. If there is a male lawyer on the other side, he is asked to speak first.... I lose the precious initial minutes to make my point. This mindset flows from the top to the bottom. The judges, too, come from our society, and how they behave in court is determined by their upbringing. They display an inability to accept that women are equal.

Isn't there any change in the higher judiciary?

No. [On the contrary], maybe, in the lower courts, with younger judges coming in, the situation is different....

Women lawyers talk about being patronised by the men in the profession. It is unfortunate—this tendency to patronise women in the profession. What the male judges and lawyers do not like is women not willing to be patronised. If you do not have a godfather, it is not accepted. If you are your own person in the legal profession, it is not accepted. If you are okay with being patronised, you are accepted in the inner circle; you are accepted into the old boys' club. I insisted on not becoming part

of the old boys' club. Coming from a non-legal family, I worked hard and persevered despite odds. I make it a point to hire women lawyers in my office. They have a safe working environment in my office.

Why are there so few women judges?

The main reason for this is the inability of the women to lobby. Many women lawyers could become judges if they are given the opportunity at the right age, taking their merit into consideration.

Can reservation for women in the higher judiciary help?

I would like to call it affirmative action and not reservation. It should be done. Definitely, it will lead to appointment of more women judges. This way, we can have a critical mass of women judges. That would make a difference. If you have two people of equal merit, one is a man and the other a woman, the woman should be preferred. The work space will become more democratic if you have more women judges. In the work environment, being a woman would be more acceptable and not be seen as an exception to the rule.

(Courtesy : The week)

❑

Interview : Indira Jaising, senior lawyer

तीसरा प्रूफ एक पेज डिलीट

संतोष बंसल

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा

यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है कि हम इस विषय की चर्चा 'विश्व महिला दिवस' के उपरांत, महिला विमर्श के अंतर्गत कर रहे हैं। दहेज हत्या, कन्या-भ्रूण-हत्या और स्त्री संबंधित हिंसा पुराने अपराध हैं और इस समस्या से अभी तक निजात नहीं मिली है एवं दिनों-दिन स्त्रियों के साथ अलग-अलग तरह की हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है। समय के बदलाव ने महिलाओं की ज़िंदगी में सुधार अवश्य किया है, लेकिन इसके साथ ही 'रेप' या बलात्कार जैसी बेहद जटिल किस्म की पाशविकता समाज में जन्म ले रही है। हमारे देश में क़ानून को सख़्ती से लागू और पालन न करने के कारण इस समस्या में वृद्धि के साथ हिंसा के तौर-तरीके और नए-नए आयाम जुड़ गए हैं यानी औरतों और लड़कियों के जीवन पर संकट अलग रूप अख्तियार कर रहा है। हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघ की रपट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत अनैतिक मानव व्यापार के एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहा है। कार्य दिलवाने वाली एजेंसियाँ छोटे शहरों और क़स्बों से बच्चियों और स्त्रियों को बड़े शहरों में लेकर आती हैं। उन्हें उनके परिवारजन या रिश्तेदारों से ख़रीदा जाता है और अमानवीय व्यापार में झोंक दिया जाता है। यह अवैध व्यापार प्रतिवर्ष वेश्यावृत्ति और गुलामी के उद्देश्य से किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में महिलाओं की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। पूरी दुनिया में कारख़ानों, कार्यालयों, घर और बाहर के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों का शोषण किया जाता है। विश्वभर में वेश्यावृत्ति के करोड़ों अवैध व्यापारी हैं। ग़रीब और अस्थिर देशों में सेक्स एक इंडस्ट्री का रूप ले रहा है। स्त्री के लिए इससे बड़ी हिंसा और क्या होगी?

विगत वर्षों से खाड़ी देशों में महिलाओं को घरेलू नौकरानियों के रूप में काम दिलवाने के बहाने से ले जाया जाता है और बाद में उन्हें बंधक बना कर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। उनके पासपोर्ट एवं आवश्यक काग़ज़ात छीन लिए

जाते हैं जिससे वे भागने में भी असमर्थ होती है। उन्हें अपने भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अपने अवैध व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनसे यौन व्यापार के अलावा घरेलू काम, भिक्षावृत्ति, अंग-व्यापार आदि करवाया जाता है। यह स्त्रियों पर हिंसा नहीं तो क्या है? मनुवादी भारतीय संस्कृति में आज भी धर्म और जाति की आड़ में स्त्रियों के जीवन पर सबसे ज़्यादा आघात हो रहा है। आए दिन प्रथा और परंपरा के नाम पर अपराध होते हैं, जिनका सीधा संबंध स्त्री जीवन से होता है। इन अपराधों में जाति संबंधित अपराध का ताज़ा उदाहरण है -- तमिलनाडु में जीजा की हत्या कर बहन को विधवा कर दिया गया, क्योंकि उसका पति सामाजिक हैसियत में नीची जाति का था। कुछ इसे 'ऑनर किलिंग' का नाम देते हैं जिसमें धर्म, जाति तथा लिंग को आधार बना कर हत्याएँ की जा रही हैं। क्या यह बहन पर जुल्म नहीं है? समाज में नैतिकता दम तोड़ रही है। एक स्त्री बस से बरेली जाते हुए बस के स्टाफ द्वारा 'गैंग रैप' कर दी गई जिसमे उसका गर्भस्थ शिशु मर गया और इस कुकृत्य की प्रत्यक्ष गवाह उसकी तीन वर्ष की बेटी किसी तरह बच गई। छत्तीसगढ़ की 'एक्टिविस्ट' सोनी सोरी के चेहरे पर केमिकल डाल कर उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसका उल्लेख करते हुए 'वीमेन डे' के अवसर पर 'हिंदुस्तान टाइम्स' में रेणुका नारायण 'मैसेज फारवर्ड' करते हुए लिखती हैं, "On this Women's Day, even though it is 2016, women are not safe. Women are raped, attacked, beaten, thrown acid on. Where are we safe? Women live in so much fear."

क्या कारण है कि राजनीति में स्त्रियों के आरक्षण का मुद्दा उठाने और बलात्कार नियमों में सख़्ती करने के बावजूद स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं हैं? गाँवों में ग्राम खाप पंचायत हो या शहरों का भीड़ भरा माहौल, उन्हें बेखौफ सरेआम दंडित किया जाता है। गुड़गाँव की शॉपिंग कंपनी की एक्सिक्यूटिव को स्कूटर से अगवा कर लिया गया था। इसकी मुख्य वजह अपराधियों का क़ानूनों को धत्ता बता, सरेआम निडर हो घूमना है। उन्हें लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था उनका क्या कर लेगी? इस जघन्य कांड की शिकार कई बार भ्रमण के लिए आई विदेशी महिलाएँ भी हुई हैं। ज़रा सोचे कि इस तरह की घटनाएँ जब प्रकाश में आती हैं तो हमारे देश की छवि को कितना नुक़सान पहुँचता है। क्या कोई भी महिला पर्यटक हमारे देश में आना चाहेंगी? और हमारे ही देश की आधी आबादी कब सुरक्षित होगी? आज महिलाएँ जब फाइटर पायलेट बन गई हैं तथा सभी महत्त्वपूर्ण पदों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं और ज्ञान-विज्ञान के सभी स्थलों पर पुरुष के समान बराबर कार्यरत हैं, उनकी सुरक्षा का प्रश्न या उनके अस्तित्व पर गहराता संकट आज के समय का मुख्य विषय है। तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आई विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट चैरिटी 'बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की को-चेयर मिलिंदा गेट्स के अनुसार, "In india, I think it (rape and violence) is finally starting to be discussed mere-Discussing it; recognising it as a part of the problem."

बलात्कार की घटनाओं के साथ भारत में किसी भी कारणवश, महिलाओं पर 'एसिड अटैक' बहुतायत मात्रा में हो रहा है। एकतरफ़ा प्रेम में असफल व्यक्ति बदला लेने के लिए लड़की के चेहरे पर एसिड डालकर उसे कुरूप कर बदला लेता है। पिछले दिनों 'ई.एस.आई.' अस्पताल की लेडी डॉक्टर के चेहरे पर, उसी के मित्र द्वारा एसिड फेंका गया, जिससे उसकी एक आँख चली गई। यह कहाँ की इंसानियत है? विवाह के लिए मना करने पर इतना बर्बर अपराध? न केवल शिक्षित समाज में; बल्कि दूरदराज़ के इलाकों में भी इस तरह की घटनाएँ घटती रहती हैं। इसके अतिरिक्त, जाति या धर्म से बाहर प्रेम विवाह करने पर परिवार के सगे संबंधियों द्वारा युवतियों पर जुल्म या हत्या भी आए दिन ख़बरों में सुर्खियाँ बनी रहती हैं। इस तरह के विवाह में गाँवों की खाप पंचायत भी प्रेमी युगल या लड़की तथा उसके परिवार को दंडित करती है। यानी हर हाल में दंड की भागीदार महिलाएँ ही बनती हैं। यद्यपि ऐसे मामलों में क़ानून का संरक्षण और स्त्रियों की एकजुटता और हौंसला नमनीय है; तदापि महिलाओं के प्रति ऐसी हिंसा निंदनीय है।

आज सारे संसार में स्त्रियों पर हिंसा और यौन हिंसा में इजाफ़ा हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स में भी कॉलेज के भीतर लड़कियों के विरुद्ध 'सेक्सुएल वायलेंस' होती है। यह पहले भी होता रहा है किंतु पहले स्त्रियाँ चुप रहती थी कि सिस्टम उनके लिए कुछ नहीं करेगा, किंतु अब स्थितियाँ बदल गई हैं। अब मीडिया और प्रेस में खुलेपन की वजह से न केवल भारत में, बल्कि पूरे संसार में ऐसी ख़बर जल्दी से फैल जाती है जिससे तुरंत सक्रियता से इनमें बदलाव की संभावना पैदा होती है। परिवर्तन पुरुष की मानसिकता में बदलाव से ही नहीं, समाज और परिवार में उसके वर्चस्व को हटाने से नहीं, मुख्य रूप से यह बदलाव स्त्री के शिक्षित होने और आर्थिक स्वावलंबन से आता है। जब भी कोई स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है तो उसकी ताक़त बढ़ती है, उसकी आवाज़ में ताक़त पैदा होती है। दूसरे, शिक्षित होने से स्त्रियों को 'इकनोमिक ऑपोर्चुनिटी' तो मिलती ही है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी आती है तथा वह अपने बच्चों को भी शिक्षित करती है। तब समाज में उसका मूल्यांकन अलग तरीके से किया जाता है जिसका असर दूर-दराज़ के क्षेत्रों में बसी लड़कियों में भी नज़र आ रहा है। अब वे ससुराल जाने से इंकार सिर्फ़ इस बात से कर देती है -- क्योंकि घर में शौचालय नहीं था, या हैंडपंप नहीं लगा था। कुछ लड़कियों ने शादी के लिए मना इसीलिए किया

कि दहेज लोभियों को लाखों चाहिए थे, दूल्हा शराबी था या गुटखा खाता था।

वर्ष 2012 के अंत में हुए निर्भया कांड के पश्चात् महिला अपराध कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। हकीकत यह है कि पिछले तीन साल में महिला अपराध तीन गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्प लाइन नंबर और हिम्मत एप लाँच किए गए, इसके बावजूद बलात्कार की घटनाएँ 706 (2012) से 2199 (2015) हो गई। छेड़छाड़ के मामले तो सात गुना से भी अधिक बढ़ गए हैं।

महिलाओं का अपमान और ससुराल पक्ष द्वारा उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है। शोध कर रहे मनोवैज्ञानिक डॉ. रिपन सिप्पी का कहना है, ''फिलहाल जो मामले सामने आ रहे है, सच्चाई उससे भी भयावह है। छेड़छाड़ एवं छींटाकशी के क़रीब 40 फीसदी मामले दर्ज़ नहीं कराए जाते। पीड़िता के परिवार को यह डर रहता है कि अगर पुलिस को बताया तो बदनामी होगी और लड़की की शादी में दिक्क़त हो सकती है।'' इसका कारण आधुनिक जीवन शैली की होड़ के साथ दिल्ली में बाहर से आए लोगों की बढ़ रही संख्या है। ऐसे परिवार जब गाँव से मेट्रो सिटी में आते हैं तो एकाएक खुलापन चाहने लगते है। वे आर्थिक तौर पर इतने मज़बूत नहीं होते, जिससे युवाओं में हताशा पनपने लगती है। तनाव के माहौल में वे अपराधों की तरफ़ चल पड़ते है। डॉ. सिप्पी के मुताबिक़ उनके तनाव को दूर करने के लिए उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल व रोज़गार मिले तथा तनाव के चलते युवा आपा न खो दे, इसके लिए उन्हें प्रभावी कॉउंसलिंग दी जाए।

ख़ैर, हमारा मुद्दा स्त्री के अस्तित्व पर गहराता संकट है। स्त्री और परिवार दोनों के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है महिला हिंसा पर विराम। चाहे पढ़ी लिखी और कामकाजी स्त्रियाँ हो या घर के भीतर रहने वाली गृहिणियाँ, सब निरंतर हिंसा से जूझ रही हैं। वैवाहिक जीवन में व्याप्त कलह, असंतोष और हिंसा के कारण जहाँ एक ओर परिवार टूट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक युवा पीढ़ी घर बसाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। इसीलिए 'लिव-इन-रिलेशन-शिप' जैसा पाश्चात्य 'सिस्टम' भारत में भी जड़े जमाने लगा है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक है। आज जिस तरह मानवीय रिश्तों का गला घोंटा जा रहा है, संबंधों की गरिमा तार-तार हो रही है, वह गंभीर चिंता का विषय है। यह भी दुःखद सत्य है कि हमारी जनप्रतिनिधि और सत्ताधीश महिलाएँ स्त्री-सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन उनकी राय सिर्फ़ पंचायती राज व्यवस्था और राजनीति में भागीदारी तक सीमित रह जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि जब तक परिवार और समाज में स्त्री को सम्मान नहीं मिलेगा, उसके अधिकारों को सहज रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक उसके अस्तित्व से खिलवाड़ होता रहेगा। संविधान ने भले ही स्त्रियों और पुरुषों को जीवन के समान अधिकार दिए हो किंतु व्यवहार में वे स्त्री को अप्राप्त हैं। यही कारण है कि स्त्रियों का जीवन निरंतर कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। हमारे देश में 'कन्या-भ्रूण-हत्या' जैसा जघन्य अपराध रोकने की सभी चेष्टाएँ विफल रही हैं और आज भी यह गंभीर चुनौती के रूप में हमारे सामने है। लिंगानुपात घटने की बजाय तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है और एक हज़ार लड़कों के अनुपात में सिर्फ़ 927 लड़कियाँ रह गई हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति एक हज़ार लड़कों पर राजस्थान में 906, दिल्ली में 868, हरियाणा में 820, पंजाब में 793, गुज़रात में 878, बिहार में 938, उत्तर प्रदेश में 916, छत्तीसगढ़ में 975 और मध्य प्रदेश में 929 लड़कियाँ हैं। हरियाणा में एक सर्वे के अनुसार यदि राज्य में इसी तरह लिंगानुपात बढ़ता रहा तो आगामी दो ढाई दशकों बाद एक हज़ार लड़कों के अनुपात में सिर्फ़ 500 लड़कियाँ रह जाएँगी। जन्म से पूर्व ही कन्याओं की हत्या के मामले में पंजाब सबसे आगे है। विश्व के प्रमुख देशों की तुलना में भारत में लिंगानुपात बहुत कम है। रूस में प्रति एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1140, जापान में 1041, अमेरिका में 1029, इंडोनेशिया में 1004, ब्राजील में 1025 तथा भारत में 927 है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार चीन में आगामी दो दशकों में लिंगानुपात अंतराल तेज़ी से बढ़ेगा।

भारत में कन्या, भ्रूण-हत्या रोकने हेतु एक जनवरी 1996 से 'प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स' (पी.एन.डी.टी. 1994) लागू हुआ। सन् 2002 में इसमें संशोधन करके जन्म पूर्व बच्चे के लिंग परीक्षण को अपराध घोषित किया गया। इस एक्ट के तहत-जानबूझ कर भ्रूण का लिंग जानने हेतु अल्ट्रासॉउंड करवाने और भ्रूण का गर्भपात करवाने पर पचास हज़ार रुपए का जुर्माना और तीन वर्ष के कारावास का दंड सुनिश्चित है। लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर की उपाधि रद्द करने का प्रावधान भी है।

वस्तुतः इस समस्या के पीछे कई सामाजिक कारण है, जिनमे भारत में दहेज प्रथा का प्रचलन इसका मुख्य दोषी है। यहाँ लड़कियाँ इसलिए बोझ समझी जाती हैं कि उनके विवाह में बहुत सारा दहेज देना पड़ता है और आजीवन उन पर ख़र्च करना पड़ता है। यह एक गहन और गंभीर समस्या है। दक्षिण भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो दूल्हे की हैसियत और योग्यतानुसार उनकी कीमत तय है जिसे चुकाना हर विवाह योग्य युवती के माता-पिता के वश की बात नहीं। वस्तुतः सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाना होगा जो व्यवहारिक एवं समाधान कारक हो। विवाह में दहेज का लेन-देन, पढ़े-लिखे लोगों द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए, जबकि आजकल शिक्षित और समर्थ लोग ही विवाह में बढ़-चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कमज़ोर वर्ग के सामने आदर्श कौन प्रस्तुत करेगा? बेटी को पाल-पोस और पढ़ा-लिखा कर जीविका कमाने योग्य बना देना

क्या कम महत्त्व की बात है? संतान को संस्कारित करना यानी दोनों की समान भाव से परवरिश करना और लड़कियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना समय की माँग है।

आजकल माता-पिता लड़कों की तरह ही लड़कियों को पढ़ाते-लिखाते और स्वावलंबी भी बनाते है। अतः इन्हें विवाह के समय अनाप-शनाप धन ख़र्च करने से परहेज़ करना चाहिए। वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। दहेज मुक्त विवाह करने वालों को समाज में सम्मानित करना चाहिए, अन्यथा नई परंपरा कैसे क़ायम होगी? युवा वर्ग के अध्ययनरत लड़के-लड़कियाँ संकल्प लें कि वे बिना दहेज के विवाह करेंगे। प्रत्येक लड़की आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज में अपना स्थान आसानी से बना सकेंगी। पर खेद की बात है कि माता-पिता दहेज देते ही है और लड़कियाँ स्वयं अधिकाधिक दहेज चाहती हैं। वे सोचती हैं इससे ससुराल में धाक जमेगी। यह सोच एकदम ग़लत है। उन्हें स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। यदि लड़कियाँ पैतृक संपति में हिस्सा लेती हैं और चाहती हैं कि माता-पिता उनके शिक्षा और विवाह में भी जी खोलकर धन ख़र्च करे तो निश्चय ही किसी भी माता-पिता के लिए यह स्थिति सुखद नहीं होगी।

समाज में यह भी भ्रामक धारणा है कि पुत्र द्वारा अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किए जाने पर ही दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है। इस कारण भी लोग पुत्र मोह पालते है और यह दुःखद सत्य है कि उच्च शिक्षित युवक भी पुत्र जन्म की कामना करते हैं और पुत्री को जन्म देने वाली पत्नी की अवमानना होती है। ऐसे में समाज को उन रूढ़ियों और दक़ियानूसी मान्यताओं से मुक्ति दिलवाना अनिवार्य है जिनके अनुसार पुत्र के बिना मोक्ष नहीं मिलता। युवा दम्पतियों को यह तय करना होगा कि दो ही संतानें होगी, चाहे दोनों पुत्रियाँ ही क्यों न हो? पुत्र की चाह में परिवार बढ़ाते जाना बुद्धिमानी नहीं। निःसंदेह लड़की अब माँ-बाप का सहारा बन सकती है। वह अंत्येष्टी भी कर सकती है, बस, ट्रक, रेलगाड़ी और विमान भी चला सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लड़की सब कुछ कर सकती है, वह लड़के की तुलना में तनिक भी कमज़ोर नहीं है। फिर गर्भ में ही उसकी हत्या क्यों की जाए? ज़रा सोचिए, यदि कन्याओं की रक्षा नहीं की गई, स्त्री-पुरुष का अनुपात निरंतर चिंताजनक होता गया तो इसके कितने भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं? भाईयों को बहनें नहीं मिलेंगी, पुरुषों को विवाह के लिए स्त्रियाँ नहीं मिलेंगी। ऐसे में स्त्रियों के प्रति हिंसा और उग्र रूप धारण करेगी और उनकी सुरक्षा का प्रश्न भी उपस्थित होगा। मौजूदा विषम परिस्थितयों को देखकर भविष्य के भयावह सामाजिक परिदृश्य का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। युवा पीढ़ी

इस बात को समझ ले और पुरानी पीढ़ी को दृढ़तापूर्वक इसका बोध कराए तो उन तमाम सामाजिक विडंबनाओं से छुटकारा मिल सकता है जो कन्या-भ्रूण-हत्या के लिए ज़िम्मेदार है। यदि सचमुच युवा पीढ़ी कटिबद्ध हो जाए तो इस सामाजिक कलंक से मुक्ति पाना कोई कठिन काम नहीं है।

मध्य प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने सभी धर्म गुरुओं से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रवचनों द्वारा कन्या-भ्रूण-हत्या के विरोध में भी लोगों को समझाए, जिससे इस बुराई को मिटाया जा सके। कितनी अजीब बात है कि 'देवी' के रूप में स्त्री को पूजने वाला पुरुष समाज 'मानवी' के रूप में उसे सहज सम्मान नहीं दे पाता। यद्यपि ऐसी कई शासकीय-अशासकीय संस्थाएँ हैं, जो महिला अधिकारों की पैरवी करती हैं और उन्हें हिंसा से बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं, परंतु सामाजिक जागरुकता के बिना स्त्री के जीवन की दशा और दिशा में वाँछनीय सुधार संभव नहीं है। संपूर्ण स्त्री समाज के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए एक व्यापक जन आंदोलन आवश्यक है, जिसका नेतृत्व पुरुष को करना चाहिए। स्त्री एवं पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। वे दोनों जीवनरूपी रथ के दो पहिये हैं, जिन्हें जन्म से ही समान व्यवहार से मज़बूत बनाना चाहिए। जैसे लड़के के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है, वैसे ही लड़कियों के साथ होना चाहिए। लेकिन इसकी भी सर्वाधिक ज़िम्मेदारी स्त्रियों पर है। वे माँ के रूप में संतान के प्रति अपने कर्त्तव्य ईमानदारी से निभाएँ और कन्याओं की उन्नति का पथ प्रशस्त करें तथा पुरुष पिता और पति के रूप में सही मायनो में स्त्री के सहचर सिद्ध हो तो इस दिशा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अहम बात यह है कि अपनी बेहतरी के लिए स्त्री को स्वयं ही आगे आना होगा।

विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता का परचम फहराने और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के बावजूद वह अपने घर में प्रताड़ित हैं। शारीरिक-मानसिक शोषण, ग़रीबी, भेदभाव, अशिक्षा, मातृत्व, मृत्यु, दहेज, घरेलू उत्पीड़न आदि समस्याएँ उसकी उन्नति की राह के रोड़े हैं। कहने को तो दहेज निषेध अधिनियम और महिला हिंसा निरोधक क़ानून अस्तित्व में हैं, परंतु स्त्रियों का उत्पीड़न आज भी जारी है। सरकार स्त्रियों के हित में क़ानून बनाती है और अनेक योजनाएँ भी लागू करती है, किंतु वास्तव में इनका लाभ स्त्रियों को मिल सके, ऐसा कोई कारगर क़दम नहीं उठाती। अब सरकारी प्रयास और क़ानून की मोहताज न रहकर स्त्रियों ने अपने अस्तित्व के लिए स्वयं अभियान प्रारंभ कर दिए हैं। निम्न वर्ग की स्त्री ने मुक्ति हेतु हथियार उठा लिए हैं। अन्य वर्ग की स्त्रियाँ भी घर की दहलीज़ लाँघकर बाहर आ रही हैं। अपने चारों और असुरक्षा अनुभव

करने के कारण वे विलंब से ही सही, शारीरिक रूप से मज़बूत और आत्मविश्वास से भरपूर होने की दिशा में सचेष्ट है। जुडो-कराटे और आत्मरक्षा के अन्य उपायों का प्रशिक्षण इसमें मददगार होगा।

इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत के संविधान में भी स्त्री-पुरुष को, किसी भेदभाव के बिना, मौलिक अधिकार समान दिए गए हैं। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अनेक क़ानून बनाए गए एवं बाल-विवाह, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बलात्कार इत्यादि की रोक के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243(घ) में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के एक तिहाई स्थान आरक्षित कर दिए गए।

महिला मानव अधिकार की यह भी पुकार है कि ख़ुद महिलाओं को अपने अधिकार और कर्त्तव्य के बारे में शिक्षित होकर अपने अत्याचार के विरुद्ध क़दम बढ़ाने होंगे। पीछे से सरकार एवं क़ानून भी तभी उनकी रक्षा कर पाएगा। ऐसे ही हालात में लैंगिक समानता पर आधारित समाज की स्थापना एवं महिलाओं के मानव अधिकार स्वतः मिलने लगेंगे। अपने आत्म-सम्मान की लड़ाई में वह अकेली नहीं है। देश की विभिन्न संस्थाएँ इसमें सहयोग के लिए आगे आई हैं। न्यायालय द्वारा भी कई प्रावधान किए गए हैं। घरेलू हिंसा क़ानून और सम्पति में स्त्री के अधिकार का क़ानून आदि के साथ कई अच्छी योजनाएँ भी शासन द्वारा लागू की गई हैं। छात्राओं के लिए उपयोगी छात्रवृत्ति व प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ दी जा रही हैं। यद्यपि राज्य महिला आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिकार संपन्न न होने के कारण अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं, परंतु ग़ैर-सरकारी संगठनों की भूमिका सराहनीय है। राजस्थान की एक संस्था का यह कार्य सर्वत्र अनुकरणीय है कि वे विवाह के समय आठ फेरे करवाते हैं और उसमे शपथ होती है कि 'वे कभी भ्रूण हत्या और दहेजपूर्ण विवाह नहीं करेंगे।' आज युवतियाँ पारंपरिक कुरीतियों पर प्रहार कर समाज को नई दिशा दे रही हैं। पिता को मुखाग्नि देती बेटी लिंगभेद के विरुद्ध संदेश ही तो है।

आज स्त्री पुरुषों के समान ही दायित्वों का निर्वाह कर रही है। शिक्षित होकर स्वावलंबन का कार्य चुनने की इच्छा लड़कियों में बलवती हो रही है। अधिकतर शिक्षा संस्थाओं में रोज़गार दिलाने वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिनका लाभ उठाकर वे अपना भविष्य सँवार सकती हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भी अनेक उपयोगी पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया उन सबकी जानकारी देने के अलावा जागरूकता के प्रसार की दृष्टि से भी बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। परिवर्तन की बयार से गाँवों की स्त्रियाँ भी अछूती नहीं है। बिहार के मुजफ्फर जिले के बोचहा गाँव की अनिता कुशवाहा के संघर्ष, विश्वास और सफलता की कहानी को राष्ट्रीय शैक्षणिक

अनुसंधान और प्रशिक्षण-परिषद् ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। 'बी.बी.सी.' ने उनके जीवन पर फ़िल्म बनाई है और वह यूनिसेफ के शुभकामना-पत्र और कैलेंडर पर भी है।

अनिता कुशवाहा ने आगे बढ़ने के लिए शहद की मक्खियों का पालन करके न केवल अपनी पढ़ाई पूर्ण की बल्कि अन्य लड़कियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। सरकारी प्रयास और क़ानून की मोहताज न रहकर स्त्रियों ने स्वयं ही अपने सशक्तिकरण के अभियान प्रारंभ कर दिए हैं। निश्चय ही जाति, धर्म, संप्रदाय, आरक्षण आदि से परे अपनी उन्नति हेतु जब समूचा स्त्री जगत् एक होकर सोचेगा, तभी उनकी उन्नति हो सकेगी और तभी उनके समस्त अधिकारों की रक्षा भी संभव होगी।

निःसंदेह सरकार स्त्रियों के हित में क़ानून बनाती है और अनेक योजनाएँ भी लागू करती आ रही है। परंतु यथार्थ के धरातल पर उनका लाभ स्त्रियों को मिल सके, इसके लिए कोई कारगर क़दम नहीं उठाती। दहेज निषेध अधिनियम और महिला हिंसा निरोधक क़ानून बनने के बावजूद दहेज के नाम पर स्त्रियों का उत्पीड़न आज भी जारी है। अब प्रश्न यह है कि आख़िर स्त्री के प्रति हिंसा कैसे रुके? सरकार क़ानून बना कर अपने कर्जव्य की इतिश्री मान लेती है, जबकि ऐसे क़ानूनों का पालन किया जाना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि क़ानून का निर्माण ज़रूरी है। पीड़िता की सुनवाई हो, उसे न्याय मिले और दोषी को दंड मिले, यह भी अनिवार्य है। चूँकि भारत में गंभीर अपराधियों और देशद्रोहियों तक को दंड दिलवाने में न्यायपालिका सफल नहीं हो पाती; इसीलिए समाज में हिंसा बढ़ती जा रही है और अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं।

यह भी दुःखद सत्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि और सत्ताधीश सभी स्त्री-सशक्तिकरण की बात तो करते हैं लेकिन उनकी राय में सिर्फ़ पंचायती राज-व्यवस्था और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ही स्त्री-सशक्तिकरण का पैमाना है। जबकि सच्चाई यह है कि जब तक स्त्री की राय को अहमियत नहीं दी जाएगी, तब तक वह सशक्त नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार और समाज में स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व का विकास ऐसे हो कि वह परावलंबी न रहे, उसका स्वाभिमान आहत न हो, उसका सम्मान क़ायम रहे, उसे अपने अधिकारों के लिए न्यायपालिका का दरवाज़ा न खटखटाना पड़े। आज घर की चारदीवारी के बाहर जो मुट्ठीभर स्त्रियाँ विभिन्न संस्थाओं, कार्यालयों, खेल के मैदानों, राजनीति के अखाड़े में और यत्र-तत्र दिखाई दे रही हैं, वे स्त्री-स्वातंत्र्य और विकास का पैमाना नहीं हैं। वे सिर्फ़ इस बात के लिए आश्वस्त करती हैं कि यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वे देश की तक़दीर बदल सकती हैं।

वस्तुतः भारतीय समाज का ताना-बाना इस तरह से बना हुआ है कि दलित विमर्श,

आदिवासी चिंतन, शूद्र-जाति-उत्थान और नारी दशा की चर्चा, ये सब सामूहिक रूप से सुधार के विषय हैं। मिस रेणुका नारायणन ने इसी पक्ष को इंगित करते हुए 'हिंदुस्तान टाइम्स' अख़बार में लिखा है, "Women's rights are not a separate issue from caste and religion. It is the very basis of caste and religion — All patriarchies enforce and sustain caste and /or religion by controlling women and their bodies, their reproductive rights, their personal freedoms, their cultural, and thereby social, 'acceptability' – The male order's son and preference depends on this control. It is pure ego."

यह एक लंबी लड़ाई है लेकिन वर्तमान दौर ग्लोबल गाँव तथा 'वसुधैव कुटुंबकम्' का है। ऐसे में मीडिया के दवाब से युवाओं की स्वतंत्र सोच और समाज द्वारा बदलाव की स्वीकृति से हालात बदलने लगे हैं। आज के युवाओं को ईमेल, फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्स एप के 'फास्ट' इंटरनेट और मोबाइल की आधुनिकता के साथ मानसिक रूप से आधुनिक बनने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त ऐसे विषयों पर संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ सभ्य समाज के वाहक होने के नाते इन ग़लतियों को सुधारें।

❑

Dr. Sonu

Maternity Benefits For Women Workers : A Constitutional and Legal Right

Men and women grew up in different worlds. Americans assumed that men and women naturally belonged in what they called separate "spheres." Women inhabited a sphere comprising the home, church, and social visits they exchanged with each other. Men's sphere was outside the home in the world of industry, commerce, and politics. These separate spheres were especially well defined among the middle class in the cities and small towns[1] and so in India. Conventionally, women are primarily associated with the home and man with the outside world. This conventional parameter has for a very long time fostered the thought of men having the onus for economic production. Thus it is conventionally and rather fallaciously believed that only men work. Even the Indian Factories Act, 1948, reflects this convention with the defining term "work" "man".[2]

It is often overlooked that women support a large part of the world economy by 'free services' in the home and the community. Women have always been at work; only the definitions of "work" and "workplace" in history have not been realistic enough to include their contribution to the economy and society.[3]

Close to two out of every three Indian women are, in their prime working years, primarily engaged in unpaid housework. This phenomenon, on the rise over the last decade, is least common in the southern and north-eastern States and most common in the northern States, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh in particular. Over 60 per cent of adult women, the NSSO found, are primarily engaged in housework — slightly more so among urban women. The data shows that women, in both rural and urban areas, are increasingly reporting domestic work as their main occupation.[4]

In modern day society, economic pressures have increased the need for families to have dual incomes. Though these should ideally have

combined with egalitarian norms to radically alter attitudes toward working women,[5] this has not been the case. This is because women's participation in economic activity is contingent upon various factors, *via*, biological, economic, social or cultural, which result in gender inequality in the family as well as in the economic and political system.[6]

Women's ties with pregnancy and child rearing and the failure of employers and policymakers to deal consistently with this issue exacerbate the difficulties women face in the economy. Women continue to have the primary responsibility for housework and childcare, even when they have extremely demanding jobs. Few employers provide help with childcare, flexible work hours to accommodate children's needs, or paid maternity leaves. Women in blue-collar work as well as clerical jobs face rigid time schedules, low pay, and virtually no recognition or help from employers for their family responsibilities. Professional women, although better paid, also face problems.[7]

Historically, maternity has been treated as a state of disability in women workers from undertaking any work during the few weeks immediately preceding and following child birth. With the emergence of the system of wage labour in the industrial undertakings, many employers tended to terminate the services of the women workers when they found that maternity interfered with the performance of normal duties by women workers. Many women workers, therefore, had to go on leave without pay during this period in order to retain their employment. Many others had to bear a heavy strain to keep their efficiency during the periods of pregnancy, which was injurious to the health of both, the mother and the child. To remove this hardship of the women workers, the concept of maternity benefit came about in order to enable the women workers to carry on the social function of child; bearing and rearing without undue strain on their health and loss of wages.[8]

Maternity Benefit Act : It is interesting to know that the first Maternity Benefits Act was passed in 1929 by the Bombay Government and as result of the recommendation of the Royal Commission on Labour in INDIA (1931), the Maternity Benefit Act were passed in other states like Madras (1934), Uttar Pradesh (1938), West Bengal (1939), Assam (1944). That shows the growing awareness of the administration due to the active role of the Trade Union movement at that times which compelled the authorities to make some protective laws for women workers which went on improving in their substance in favour of women workers as the years passed. The present Maternity Benefit Act, 1961 is made a Central Act to be applied to all states. Even then there are different rules in the states of their, own showing many disparities in the Central States Acts. An Amendment to the Maternity Benefit Act, 1961 passed in 1973, tried to remove some of the anomalies in the present Act. The Employees State Insurance Act under which women are entitled to get benefit is also in existence. A number of women workers who do not come under any of those two protective laws, miss the welfare benefit all together. The Mines Maternity Act 1911 and Plantation Maternity Benefit Act 1951 also extend some protection to women workers in these industries.[9]

The Act was passed with a view to reduce disparities under the existing Maternity Benefit Acts and to bring uniformity with regard to rates, qualifying conditions and duration of maternity benefits. The object of the Act is to regulate the employment of women in certain establishments for certain periods before and after childbirth and to provide maternity benefit and certain other benefits to women workers. The Act extends to the whole of India. It applies, in the first instance: to every establishment being a factory, a mine or plantation including any such establishment belonging to Government and to every establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances; to every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shop and establishments in a state, in which ten or more persons are employed, or were employed, on any day of the preceding twelve months.[10]

The Act has been amended from time to time. In 1973. The Act was amended so as to bring within its ambit establishments in the circus industry. 1976 amendment further extends the scope of the Act to the women employed in factories or establishments covered by the ESI Act, 1948 and in receipt of wages exceeding entitlement specified in that Act. The Act was again amended in1988 to incorporate the recommendations of a working group of Economic Administration Reforms Commission. The Act was extended to shops or establishments employing 10 or more persons.[11]

The rate of maternity benefits was enhanced and some other changes were introduced. The Amendment of 1995 further expanded the coverage of the Act and recognized the medical termination of pregnancy and provided incentives for family planning. Maternity Benefit (Amendment) Act, 1995 provides that there shall be a six weeks leave with wages in case of medical termination of pregnancy, two weeks leave with wages to women employees who undergo tubectomy operation and one month leave with wages in cases of illness arising out these two. By an amendment in 2008 the existing ceiling of maternity benefit was increased from Rs. 250 to Rs. 1000. The Central Government is empowered to increase the medical bonus from time to time subject to a maximum of Rs. 20,000/-.[12]

Salient Features of the Act : No employer shall knowingly employ a woman in any establishment during the six weeks immediately following

the day of her delivery, or miscarriage, nor shall any woman work during this period.[13]

Every woman shall be entitled to, and her employer shall be liable for, the payment of Maternity benefits at the rate of the average daily wage for the period of her actual absence immediately preceding and including the day of her delivery and for the six weeks immediately following that day.[14] However no woman shall be entitled to these benefits unless she has actually worked in an establishment of the employer from whom she claims them, for a period of not less than 80 days in the twelve months immediately preceding the date of her expected delivery.

Miscarriage has also been given same importance. Act provides that in case of miscarriage, a woman shall be entitled to leave with wages at the rate of maternally benefit for a period of six weeks immediately following the day of her miscarriage.[15]

Regarding nursing breaks, Act provides for two additional breaks of the prescribed duration for nursing the child until the child attains the age of 15 months.[16]

Bold Step by Union Labour Ministry : In private companies, the maximum maternity leave was granted only for 12 weeks. A bold step taken by Union Labour Ministry proposal pushed by Maneka Gandhi to increase the maternity leave from 12 weeks to 26 weeks in private sector. This is indeed a great and bold move of the labour ministry. India now qualifies among the 16 countries having the longest paid leave for new mothers, ensuring a smooth transition.

This amendment is a progressive, long-overdue accomplishment that indicates social and economic advancement, holding tremendous benefits for the working women in India's job market. Even prior to this, we had begun to see several organisations recognise the sheer necessity of supporting their female employees through motherhood. Companies like Flipkart, Accenture, Godrej and HUL had been offering six months of maternity leave well before the amendment of the policy came into consideration.[17]

Voices of Concern : For several large and progressive private sector companies, this is likely to be a positive step towards more family-friendly human resource policies that make their organisations more attractive to employees. But even amidst the preliminary celebrations, some industry professionals are raising voices of concern. Would 26 weeks – six-and-a-half months – of staying away from work place too much pressure on smaller enterprises? Would it make returning to the workforce more difficult for mothers? And what about the rights of millions of women working in the unorganised sector[18], who get almost no legal maternity benefits to speak of?[19]

In 2010, the central government had introduced the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana specially to serve the population working in unorganized sector.The scheme, which is now a part of the National Food Security Act, allows for six weeks of maternity leave for women in the unorganised sector, along with a conditional cash transfer of Rs 6,000 for pregnant and lactating mothers for their first two live births. Some of the conditions that mothers must meet to be eligible for the cash compensation include registering the pregnancy and birth at the local *anganwadi* centre, attending certain counselling sessions on child-care and exclusively breast-feeding the child for the first six months.The scheme was to be implemented on a pilot basis in 53 districts across India last year, but has been delayed several times. In April 2015, the Supreme Court issued a notice to the Central government for non-implementation of various provisions of the NFSA, including the cash transfers for working mothers. Besides, if women employed in the public and private sectors can get between three and six months of leave, why should those in the informal sector get only six weeks?[20]

Maternity Benefits and Indian Constitution : The right and privileges for the betterment of women are:

Article 14 : Right to equality in law

Article 15 : Right to Social equality

Article 15(3) : Protective discrimination in favour of women and child

Article 39(a) : Right to adequate means of livelihood

Article 39(d) : Right to equal pay for equal work

Article 39(e) : Right that the health and strength of workers both men and women are not abused

Article 42 : Right to just and humane conditions off work and maternity relief

Article 46 : Right to improvement in employment opportunities and conditions of the working women.

Conclustion and Suggestions : After analyzing various provisions of the 1961 Act, it can be concluded that maternity Benefit Act, 1961 is a boon for the working women in the sense that they don't have job insecurity during their maternity period. But there are certain shortcomings of the Act which needs to be looked upon.

1. The duration of leave must be extended in order to allow a mother to fully recover. With this the duration of post natal period must be extended keeping in mind factors like rise in number of late marriages, cesarean births, nuclear families and increasing urbanization.
2. Provision of allowing nursing breaks are useless in the absence of any rest room or crèches.
3. A legal policy for paternity leave along with maternity benefits is

overdue in India. According to 2014 ILO report, atleast 78 countries around the world already provide paternity leave to encourage the involvement of fathers in child-rearing.[21] Introducing paternity leave would help create an environment that make the implementation of six-months maternity leave successful elsewhere in the world.

❑

References

1. Gender: Separate Spheres for Men and Women, American Eras, 1997, Gale Research Inc, available at http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2536601050.html assessed on 18.07.2016 at 12.53 PM
2. Shashi Bala, Implementation of Maternity Benefit Act, NLI Research Studies Series No. 099/2012, V.V. Giri National Labour Institute, Noida.
3. Krishan Ahooja Patel, Women and Sustainable Development: An International Dimension, 1995, Ashish Publishing House, New Delhi.
4. The Hindu, Most Indian Women Engaged in Unpaid Housework, October 14, 2014, New Delhi.
5. Lauria A. Rudman, The Social Psychology of Gender, 2008, The Guilford Press, New York.
6. Avasthi, Abha and A K Srivastava, Modernity, Feminism and Women Empowerment, 2001, Rawat Publications, New Delhi.
7. Supra Note 2
8. Ibid
9. Usha Sharma, Female Labour in India, 2006, p. 285, A Mittal Publication, New Delhi.
10. Supra Note 2

11-12. Ibid

13. Section 4, Maternity Benefit Act, 1961

14-16. Ibid Section 5, 9, 11

17. Mumbai Mirror, All You Need to Know About Increased Maternity Leave, Times of India, January 18, 2016.
18. Domestic Help, Farm Labour etc.
19. Aarefa Johari, Extended Maternity Leave is the Right Move. But What About Paternity Leave and Unorganised Sector? Available at http://scroll.in/article/801322/needed-after-extended-maternity-leave-a-policy-for-paternity-leaves-and-women-in-the-unorganised-sector assessed on July 18, 2016.

20-21. Ibid

डॉ. शिखा कौशिक

हिंदी ब्लॉगिंग और महिला सरोकार

भारतीय समाज विभिन्न धर्मों, समूहों और जातियों से मिलकर बना है, जिसमें चार वर्णों के अतिरिक्त एक और जाति है -- वह है स्त्री की। आज इक्कीसवीं सदी में प्रविष्ट होकर भी स्त्री को अनेक प्रकार से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। आज भी उसकी सामाजिक स्थिति दोयम दर्ज़े की है।

प्राचीनकाल से लेकर आज के 'ग्लोबल विलेज' काल तक पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही स्त्री का सामाजिक क़द निर्धारित करती आई है। इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री को दो श्रेणियों में विभाजित किया है --

प्रथम, देवी स्वरूपा स्त्री, जो पुरुष द्वारा निर्धारित नैतिक मापदंडों पर खरी उतरती है, पुरुष की आज्ञा का शीश झुकाकर पालन करती है, पतिव्रता, सती-साध्वी स्त्री।

द्वितीय, इस श्रेणी में उन स्त्रियों को रखा गया जो पुरुष द्वारा निर्धारित आचरण की सीमाओं को लाँघती हैं और इसी कारण उन्हें कुलटा, कर्कशा, वेश्या, बदचलन, व्याभिचारिणी आदि अभद्र संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है।

'त्रियाचरित्रं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः' जैसी कुटिल उक्तियों से स्त्री-जाति की गरिमा की धज्जियाँ उड़ाते हुए पुरुष-वर्ग ने अपने पशु-बल का प्रयोग कर स्त्री की ज्ञानेंद्रियों पर बलात् ताला ठोक दिया और स्त्री को देह की कोठरी तक सीमित कर, उस देह पर भी अपना एकाधिकार घोषित कर दिया। ''मानवी प्रगति के इतिहास में वह दिन सबसे दुर्भाग्य का है जब नर-नारी के बीच एक को वरिष्ठ और दूसरे को कनिष्ठ मानने के भेदभाव की परंपरा आरंभ हुई। भारतीय-संस्कृति के इतिहास में कलंक का ऐसा पृष्ठ जुड़ा जिसे पढ़ने पर सिर लज्जा से झुक जाता है। तब से नारी की स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती ही गई। भोग्या, अबला, कामिनी, माया जैसी कितनी ही असम्मान सूचक उपाधियां उसे दी गईं। कितनों ने तो नर को वरिष्ठ व नारी को कनिष्ठ सिद्ध करने के लिए

धर्मतंत्र के मनोवैज्ञानिक हथियारों का प्रयोग किया। ...निःसंदेह तथाकथित विद्वानों की यह खुली साज़िश थी जो नारी-शक्ति को गिराने के लिए धर्मतंत्र का दुरुपयोग करने तक उतारू हो गए। शास्त्र के नाम पर कुछ ऐसे पृष्ठ तक बनाए गए तथा श्लोक जोड़ दिए गए जो नारी की छवि धूमिल करते हैं। समाज में बहुतायत उन व्यक्तियों की होती है, जिनका स्वयं का अपना कोई मौलिक चिंतन नहीं होता। भीड़ जिस प्रवाह में बहती है, उसी में वे डूबते-उतरते, बहते देखे जाते हैं। शास्त्र के नाम पर अथवा परंपरा के नाम पर जो भी चिंतन थोपा गया; आँख मूँदकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह वर्ग उसे अपनाता चला गया। एक बार नारी को पुरुष की तुलना में हेय मानने की प्रथा आरंभ हुई, वह क्रमशः पोषण पाकर सुदृढ़ होती रही।''[1]

वैदिक युगीन शास्त्रार्थ में पारंगत गार्गी, मैत्रेयी उत्तरवैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल, मुगल काल तक आते-आते स्त्री-पुरुष हेतु मात्र भोग की वस्तु बन कर रह गई। पुरुष के आसुरी शोषण की शिकार नारी की स्थिति आज भी बहुत संतोष प्रद नहीं है जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान ने महिला को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए व नारी हित में अनेक महत्त्वपूर्ण क़ानूनों का निर्माण किया गया। स्थिति यह है कि स्त्री-विरुद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत' के अनुसार, incidents of crime against women increased 6.4% during 2012, and a crime against a woman is committed every three minutes. In 2012, there were 244, 270 reported incidents of crime against women, while in 2011, there were 228, 650 reported incidents. Of the women living in India, 7.5% live in West Bengal where 12.7% of the total reported crime against women occurs. Andhra Pradesh is home to 7.3% of India's female population and accounts for 11.5% of the total reported crimes against women.65% of Indian men believe women should tolerate violence in order to keep the family together, and women sometimes deserve to be beaten.[3] In January 2011, the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) Questionnaire reported that 24% of Indian men had committed sexual violence at some point during their lives.''[2]

ऐसे में यह कैसे संभव है कि साहित्यकारों का ध्यान इस ओर न आकृष्ट हो। ''साहित्यकार तो बहुत ही संवेदनशील होता है। ...वह तो जो समाज में घटित होते हुए देखता है, उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है।''[3] आज यही साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से अपना संदेश पाठकों तक प्रेषित करने के लिए इस इंटरनेट युग की देन 'ब्लॉगिंग' का प्रयोग कर रहा है। आज न केवल प्रतिष्ठित साहित्यकार वरन् आम-जन मानस भी अपने विचार, भावनाओं को ब्लॉगिंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ब्लॉगिंग में अन्य किसी विषय व मुद्दे की तुलना

में जिस एक विषय को सर्वाधिक महत्ता प्रदान की गई है वो है 'महिला सरोकार', इसका प्रमाण है प्रत्येक ब्लॉग की सर्वाधिक चर्चित ब्लॉग-पोस्ट में महिला-आधारित ब्लॉग-पोस्ट की उपस्थिति और अन्य ब्लॉगर्स की टिप्पणियाँ। हिंदी साहित्य-संसार को समृद्ध करती व नारी आधारित मुद्दों को बहस के केंद्र में लाकर खड़े कर देने वाला यह माध्यम -- 'ब्लॉगिंग' नवीन अवश्य है किंतु इसने हिंदी पट्टी के साहित्यकारों विशेष कर स्त्री रचनाकारों (जिनमें आम भारतीय नारी भी सम्मिलित है) को अपने अनुभव व विचाराभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान किया है।

हिंदी ब्लॉगिंग : ब्लॉग का अर्थ, आरंभ व प्रकार

ब्लॉग का अर्थ : आज संपूर्ण विश्व कंप्यूटरमय होने की दिशा में प्रयासरत है। बैंकिंग क्षेत्र, तकनीकी संस्थान और महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान कंप्यूटर के यंत्र-मस्तिष्क से लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं जन-जन की जीवन रेखा बनकर इंटरनेट ने दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर संपूर्ण विश्व को 'ग्लोबल फैमिली' में परिवर्तित कर दिया है। इसी क्रम में 'वर्ड प्रेस' [https://wordpress.com] व 'ब्लॉगर' [https://www. blogger.com] आदि चर्चित ब्लॉग पब्लिशिंग सेवाओं से संबंधित वेबसाइट द्वारा इंटरनेट उपभोक्ताओं को फ्री ब्लॉग निर्माण की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा से लाभान्वित होते हुए आज हिंदी सहित अनेक भाषाओं में हज़ारों ब्लॉग स्थापित किए जा चुके हैं। सरल शब्दों में 'ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा लिखित निजी डायरी का ही ऑनलाइन रूप है : जिसमें ब्लॉग-स्वामी अपनी रचनाएँ स्वयं लिखकर स्वयं प्रकाशित कर सकता है तथा पाठकों (जो अनुसरणकर्ता के रूप में ब्लॉग से जुड़े होते हैं) द्वारा त्वरित टिप्पणी भी प्राप्त कर सकता है।

हिंदी ब्लॉगिंग का आरंभ व विकास : ''हिंदी में ब्लॉगिंग के आरंभ का श्रेय आलोक कुमार को दिया जाता है।''[4] आलोक कुमार हिंदी के प्रथम ब्लॉगर और उनके 'नौ दो ग्यारह (9-2-11)' ब्लॉग को हिंदी का प्रथम ब्लॉग माना जाता है। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में आरंभ हुए ब्लॉगिंग के इस सफ़र का नामकरण हिंदी में आलोक कुमार ने ही 'चिट्ठा' शब्द देकर किया, जो बहुत तेज़ी के साथ हिंदी के अन्य ब्लॉगर्स द्वारा अपनाया गया। शीघ्र ही हिंदी में ब्लॉगिंग के लिए 'चिट्ठा' शब्द एक मानक शब्द बन गया और हिंदी ब्लॉगर्स को 'चिट्ठाकार' कहा जाने लगा।

प्रारंभ में देवनागरी लिपि की टाइपिंग से संबंधित कठिनाइयों के कारण हिंदी ब्लॉगिंग की गति बहुत धीमी रही और सीमित व्यक्तियों द्वारा ही हिंदी में ब्लॉगिंग की जाती रही, किंतु सन् 2000 ई. से सन् 2007 ई. के मध्य हिंदी टाइपिंग उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिंदी ब्लॉगर्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज़ की जाने लगी।

जैसा कि पूर्व में ही बताया गया है सन् 2007 ई. में हिंदी ब्लॉगर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ी। इसके पीछे कारण था कि यूनिकोड फांट्स ने हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन टाइपिंग में अधिक उन्नत उपकरणों के माध्यम से सहायता पहुँचाना आरंभ कर दिया था। यूनिकोड से तात्पर्य है -- "The material on this website was created using a unicode compliant Devanagari font. Unicode is a 16-bit encoding standard that allows all characters of every major language in the world to be represented. Unicode is platform independent, meaning if you typed something in Windows, it would appear the same way on a Macintosh machine. Most modern systems have built-in unicode support and often require nothing more than a unicode compliant font for any particular language."[3]

इसके अतिरिक्त मुख्यधारा की मीडिया द्वारा हिंदी ब्लॉग्स पर प्रकाशित सामग्री को हाथों हाथ लिए जाने ने जन सामान्य का ध्यान ब्लॉगिंग की ओर आकर्षित किया।

हिंदी-ब्लॉग के प्रकार; स्वरूप व गठन : विषय के आधार पर हिंदी ब्लॉग्स को अनेकों श्रेणियों में बाँटा जा सकता है : जैसे, तकनीकी ब्लॉग, आध्यात्मिक ब्लॉग, सामाजिक-राजनैतिक ब्लॉग, रचनात्मक ब्लॉग, क़ानूनी ब्लॉग आदि।

शरुआती दौर में हिंदी जहाँ व्यक्तिगत ब्लॉग्स का निर्माण अधिक करने की ओर हिंदी ब्लॉगर्स का रुझान था, वहीं समय के साथ साथ हिंदी ब्लॉगर्स ने सामूहिक ब्लॉग्स का निर्माण करने में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार स्वरूप व गठन के आधार पर हिंदी ब्लॉग जगत् में दो प्रकार के ब्लॉग्स सृजित किए जाने की परंपरा का आरंभ हुआ --

1. व्यक्तिगत ब्लॉग : इस प्रकार के ब्लॉग पर केवल ब्लॉग-स्वामी अपनी रचनाओं को प्रकाशित कर सकता है। एक ही व्यक्ति ब्लॉग-स्वामी होता है और वही एकमात्र योगदानकर्ता होता है। इस प्रकार के ब्लॉग के सृजन का उद्देश्य ब्लॉग-स्वामी की निजी भावनाओं, विचारों, विशिष्ठ रचनाओं अथवा अन्य रुचिकर विषयों का प्रकाशन मात्र होता है, यथा : [http://shalinikaushik2.blogspot.com], मेरी कहानियाँ [http://shikhapkaushik.blogspot.com] आदि।

2. सामूहिक ब्लॉग : इस प्रकार के ब्लॉग का निर्माण सार्वजानिक व सामूहिक महत्त्व के विषयों पर ब्लॉगर्स को अपनी राय अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ही ब्लॉग रूपी मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें ब्लॉग स्वामी स्वयं भी ब्लॉग व्यवस्थापक की भूमिका निभाता है अथवा अन्य किसी ब्लॉगर को व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसे ब्लॉग पर ब्लॉग-स्वामी अन्य ब्लॉगर्स को योगदान हेतु ब्लॉग-लिंक भेजकर ब्लॉग में शामिल होने हेतु आमंत्रित करता है। ये लिंक अन्य ब्लॉगर्स को अपने मेल में प्राप्त होता है। इस ब्लॉग-लिंक पर क्लिक कर अन्य ब्लॉगर योगदानकर्ता के रूप में सामूहिक ब्लॉग से जुड़ जाता है और यह ब्लॉग उसके डैशबोर्ड पर दिखाई देने लगता है। योगदानकर्ता के रूप में जुड़े ब्लॉगर सामूहिक ब्लॉग पर समय समय पर जिस विशिष्ट विषय के आधार पर ब्लॉग का निर्माण किया गया, स्वयं ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित कर सकता है।

आज हिंदी ब्लॉग-जगत् में सामूहिक ब्लॉग्स की भरमार है। इनमें कुछ साहित्यिक उद्देश्य से सृजित किए गए हैं जैसे [www.rachanakar.org] तो कुछ अन्य ब्लॉग्स को ब्लॉग जगत् से परिचित करने के उद्देश्य से सृजित किए गए हैं। जैसे, [http://charchamanch.blogspot.com]। इसी प्रकार, नारी को केंद्र में रखकर भी अनेकों सामूहिक ब्लॉग्स का निर्माण जारी है, जिनमें भारतीय नारी [http://bhartiynari.blogspot.com] ब्लॉग ने महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया।

हिंदी ब्लॉगिंग और महिला सरोकार : यह एक संतोषप्रद तथ्य है कि हिंदी ब्लॉगर्स में महिला ब्लॉगर्स की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रसिद्ध हिंदी ब्लॉगर्स में कई महिला ब्लॉगर्स के नाम भी सम्मान के साथ लिए जाते हैं। 'अप्रैल 2013, में लगभग 50,000 हिंदी ब्लॉगर्स थे जिनका एक चौथाई हिस्सा महिला ब्लॉगर्स के लेखनाधीन था।"[5]

यह भी एक स्वाभाविक सी बात है कि जब महिलाएँ लिखेंगी तो निश्चित रूप से उनका लेखन 'एक महिला होने के नाते' महिलाओं की समस्याओं पर ही अधिक केंद्रित होगा किंतु प्रशंसनीय तथ्य यह है कि अनेक पुरुष ब्लॉगर्स ने भी महिलाओं से संबंधित मुद्दों को गंभीरता के साथ उठाया यद्यपि कुछ पुरुष ब्लॉगर्स ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में स्त्री के प्रति उसी परंपरागत रूढ़िवादी सोच को प्रस्तुत किया। महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने में जिस सामूहिक ब्लॉग ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह है 'भारतीय नारी' सामूहिक ब्लॉग। मुख्य धारा की मीडिया के साथ क़दम मिलाते हुए 'भारतीय नारी' ब्लॉग ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति ब्लॉग-जगत् के साथ साथ आम जन तक युगों-युगों से शोषित नारी की आवाज़ पहुँचाने का स्तुत्य प्रयास किया।

'भारतीय नारी' ब्लॉग की स्थापना व उद्देश्य : भारतीय नारी ब्लॉग की स्थापना 23 जुलाई, 2011 को हिंदी ब्लॉगर व इस ब्लॉग की व्यवस्थापक शिखा कौशिक द्वारा की गई थी। व्यवस्थापक के निमंत्रण पर अन्य प्रबुद्ध ब्लॉगर इस सामूहिक ब्लॉग से योगदानकर्ता के रूप में जुड़ते गए। आज पचास से अधिक ब्लॉगर इस ब्लॉग पर अपना अमूल्य योगदान दे रहें हैं। जिनमें प्रमुख योगदानकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं -- प्रेम प्रकाश, कुनाल वर्मा, सारिका मुकेश, प्रतिभा वर्मा, डॉ. संध्या तिवारी, डॉ. अनवर जमाल, हरीश सिंह, रेखा श्रीवास्तव, नीलकमल वैष्णव, कनु, The World Is Mine1, शालिनी

कौशिक, godharavs 1947, Atul Shrivastava, सरिता भाटिया, bhuneshwari malot, Shastri J.C. Philip, हरकीरत 'हीर' श्याम गुप्ता, अंजली माही, रजनी मल्हौत्रा नैय्यर, श्रवण शुक्ला, रजिया 'राज', दीपक कुमार गर्ग, अनु पोखराना, रचना दीक्षित, दीप्ति शर्मा, साधना वैद्य, नीरज पाल, रविकर, मृदुला पंडित, सावी सिंह राजपुरोहित, अंकित कुमार हिंदू, महेश ब्राह्मटे, सोनाली भाटिया, सुनीता सानू, आशा बिष्ट, अशोक कुमार शुक्ला, wgcdrsps, ई. प्रदीप कुमार साहनी।

इस ब्लॉग की विशिष्टता इस बात में भी है कि महिला मुद्दों पर केंद्रित ब्लॉग होते हुए भी इसपर पुरुष ब्लॉगर्स को योगदानकर्ता के रूप में जोड़ा गया जैसा इससे पूर्व नारी आधारित ब्लॉग्स में नहीं किया गया था।

महिला मुद्दों को उठाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस ब्लॉग पर लगभग 1400 ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित की जा चुकी है, जिन पर 5753 टिप्पणियाँ भी प्राप्त की जा चुकी हैं।

उद्देश्य : ब्लॉग निर्माण के समय ही योगदानकर्ताओं के सूचनार्थ यह ब्लॉग पर प्रकाशित कर दिया गया था कि उनकी ब्लॉग पोस्ट इन विषयों पर आधारित होनी चाहिए --

भारतीय नारी ब्लॉग पर इन विषयों से संबंधित पोस्ट करें --

❑

संदर्भ

1. नारी को रमणी न मानें जननी का सम्मान दे, ब्रह्मवर्चस, पृष्ठ-3-4, युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि, मथुरा, संस्करण-2006
2. ई-लिंक : Violence against women in India-https://en.wikipedia.org/wiki/Violence against women in India
3. हिंदी भाषा, डॉ. नारायण स्वरूप शर्मा, 'सुमित्र', पृ. 115
4. हिंदी ब्लॉगिंग का इतिहास, रवींद्र प्रभात, हिंदी साहित्य निकेतन, बिजनौर, भारत, वर्ष-2011, पृष्ठ-180, आईएसबीएन नं. 978-93-80916-14-9
5. Author, भारत-दर्शन संकलन : link-http://www.bharatdarshan.co.nz/magazine/articles/122/hindi-font-downloads.html
6. "BLOGGING IN HINDI FOR 10 YEARS, CITY FOLK WIN LAURELS – THE TIMES OF INDIA" timesofindia.indiatimes.com.com" Retrieved 2014-06-11

संतोष खन्ना

लहू का रंग

सुबह के अभी दस भी नहीं बजे थे कि दिन दोपहर की तरह तपने लगा। रजिया एक घने पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तपती धूप से उसे कुछ राहत मिली। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। आसपास पानी की कहीं कोई संभावना नहीं थी। वह बार बार सूखे होठों पर जुबान फेर रही थी; किंतु मरुस्थल क्या कभी प्यास बुझा सकता है?

रजिया ने अपने होठों पर पुनः जुबान फेरी। कहते हैं इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती हैं। रजिया के लिए हर पल काटना मुश्किल हो रहा था। बेचैन-सी वह इधर-उधर टहलने लगी। तभी उसके कानों में कोयल की कूक सुनाई दी। उसकी नजरों ने पेड़ की एक-एक शाख छान मारी, परंतु कोयल उसे कहीं नज़र नहीं आई। कोयल फिर कूकी।

"कहाँ हो भाई, नज़र क्यों नहीं आती हो?" रजिया के कानों में नर्सरी-राइम की एक पंक्ति का स्वर गूँजने लगा, "कोयल काली है पर मीठी है उसकी बोली।"

कोयल फिर कूकी। रजिया ने ध्यान से सुना, उसकी कूक का स्वर छोटा-सा था, जैसे कह रही हो, 'आओ'।

दो-तीन बार की इस छोटी कूक के बाद कोयल की कूकें लंबी और परेशानी से भरी लगने लगीं। रजिया को लगा जैसे अब वह कह रही हो, 'कब आओगे? कब आओगे?' कोयल कूक कर चुप हो गई, पर रजिया उसकी अगली कूक का इंतजार कर रही थी।

थोड़ी देर बाद नजदीक के एक और पेड़ से किसी दूसरी कोयल की कूक की आवाज आई। इस पेड़ की कोयल फिर कूकी, मानो उसने उसका जबाव दिया हो। अब उसके स्वर में उल्लास था।

रजिया ने अपने सूखे होठों पर एक बार फिर जुबान फेरी। सामने से उसे राज वर्मा आता दिखाई दिया। उसकी झलक-मात्र से ही उसके शरीर और आत्मा में एक अजीब-सी ठंडक उतरने लगी। राज उसे नहीं देख पाया था। उसकी खोई-खोई आँखें उसे चारों ओर

खोज आईं। रजिया हाथ हिला-हिलाकर उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी।

राज की नज़र उसकी ओर नहीं जा पा रही थी। वह भटके मुसाफिर-सा बेहाल-परेशान अपनी नज़र को दूर दूर तक ले गया, लेकिन पतझड़ की वीरानी के सिवा उसे कुछ हाथ नहीं लगा। रजिया समझ गई कि राज उसे देख नहीं पाया। वही दौड़कर उसके पास पहुँची और उसका हाथ पकड़कर बोली।

''कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं यहाँ हूँ।''

''अरे, इतनी देर से तुम्हें ढूँढ रहा हूँ। कहाँ थी तुम?'' राज की जान में कुछ जान आई।

''धूप का क़हर था। मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी हो गई थी।'' उसने पत्तों से लदे-फदे एक पेड़ की तरफ इशारा किया।

''पेड़ ने तुम्हें अपनी आगोश में छिपा रखा था। इधर मैं परेशान हो रहा था।'' राज ने पेड़ की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा।

''चलो उसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, पर प्यास के मारे बुरा हाल है।'' रजिया ने अपने सूखे होठों पर हाथ फेरा।

''सूखे होठों का इलाज है मेरे पास।''

''चलो हठो।'' रजिया के गाल सुर्ख़ हो गए।

''हाँ भई, मेरे झोले में पानी की बोतल है।'' उसने झोले से बोतल निकाल कर रजिया की ओर बढ़ाते हुए कहा।

रजिया ने बोतल का नीला ढक्कन खोल चार-पाँच घूँट पानी हलक के नीचे उतारा।

''तुमने क्या समझा था? तुम्हारे गाल क्यों सुर्ख़ हो गए थे? इस समय हम जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। मुझे क्या ऐसी बातें सूझेंगी? आज हमारे सामने जीवन-मरण का प्रश्न है। फैसला हमारा मुँह जोह रहा है?'' राज ने संजीदा होते हुए कहा --

''अब हम क्या करें? अब्बू हजूर को पता चलेगा तो मेरा सिर ही कलम कर देंगे।'' रजिया की आँखों में ख़ौफ़ की लक़ीरें उभर आईं।

''मेरे घर वाले क्या कम हैं? पापा बस एक काम करेंगे, मेरे कान एँठते हुए मुझे सीधा घर से बाहर कर देंगे।''

'ग़नीमत है जान से तो नहीं मारेंगे। काश! मेरे अब्बू भी मुझे घर से बाहर निकाल दें। घरों से दुत्कारे जाने पर हम दोनों एक हो सकते हैं। मेरे अब्बू मेरी साँस पी जाएँगे और किसी को कानों-कान ख़बर भी नहीं लगेगी।''

कहते-कहते रजिया का पूरा वजूद भय से सिहर उठा। कुछ क्षण वह राज की उपस्थिति भूल अतीत के भयावह पलों में पहुंच गई थी जब उसने अपनी बुआ रकीबा की मृत देह

पर एक नीला निशान देख माँ से पूछ लिया, ''अम्मी, यह क्या? यह नीला-नीला क्या है?''

उसकी अम्मी ने रकीबा का गला ढंकते हुए उसे ऐसे घूर कर देखा था मानो उसे कच्चा चबा जाएँगी। पर जैसे-जैसे रजिया बड़ी होती गई, उसे समझ आती गई कि रकीबा की मौत ज़हर देने से हुई होगी। उसे यह समझ में आ गया था पर आज तक किसी को कानों-कान ख़बर नहीं थी, न परिवार को, न समाज को -- पर घर में किसी के हाथ तो रकीबा के ख़ून से रंगे थे शायद उसके अब्बा के? कौन जाने?

रकीबा पड़ोस के एक लड़के अहमद से प्यार करती थी पर घर वालों को क़तई मंजूर नहीं था। रकीबा के बाप-दादा कहते, यह भी कोई मुसलमान हुए, हिंदू थे मुसीबत में मुसलमान बन गए... दो दिन अल्लाह-अल्लाह करने से कोई मुसलमान हो जाता है क्या? न तो अपने समाज में उनका स्थान रहा, न सम्मान रहा और न ही मुसलमानों ने गले लगाया, कहते... ठहरे तो जात के भंगी न घर के न घाट के। रकीबा पागल हो गई है। इसकी अक़्ल पर पत्थर पड़ गए हैं... नाक कटा कर मानेगी यह छोरी... पैदा होते ही टेंटुआ क्यों नहीं दबा दिया...।'' रकीबा मर गई थी। बाद में अहमद या उसके परिवार का पता नहीं चला। क्या अब्बू के हाथ रकीबा के ख़ून से रंगे हैं?''

रजिया का रोम-रोम मानो काँप रहा हो। राज ने उसे झकझोरते हुए हिलाया, ''कहाँ हो रजिया। क्या हुआ?''

''राज, तुम मुझे भूल जाओ... बस...।'' रजिया ने बस इतना ही कहा। उसकी आँखों से आँसू टपकने लगे।

''ऐसा क्यों कह रही हो?''

''मेरे अब्बा हमें कभी नहीं मिलने देंगे। तुम्हें भी ठिकाने लगा देंगे...।''

''क्या करें हम? प्यार पर इतनी पाबंदियाँ हैं तो हम दोनों में प्यार हुआ ही क्यों? तुम जानती ही हो कि हम दोनों ने इस प्यार से बचने की कितनी कोशिशें कीं; किंतु हम अपने दिल के हाथों मज़बूर हो गए थे।'' राज मानो खुद को स्पष्टीकरण दे रहा था।

'मैं भी तुम से कितना बचती रही; पर अल्ला ताला रोज़ ऐसे मौके हमारे सामने ला खड़े कर देता कि हमारा खुद-ब-खुद आमना-सामना हो जाता।''

''मैं कहाँ तुम्हारे सामने पड़ना चाहता था? तुम जानती हो मैं जानबूझ कर कई बार कक्षा में नहीं आया।''

''तुम्हारा पढ़ाई का कितना नुक़सान हुआ, जानती हूँ मैं। खुदा को कुछ और ही मंजूर था।''

वार्षिक समारोह में हम दोनों को मिलकर काम करना था। हम दोनों क़रीब आते

चले गए। ''एक बात बताओ रजिया, क्या प्यार को अंधा इसलिए कहा जाता है कि न वह धर्म देखता है न भाषा, न जाति-पाति और न ही ऊँच-नीच, बस चल देता है अनजानी राहों पर।''

''हमारा प्यार अंधा है या नहीं, यह तो नहीं जानती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि यह रूह का रूह से मिलन है। तुम मेरी आत्मा में बसे हो। मुझे अपने प्यार से कोई शिकवा नहीं। राज हम हमेशा प्यार करते रहेंगे, चाहे हम जिंदा रहें या न रहें, इस जीवन में तुम्हारे जैसे इंसान के साथ बिताए चंद लम्हे मेरे जीवन भर की दौलत हैं। तुम जो फैसला करोगे, मुझे मंजूर होगा।'' रजिया ने अपने एक-एक शब्द पर बल देते हुए कहा।

''फैसला हम दोनों को करना है। हम जानते हैं हम अलग-अलग जाति और धर्म के हैं। समाज और परिवार हमारे प्यार को मंजूर नहीं करेगा।''

''धर्म और जाति किसने बनाई है? ख़ुदा ऐसा नहीं कर सकता।'' रजिया ने रोष भरे स्वर में कहा।

''यह इंसानों की ही दिमाग़ी ख़ुराफात है। इंसानियत जैसे धर्म को छोड़ कर सब अपने-अपने कयासों के खाँचों में क़ैद हो जाते हैं।'' राज ने अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहा।

'तुम्हारा नाम राज है, मैं रजिया हूँ। मेरा नाम रजनी हो सकता था। तुम्हारा नाम रहीम या सलीम हो सकता था। फिर यह भेदभाव क्यों?'

''तुम ठीक कहती हो। सच यह है कि मैं राज हूँ, तुम रजिया हो। तुम्हारे अब्बू हैं, मेरे पापा हैं। तुम्हारी अम्मी है, मेरी मम्मी है। शब्दों के मायने एक हैं। क्या भाषा जोड़ती नहीं, तोड़ती है?'

'प्यार जैसी नूरानी भावना पतित नहीं हो सकती। क्या हमारा प्यार हमारे जिस्मों तक सीमित है? नहीं, मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती है। मेरा समूचा व्यक्तित्व तुम्हारे समूचे व्यक्तित्व से प्रेम करता है। तुम केवल देह नहीं, आत्मा भी हो, आत्मा के बिना देह हो ही नहीं सकती।'

राज जोर-जोर से हँसने लगा। हँसी के मारे वह लोट-पोट होने लगा। रजिया उस का साथ देने के लिए उसकी हँसी में अपनी हँसी मिलाती रही। उस तपिश में भी वातावरण ख़ुशगवार हो गया। दोनों की हँसी थमी; तो रजिया का हँसी से खिला चेहरा अचानक रुआँसा-सा हो गया।

'मेरी बातों पर हँसे क्यों?'

'क्या केवल मैं ही हँसा था?' राज की फिर हँसी छूट गई।

'तुम हँसे, इसलिए मैं हँसी। मैंने ऐसा क्या कह दिया?'

'आत्मा के बिना देह और देह के बिना आत्मा नहीं हो सकती, तुम बिल्कुल किसी दार्शनिक की तरह बोल रही थी' राज के हँसते-हँसते पेट में बल पड़ गए थे, उसने अपने पेट को सहलाते हुए कहा।

''मैंने कुछ गलत कहा क्या? सच तो यह है कि तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।''

''अच्छा! इतना ज्यादा करती हो मुझे प्यार।''

राज अभी भी पूरी तरह स्वयं को संयत नहीं कर पाया था अतः उसने हँसते हुए कहा।

''अजमा कर देख लो, कहो तो अभी किसी पाँच-मंजिला इमारत से कूद कर जान दे दूँ।'' उसने रूआँसे-से स्वर में कहा।

''सचमुच, तुम जिहादी की तरह उन्मादी हो।'' उसके मुँह से अनायास ही निकल गया।

''मुझे... मेरे प्यार को इतनी बड़ी गाली न दो राज।'' रजिया नाराज़गी के स्वर में बोली।

''गाली। नहीं तो!'' राज ने रजिया के चेहरे पर क्रोध और आक्रोश मिश्रित आते जाते भावों को देख कर कहा।

''जिहादी गाली नहीं तो क्या है?'' आज जिहादी ही आतंकी बन रहे हैं, फिर वह 'लव जिहाद' तो कितना भर्त्सनापूर्ण शब्द बन चुका है, तुमसे क्या कुछ छिपा है।''

''अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था।'' राज ने भी गंभीर होते हुए कहा।

''जानता हूँ रजिया, कुछ सिरफिरे मुस्लिम युवक प्रेम का नाटक कर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में इसलिए फँसा रहे हैं कि उनसे विवाह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम संगठन मदरसों में पढ़ रहे खूबसूरत लड़कों को पैसा, मोटर साईकिल या बढ़िया पोशाकें देकर उन्हें ऐसा करने के लिए सुनियोजित तरीके से उकसा रहे हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है। यह अफवाह ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।''

''अफवाह नहीं है यह। हमारे समाज में कुछ नजदीकी रिश्तेदारों में कुछ खूबसूरत लड़कों ने हिंदू लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फँसा उनसे विवाह नहीं, निकाह ही किया है। निकाह का अर्थ समझते हो? निकाह केवल मुस्लिम लड़के-लड़की का ही होता है अर्थात् विवाह से पहले ऐसी लड़की को इस्लाम कबूलना पड़ता है। लड़कियाँ प्रेम के मामले में बहुत भावुक होती हैं, वह धर्म-परिवर्तन कर लेती हैं। जहाँ धर्म-परिवर्तन के बिना विवाह हो जाता है, ऐसे मामलों में विवाह के बाद ऐसी महिलाओं पर धर्म-परिवर्तन का दबाव

बना कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है।''

''रजिया, यह केवल अफवाहें ही हैं। कुछ देश विरोधी तत्व ऐसा कहते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो, जैसे कि तुमने यह सब देखा है।'' राज ने उसे टोकते हुए कहा।

''देखा तो नहीं, पर मेरी सहेली शबनम है उसने मुझे बताया था कि उसके भाई नजीब ने ऐसी ही एक हिंदू लड़की से विवाह किया था और दो बच्चे हो जाने के बाद उसे धर्म-परिवर्तन के लिए कहने लगा पर प्रेरणा, शबनम की भाभी का नाम प्रेरणा ही है, वह नहीं मानी। उस दिन से उनका जीवन नरक बना दिया गया। उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। उसे बच्चे भी नहीं दिए गए। बाद में उसने खुदकुशी कर ली।''

''कुछ मामलों के बारे में मैंने अखबार में भी पढ़ा है। कभी-कभार कोई मामला टी. वी. पर भी दिखाया जाता है, पर क्या हर मामला लव जिहाद का होता है।''

''हर मामला तो लव-जिहाद का नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ, प्रेम-विवाह में कोई बुराई नहीं है, पर शर्त यह है कि दोनों एक-दूसरे के प्रति वफादार हों।''

इस देश में हिंदू-मुस्लिम लड़के-लड़कियों में हमेशा विवाह होते रहे हैं कितनी मिसालें दे सकता हूँ, पर अब पता नहीं कैसे चलन चल पड़े हैं, धर्मांधता बढ़ रही है, इंसानियत तिरोहित हो रही है, हर कोई एक-दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं।'' राज ने हालात का विश्लेषण करते हुए कहा।

''किसी के धर्म परिवर्तन के लिए प्यार का फरेब करना, मुझे यह कतई पसंद नहीं। मुझे नफरत है इन प्रकार की बातों से, फिर चाहे वह मेरा भाई क्यों न हो...।'' रजिया ने आक्रोश से भर कर कहा।

''तुम्हारा भाई सुभान तो बहुत सीधा है, कह सकता हूँ वह कभी ऐसा नहीं कर सकता...।'' राज ने उसकी बात का प्रतिवाद किया।

''सीधा है पर हैंडसम कितना है, कौन जाने कभी किसी के हत्थे चढ़ जाए। हमारे घर वाले वैसे भी आजाद ख्यालों के नहीं, जैसे वह तुम्हारा-मेरा विवाह कभी कबूल नहीं करेंगे।''

''क्या करें फिर हम?'' राज ने प्रश्नसूचक नजरें रजिया के चेहरे पर गढ़ाते हुए कहा।

''क्या हम भाग कर शादी कर लें?'' रजिया ने भी प्रश्नवाचक मुद्रा बनाई।

''नहीं...। भागने का अर्थ है खुद से भागना अर्थात् पलायन। पलायन प्यार नहीं हो सकता। प्यार शक्ति देता है। हम इस तरह कमजोर नहीं हो सकते।'' राज ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा।

''मैं भी तो यही कहती हूँ। प्यार शक्ति और साहस का नाम है। पता नहीं लोग प्यार को छिपाते क्यों हैं? यह कोई बुराई या अपराध तो है नहीं।'' रजिया भी नूर की मूरत बन चहक उठी।

''फैसला? हमारा फैसला क्या रहा?'

''यही कि हमें अपने वाल्देन को सच सच बता देना चाहिए, फिर चाहे जो हो सो हो। वाल्देन मेरा मतलब है हमें अपने माता-पिता को बता देना चाहिए।''

''ठीक कहती हो। हमने कोई पाप नहीं किया है। हमें विवाह की इजाजत मिलेगी तो उससे दो परिवार ही नहीं, दो भिन्न-भिन्न जातियाँ, दो भिन्न-भिन्न धर्म एक हो जाएँगे।'' राज ने प्रफुल्लित होकर कहा।

''यह भी कह सकते हैं कि एक इनसान के दो-दो धर्म हो जाएँगे, यानि इजाफा हो जाएगा। हमारे रस्मों-रिवाज, हमारे त्यौहार, हमारे संस्कार दुगने हो जाएँगे। कितना मजा आएगा।'' रजिया के स्वर में मानो खुदा बोल रहा था।

''सचमुच! सचमुच! हमने पहले तो ऐसे सोचा ही न था। प्यार ने हमारी सोच को भी कितना उदार और खुद्दार बना दिया है। अब चलते हैं और यह बातें अपने घर वालों को भी बताते हैं।'' उत्साह से भरा राज उठ खड़ा हुआ।

रजिया भी उठ गई। अनोखे आत्मिक प्यार में रंगे और कुछ भी कर गुजरने की भावना से भरपूर दोनों धीरे-धीरे चलते बतियाते जा रहे थे। घर के रास्ते में रेल लाइन पड़ती थी। बातों में व्यस्त दोनों ने रेल लाइन पार करने के लिए कदम बढ़ा दिए। तभी उनकी नज़र सामने से धड़धड़ाती आती सुपरफास्ट पर पड़ी। राज रजिया का हाथ थाम जल्दी से रेल लाइन पार करने लगा। यह क्या? रजिया का दुपट्टा लाइन के एक मोटे कील में जा फँसा। राज ने दुपट्टा और रजिया दोनों को अपनी ओर खींचा। दुपट्टा फटता हुआ अलग हुआ और रजिया राज की बाँहों से आ टकराई। इस प्रक्रिया में राज को इतनी जोर का धक्का लगा कि उस के पाँव उखड़ गए। दोनों वहीं गिर गए। जोर-जोर से विसल बजाती गाड़ी उन दोनों को रौंदती निकल गई।

दोनों के सिर-धड़ से अलग हो दूर जा गिरे। रजिया का सिर रेल लाइन के उस ओर जा गिरा था, जिस ओर राम नगर था। राज का सिर उस ओर गिरा, जिस ओर रहीम बस्ती थी। दोनों के चेहरे पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गए थे। दोनों के बुरी तरह जख्मी जिस्मों से बह रहे लहू का रंग एक जैसा लाल था। पटरी के दोनों ओर इकट्ठी भीड़ सकते में थी। क्या वह दोनों राम नगर के थे या रहीम बस्ती के? कुछ पता नहीं चल रहा था।

बस एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह खुदकुशी नहीं, बल्कि दुर्घटना का मामला था।

❑

उमाकांत खुबालकर

महाराष्ट्र की महिलाओं के सामाजिक सरोकार

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यह कहा जाता है कि जिस देश में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं? अर्थात् हमारी उद्दात्त संस्कृति में नारी का स्थान सबसे ऊँचा है जबकि भारतीय संविधान में तो स्त्री-पुरुषों के अधिकारों में समानता की बात कही गई है। ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही है। नारी चाहे आदिकाल की हो या वर्तमान काल की, उसे अपने अस्तित्व के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसके बावजूद उसका शोषण कई स्तरों पर आज भी जारी है? बदलते समय के साथ, नारी का चेहरा-मोहरा, तेवर, मानसिकता में प्रतिक्रियावादी परिवर्तन आ रहे हैं। परंपरागत छवि तोड़कर लक्ष्मण रेखाओं से बाहर निकलने के लिए वह प्रतिबद्ध है तथा वह अपने सामाजिक कर्त्तव्यों, दायित्वों के साथ अधिकारों के प्रति मुखर हो उठी है।

प्रस्तुत विषय के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र में घटित कुछ घटनाओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। देश के मानचित्र में महाराष्ट्र की भूमि ऐसी विलक्षण रही है, जहाँ आज़ादी के पूर्व से ही शिक्षा, कला, संस्कृति, राजनीति, उद्योग, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, उनमें नारियों का प्रमुखता से योगदान रहा है चाहे वह पढ़े-लिखे तबके से ही हो या निरक्षर, उनमें समाज की जर्जरित परंपराओं, कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध शंखनाद करने, जूझने की आक्रामकता देखी गई है। आज़ादी के पूर्व देश के सभी प्रांतों में जाति-भेद, अस्पृश्यता (छुआछूत), सती प्रथा का ज़ोर रहा है। मराठी कवयित्री सावित्री बाई फुले ने (1831-1887) भारत में पहली बार अस्पृश्य लड़कियों के लिए स्वतंत्र रूप से स्कूल खोलने का दुस्साहस किया था जबकि उस जमाने में अछूत लड़कियों की शिक्षा को सामाजिक रूप से 'पाप' की संज्ञा दी जाती थी। तथाकथित उच्च वर्ण के लोग उन पर गंदगी गोबर इत्यादि फेंकते थे। पत्थर मारते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में सामाजिक क्राँति के अग्रदूत माने जाते थे। आज पुणे विश्वविद्यालय का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर किया गया है। इस तरह सावित्री बाई फुले ने पति के साथ रहकर, दलितों के उद्धार के लिए सक्रिय अभियान चलाया था 'जबकि दलितों को शिक्षा का अधिकार भी नहीं दिया गया था। मंदिरों में प्रवेश पर पाबंदी थी। इसी कड़ी में सन् 1858 में जन्मी पंडिता रमाबाई रानाडे ने महिलाओं के उत्थान के लिए जमकर कार्य किया। जाति प्रथा के विरोध में स्वयं स्वर्ण होकर ग़ैर-ब्राह्मण से विवाह किया। इंग्लैंड की यात्रा के साथ-साथ 1881 में 'आर्य महिला' सभा की स्थापना की।

इसी परिप्रेक्ष्य में डॉ. मंदाकिनी देशपांडे (डॉ. प्रकाश आप्टे की पत्नी) अपने पति के साथ 'आनंदवन' में कुष्ठ रोगियों की सेवा -- सुश्रूषा में पूरा जीवन बीता रही है।

पद्मविभूषण व गाँधीवादी विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, निर्मला देश पांडे (जन्म 1929) ने समग्र जीवन आदिवासी उत्थान में बिताया। यह लगभग छठे-सातवें दशक की बात होगी? महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य प्रदेशों में लड़की की शादी के लिए दहेज की मुँह माँगी रकम न चुका पाने के कारण परिवार के ज़िम्मेदार सदस्यों/पीड़िता लड़की द्वारा आत्मघात की दुर्घटनाएँ निरंतर बढ़ती जा रही थी। विवाह न होने क कारण लड़की तथा उनके अभिभावक घोर निराशा में जी रहे थे। समाज में एक विचित्र संत्रास एवं हताशा फैल रही थी। तब सुशिक्षित ब्राह्मण परिवार की युवतियों ने समकक्ष सुयोग्य विदेशी युवाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का सुनिश्चय किया। परिणामस्वरूप विदेशी युवकों ने दहेज की माँग भी नहीं की। लड़की के अभिभावकों ने पहले इसका विरोध किया। विधर्मी लोगों के साथ ब्याह करने की बात कुछ उपयुक्त नहीं लग रही थी परंतु घुट-घुटकर मरने के बजाय नए क्राँतिकारी रास्ते पर चलने का विकल्प सबको भाया। इस तरह सैकड़ों शादियाँ संपन्न हुईं। बिना दहेज के मनोवांछित वर भी प्राप्त हुए। इस तरह पुणे की नारियों ने एक अभिनव सामाजिक प्रयास को जन्म दिया।

इसी तरह सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई मृणाल गोरे (जन्म 24 जून, 1928 तथा मृत्यु 17 जुलाई, 2012) भारत के इतिहास में 'पानी वाली बाई' के नाम से विख्यात हुई थी। मुंबई के उपनगर गोरे गाँव में पीने के पानी की विकराल समस्या थी। अपने आंदोलन के जरिए महाराष्ट्र सरकार को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्षों तक जन-आंदोलन का नेतृत्व, अहिल्या रागंणेकर तथा प्रमिला दंडवते के साथ मिलकर किया। अपने जीवनकाल में छह बार लोक सभा सांसद चुनी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें केबिनेट में 'स्वास्थ्य मंत्री' का पद देना चाहा परंतु उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में

रहकर सेवा करना ज़्यादा उपयुक्त समझा।

पुणे शहर को आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारों का गढ़ माना जाता है। कई नव्यतम वैचारिक आंदोलनों की शुरुआत भी यहीं से हुई है। पुरुष-प्रधान समाज की सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाली कई क्रांतिधर्मी महिलाएँ उनके कार्यक्षेत्र में चुनौती बनकर उभरी हैं। अब देखिए 41 वर्षीय प्रज्ञा पाटील ने महिला पुजारी का नया अवतार धारण किया है। ये पुरुष पुजारियों की तरह ब्याह-शादी उपनयन (मुंज) संस्कार, अंत्येष्टि विधि संस्कार शास्त्रोक्त पद्धति से संपन्न कराती है। समाज सुधार के अनेक आयामों से जुड़ी हुई प्रज्ञा पाटील पुणे में 'ध्यान प्रबोधिनी केंद्र' चलाती है जिसमें 20 से ज़्यादा महिलाएँ प्रशिक्षित हो चुकी हैं। यह कोर्स एक वर्ष की अवधि का है जिसमें सभी हिंदू जातियों के प्रशिक्षार्थी धार्मिक विधि के प्रशिक्षण के लिए आते हैं। प्रज्ञा पाटील बताती है कि पुरुष समाज को हमारा यह वर्चस्व स्वीकार नहीं है जबकि यह किसी की बपौती नहीं है। यह एक रोज़गार का साधन भी है। गाँवों के लोग हमें स्वीकारते नहीं हैं परंतु शहरों में 25 प्रतिशत वर्ग हमारा विरोध करते हैं। एक बात और जो कर्मकांडी पुरोहित पाँच घंटे में कोई निर्धारित पूजन विधि निबटाते हैं हम एक घंटे में विधिपूर्वक पूजन निबटा सकते हैं। चूँकि महानगरों में समय बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है जिसके लिए जीवन के सारे समीकरण बदल जाते हैं।

विगत 26 जनवरी, 2016 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता (31 वर्षीय) तृप्ति देसाई अपनी सौ महिलाओं के दल समेट (पश्चिमी महाराष्ट्र) के शनि शिंगणापुर मंदिर के पास पहुँची। इस घटना ने पूरे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्हें मंदिर के अहाते में प्रवेश की अनुमति तो मिली परंतु शनि प्रतिमा के पूजन का अधिकार नहीं दिया गया। उनका शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। तृप्ति देसाई मीडिया से कहती है कि यह धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि समता के अधिकार के लिए संघर्ष है। मेरा यह विश्वास है कि भारतीय नारी के क़दम रुके ज़रूर हैं परंतु अधिकार पाने के लिए थके नहीं हैं क्योंकि आज या कल उसकी उद्देश्यपूर्ण यात्रा मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगी।

❑

डॉ विभा नायक

यौनकर्मी महिलाओं के साक्षात्कार

यौनकर्मी महिलाओं का साक्षात्कार मेरे लिए सहज बात नहीं थी। कारण मैंने सुना था कि जहाँ ये महिलाएँ रहती हैं, वह नितांत संवेदनशील क्षेत्र है। दिन-दोपहर में ही वहाँ से लड़कियों का अगवा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। देह के दलाल नई लड़कियों की फ़िराक में वहाँ घूमते देखे जा सकते हैं। पुलिस महकमे के एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ने खुद मुझे इस विषय में बताया था। ख़ैर, मुझे जाना तो था ही क्योंकि मैं जानती थी कि बिना इन महिलाओं से मिले, मेरा कार्य संपन्न होने से रहा। इसलिए साथ में दो महिला और एक पुरुष कांस्टेबल तथा अपने कुछ मित्रों के साथ जब मैंने दिल्ली के ख़्यात जीबी रोड स्थित उस बस्ती में प्रवेश किया, तो मेरे लिए यह एक नया ही अनुभव था। संकरी गली के किनारे चाय वाले की दुकान और उसके पास खड़े बीड़ी पीते कुछ लोग... निगाहों में अजीब-सा पैनापन लिए हमें घूर रहे थे।

यूँ तो यह गली-शहर की तमाम गलियों के समान ही सामान्य थी किंतु ऊपर खिड़कियों से झाँकतीं, अपने ग्राहकों को रिझातीं सस्ते भड़कीले कपड़ों में सजी, बेरंग चेहरे और गहरे मेकअप में पुती हुई महिलाएँ हमें इस गली के कुछ ख़ास होने का संकेत दे रही थीं। दिल्ली का जीबी रोड या स्वामी श्रद्धानंद मार्ग। दिल्ली में यौनकर्मी महिलाओं की बस्ती, हम सही जगह पहुँच चुके थे।

सबसे पहले हम 61 नंबर की कोठी में गए। इस वेश्यालय के विषय में माना जाता है कि यहाँ की यौनकर्मी महिलाएँ फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाली गोरी मेम की तरह हैं। बाद में पता पड़ा कि उस वेश्यालय में उत्तर पूर्व की युवा लड़कियाँ थीं। उनकी गोरी त्वचा और टूटी-फूटी हिंदी लोगों को सहज ही उन्हें विदेशी समझ लेने का भ्रम गढ़ती थी।

... तो 61 नंबर... अंदर से ठीक-ठाक। दीवार पर एक फिल्मी हीरोइन का भड़काऊ

भंगिमा वाला पोस्टर लगा था। सामने एक तख़्त, जिस पर चार तकिया पड़ी हुई थीं। अंदर के कमरे की तरफ परदा पड़ा हुआ था। हमें देखते ही एक महिला मुस्कुराते हुए सामने आईं, वह उस वेश्यालय की मालकिन थी और दीदी कहलाती थी। उसने हमें मोढ़े पर बैठने का संकेत किया। अपनी उम्र 35 वर्ष बताने वाली चंदा नाम की उस महिला से हमारी कुछ इस प्रकार बातें हुईं --

हमारी टीम : आप कब से इस व्यवसाय में हैं?

चंदा : जनम से जी... जब से होश संभाला है यहीं हैं।

हमारी टीम : मतलब आप, आपका परिवार, घर के लोग...

चंदा : जी सब इसी में हैं और हम खुसी से करते हैं ये सब। हम बेड़नी हैं... हमारे यहाँ ये काम बुरा नहीं माना जाता। आदमी का सौक पूरा करने का ही काम करते हैं... जनम से... अगर हम लोग न हों तो भले घर की बेटियों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाए और बोलो मैडम जी।

हमारी टीम : और कितनी लड़कियाँ हैं यहाँ... क्या वो भी अपनी ही मर्ज़ी से आईं हैं, यहाँ?

चंदा : जी बिल्कुल अपनी मरजी से... दो-एक लड़कियों के घरवालों को नहीं पता पर बाकी सब जानते हैं कि लड़की सहर गई है, कमाई कर रही है तो कहाँ से कर रही है। मेरे यहाँ 12 लड़कियाँ हैं 8 को तो खुद उनके माँ-बाप या रिश्ते का कोई छोड़ के गया है।

हमारी टीम : एक दिन में कितने ग्राहक मिलते होंगे?

चंदा : जे तो मैडम समय की बात है फिर भी दो-चार तो रोज के ही आते हैं! इससे जादा भी आ जाते हैं।

हमारी टीम : यह काम अच्छा लगता है?

चंदा : मैडम जी अब आपकी तरह तो हम पढ़ी हैं नहीं... इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते... अब मैडम अच्छा तो नहीं लगता पर ठीक है, दो वक्त की रोटी का हिसाब हो जाता है।

हमारी टीम : बच्चे क्या करते हैं आपके?

चंदा : दो लड़के हैं, यहीं पास के स्कूल में जाते हैं -- पढ़ने।

हमारी टीम : बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है?

चंदा : डॉक्टर बनाऊँगी। मैडम अब हम हैं यहाँ तो मजबूरी है, मगर यहाँ आप किसी से भी पूछ लो सब अपने बेटों को इंजेनर, डॉक्टर बनाना चाहे।

हमारी टीम : और लड़कियों को?

चंदा : अब मैडम लड़कियाँ तो जबान हो इससे पहले ही गिराहक की नजर में आ जाती है। फिर धंधे की ठंडाई में तो सब अपनी बेटी ही करते हैं। मतलब लड़की तो यही की होती है। अच्छी रसम हो जाए तो... यहाँ तिरपन नंबर में लाख रुपए की हुई। अब बताओ लड़की को बाहर भेज के नुकसान मोल ले?

हमारी टीम : आपकी कोई बेटी नहीं है?

चंदा : नई जी हमारी नईं है।

हमारी टीम : आपके यहाँ कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है?

चंदा : हाँ, कर लेते हैं... पर गिराहक की मर्जी है... कई तो खुद ही बंदोबस्त करके आते हैं... नईं तो हमेशा तो नहीं होता... वो तो पता पड़ जाता है कि कौन बीमार है... (हँसते हुए) अब मैडम जी इस धंधे में जनम से हैं... छूने भर से जान जाते हैं कि कौन रोगी है... यहाँ कोई बीमार नहीं है... तभी तो सब यहीं आते हैं।

चंदा के साक्षात्कार से हमें यह महसूस हुआ जैसे वह इस प्रकार के साक्षात्कारों की अभ्यस्त है, यही कारण है कि एक रटी-रटाई शैली में उसने हमारे सवालों के जवाब दिए थे। हमने उसके यहाँ काम करने वाली लड़कियों से भी बात करने की इच्छा प्रकट की, मगर चंदा ने यह कहकर टाल दिया कि लड़कियाँ पास की दुकान पर खरीदारी करने गई हैं। हमारे साथ जो महिला कांस्टेबल थीं, उनमें से एक ने जब कहा कि बाकी लड़कियों को सामने क्यों नहीं लाती तो अंदर वाले कमरे की ओर इशारा करके वह बोली... साहेब हमारी क्या औकात जो लड़कियों को छिपाएँ... आप खुद ही जाकर देख लो अंदर!

सच जो भी हो मगर *फ़र्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाली गोरी मेम* जैसी लड़कियों से हमारी बात नहीं हो पाई। हालाँकि हमारे स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई थी। बहुत मना करने पर भी हमें वहाँ चाय का प्याला खाली करना ही पड़ा था। ख़ैर...!

इसके बाद हम 34 नबंर की कोठी में गए। यह कोठी 61 नंबर से उलट तो नहीं थी पर इसे देखने से किसी मध्यमवर्गीय घर का आभास हो रहा था। कमरे में सामने अकई का 42 इंची टीवी रखा हुआ था। बेंत की दो कुर्सियाँ भी रखी हुई थीं, जिन पर फिल्मी अभिनेत्रियों की पत्रिका के कुछ कटे हुए पन्ने रखे थे। परदे से झाँकते अंदर वाले कमरे में ज़मीन पर दो बिस्तर बिछे हुए थे। निरंतर हिलता-डुलता पुरानी चादर का परदा उन बिस्तरों की सिकुड़न की गवाही देता था... यहाँ गौरन नाम की महिला से हमारी मुलाकात हुई। नट समुदाय की गौरन साँवले रंग की थी और उसकी उम्र क़रीब 28 वर्ष थी। उससे हमने कुछ इस प्रकार की बात की --

हमारी टीम : यहाँ कब से हो?

गौरन : अब तो बहुत टैम हो गया मैडम जी... हो गए होंगे 15-20 साल।

हमारी टीम : कहाँ की रहने वाली हो?

गौरन : जयपुर के पास गाँव है, वहीं से हूँ। घर में बाप है, भाई है, भाभी है। दो भतीजे हैं।

हमारी टीम : क्या अपने भाई के समान शादी कर तुम्हारा भी मन अपना घर बसाने का नहीं करता?

गौरन : भाई आदमी है। आदमी से बंस चलता है। औरत क्या करे है? हमारे हियाँ तो... औरत होने का करज तो चुकाना ही पड़े है मेमसाब और हमारा परिबार इतना अमीर नहीं था कि सादी का खरच उठा पाता। फिर हमारे हियाँ तो सबके घरों की लड़कियाँ करें हैं ये सब। पहली तो खास तौर से औ जादा गरीब हो तो सब करती हैं। अब भाभी के हियाँ उनकी दोनों बड़ी भैंने करें हैं जे काम।

हमारी टीम : यह सब करना अच्छा लगता है?

गौरन : अच्छा-बुरा के मेम साब। जब 8 बरस की थी तब से कर रही हूँ, हमारे हियाँ तो सब करें हैं जे काम। अब आप हो। आप लोगन के हियाँ जैसे सादी जरूरी होती है, आप मना न कर सको करनी ही पड़े है, बैसई हमारे हियाँ लड़कियन के लिए जे काम जरूरी है।

हमारी टीम : यहाँ कैसे आई तुम?

गौरन : म्हारे ख़ास मामा का लड़का बेच गया था। तब 8-9 की रही होऊँगी। तब से हँई हूँ। जब सीजन डान हो तब चली जाते हैं। तब उस जमाने में 5000 की बोली लगी थी मेरी और अब नई लड़कियाँ 3000 में बिक रही हैं।

हमारी टीम : अब क्या बदलाव आया है?

गौरन : अब जेई तो है बदलाव। अब इतना पैसा कोई न दै। तब 5000 अब के 10000 के बराबर और मिल रहे हैं तीन हजार। जे भी है कि जो हम जैसे धंधे बाले लोग हैं... नट, कंजर, खाँसी बे तो सोच समझ कर लड़की बेचते हैं तो अच्छी कीमत भी उन्हें मिल जाबे है। पर जो धंधेबाज नई हैं उन्हें तो लड़की बेचने से मतलब तीन हजार मिले बे भी भोत हैं, उतने भी न मिलते तो भी लड़की से तो छुटकारा मिला।

हमारी टीम : तुम्हारी भाभी भी करती है ये सब काम?

गौरन : न! भाभी घर सँभाले कि काम करे। बहुत परदा होवे है घर की बहुअन का। हमारे हियाँ बहू को काट डाले हैं जो अपने मरद को छोड़ दूसरे के साथ करै।

हमारी टीम : घर की बेटी और बहू में इतना फ़र्क क्यों?

गौरन : अब जो आदमी कहैं। हम तो मेम साब जी देखो कछू जाने ना। पर ठीक है। जो नियम चले आ रहे हैं सो निभाने ही पड़े हैं।

हमारी टीम : कितने बच्चे हैं तुम्हारे?

गौरन : तीन लड़कीं हैं एक लड़का। तीनों की नथ उतराई हो गई 10000 में। पाँच हजार भाई को भेज दिए अब हियाँ का भी तो खर्चा है।

हमारी टीम : लड़कियों की उम्र क्या थी?

गौरन : छोटी बाली 5 की थी, बाकी दोनों 9 और 10 साल की थीं। बहुत माँग थी इनकी। उमर कम हो तो दाम अच्छे मिल जाते हैं।

हमारी टीम : 10000 अच्छी क़ीमत है?

गौरन : अब बहुत अच्छी तो ना कै सकें, पर ठीक है। एक पाल्टी 5000 में तीनउ की बात कर रई थी। मैंने तो साफ मना कर दिया कि 10 हजार से एक टका कम न लूँगी। फिर और जादा माँग करो तो कुछ भी न मिलै। एक हिसाब से ठीक है। मैम साब कईयों की तो ढाई सौ में हुई है नथ उतराई, अब बताओ।

हमारी टीम : बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे?

गौरन : लड़का हँई है। मेरे पास। गिराहक लाता है। एक लड़की खतम हो गई पिछले साल। मुआँ *...*..... गिराहक...खतम हो गई। (आँचल से आँखें रगड़ते हुए)

हमारी टीम : क्या हुआ था लड़की को?

गौरन : 'टीबी हो गई थी... गिराहक ने बिना पूछे गलत काम किया था उसके साथ... फिर... बच न सकी छोरी।

हमारी टीम : पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई?

गौरन : पुलिस... मैडम हमारी तो कोई ना सुनता... ये पुलिस तो बस आप बड़े लोगन की है... हमारी का औकात... ...

पुलिस महकमे के लोगों के सामने इस प्रकार की बात हुई जिसे सुनकर साथ के सदस्य मुस्कुरा रहे थे। संभवतः एक सच वह भी था जो गौरन ने हमें बताया था। गौरन से बातचीत हमारे लिए बहुत महत्त्व की साबित हुई। यहाँ हमें वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं की संस्कृति के बारे कुछ और जानने को मिला। स्त्री शोषण और वस्तुकरण तो ख़ैर इस व्यवसाय का मूल धर्म ही है किंतु गौरन से बातचीत के दौरान हमे अनुभव हुआ कि यौनकर्मी समुदायों से संबद्ध महिलाएँ प्रायः देह व्यापार के लिए मानसिक रूप से जन्म से ही तैयार होती हैं, किंतु वे महिलाएँ जिन्हें उनके तथाकथित परिजन देह की मंडी में बेच देते हैं, उनके लिए इस व्यवसाय का आरंभिक चरण बेहद त्रासद होता है। पश्चात् तो वे इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर ही लेती हैं।

गौरन के बाद हमने जिस यौनकर्मी महिला का साक्षात्कार किया, उसका नाम बिंदी था। 42 नंबर की कोठी में रहने वाली बिंदी के विषय में हमारे साथ चल रही एक महिला पुलिस कर्मी ने हमें बताया कि यह कंजर समुदाय की है और हर महीने अपने परिवार को 1500 से 2000 रुपए भेजती है। बिंदी ने हमें अपनी उम्र 30 वर्ष बताई। उससे हमने निम्नलिखित सवाल पूंछे --

हमारी टीम : बिंदी यहाँ एक दिन की कितनी कमाई हो जाती है?

बिंदी : कमाई तो कुछ ना होवे... सीजन की बात है... तब तो दिन के 1200 भी मिल जाते हैं। बिना सीजन के तो डेढ़ सौ-दो सौ भी बड़े हैं... ... सीजन मतबल तौहार दिबाली, होली पै तो खूब गिराहक मिलते हैं।

हमारी टीम : यहाँ एक लड़की की सबसे ज़्यादा क़ीमत कब होती है?

बिंदी : मैडम जे तो जानी बात है कि लड़की छुई न हो। जब छू गई हो तो फिर तो धीरे-धीरे कम ही होवे हैं पैसे।

हमारी टीम : फिर भी कुछ उम्र का तो हिसाब होगा?

बिंदी : उमिर का के हिसाब मैडम जी... आप तो पढ़ी-लिखी हो... आपको ना पता कि मरद को सरीर चाहिए... उमिर का के हिसाब... अब छोटी लड़की 12 की है... करती है ये सब काम... उसके नाम पे रोज सात-आठ गिराहक आते हैं और सब आते हैं... एक से एक बुढ्ढे और एक से एक जबान भी। अब जे तो सच है ही लड़कपन की उमिर को तो पसंद करे ही हैं।

हमारी टीम : ग्राहकों में कैसे लोग होते हैं?

बिंदी : सब आते हैं मैडम। आप सोचती होंगी कि गुंडे-मवाली ही आते हैं यहाँ तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर, बकील सब आते हैं। एक तो अमरीका में रह चुका है, तीन साल मगर यहाँ आता है। डॉक्टर है... सब आते हैं...

हमारी टीम : मगर समाज उनको बुरा नहीं कहता, आपको और आपके धंधे को बुरा कहता है, दुख नहीं होता ये सब देख-सुन कर?

बिंदी : मैडम इज्जत जो आप कहती हो न, वो बड़े आदमियन की चीज़ है और बड़े आदमी जो भी करें उनकी इज्जत नईं जाती। हम लोगन की तो इज्जत होती ही नहीं। जैसे बड़े लोगन के लिए इज्जत होती है, बैसई हमारे लिए भूक होती है। बड़े लोग इज्जत के लिए काम करते हैं हम बई दो रोटी के लिए करते हैं।... अच्छा बुरा सोचन की उमिर निकल गई मैडम जी। अब तो बस येई ध्यान में आता है कि बच्चन का पेट भरा रए।

हमारी टीम : बुर्जुग भी आते हैं?

बिंदी : मैडम आपको ना पता... बजुर्गन को जादा जबानी चढ़ै है... बेटी का ना पसंद पर का कर सके हैं धंधा तो करना ही है नहीं ते रोटी कहाँ से खाएँगे? औ फिर हमार लिए तो गिराहक भगवान है बुर्जुग हो या जबान हो। रोटी मिलती है इनसे हमें।

बिंदी के साक्षात्कार के बाद मैंने यह महसूस किया कि ये महिलाएँ भले ही अपनी देह बेचने के कारण एक ख़ास प्रकार के परिवेश में ढल चुकी हों किंतु फिर भी ये माँ होने का धर्म निभा रही हैं, पूरी तरह से। इनका अपना जीवन जो रहा सो रहा किंतु अब ये जो भी कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। समाज इनसे घृणा करता है तो करे, इन्हें भी उससे कोई मतलब नहीं किंतु इनके बच्चे रात को भूखे पेट न सोएँ, यह इनकी चिंता का विषय है। यहाँ आने वाले पुरुष तो अपने परिवार को धोखे में रखकर काम-परितुष्टि करते हैं किंतु ये महिलाएँ जो भी करती हैं, अपने परिवार का पेट भरने के लिए करती हैं। भले ही उसके लिए इनकी देह एक वस्तु ही क्यों न बन जाए। किंतु समाज के ठेकेदारों के पास इनके विषय में सोचने का वक्त ही कहाँ है, उसके लिए तो ये केवल देह बेचने वाली यौनकर्मी महिलाएँ हैं, जिनकी कोई इज्ज़त नहीं।

बिंदी, गौरन और चंदा के साक्षात्कार के बाद हमने कुछ कम उम्र की युवतियों से भी बात की। उनसे हमने ख़ास तौर से सुरक्षित यौन-संबधों के विषय में बात की। कोठी नं 46 में हमारी इनसे बात हुई। हमने इनसे कंडोम के प्रयोग के विषय में बात की, जिसके बारे में हमें इनके कुछ इस प्रकार के जवाब प्राप्त हुए --

1. **(मंगली, उम्र 26 साल) :** मैडम जी, जब रोटी की आ पड़ती है तो सारी सुरक्षाएँ धरी की धरी रह जाती हैं। कई गिराहक कंडोम के साथ पसंद करते हैं तो कई बिना कंडोम के। यहाँ तो हम सब अपने पैसों से ही खरीदती हैं सरकार से हमें जो कंडोम दी जाती है, वो अच्छी नहीं होती। वो अक्सर फट जाती है और उससे हमें जलन होती है और बीमारियों का डर लगा रहता है।

2. **(अंजुम, उम्र 25 साल) :** हमारी मालकिन बहुत गुस्साती थी। सुरू में कभी नहीं इस्तेमाल की फिर आपकी ही तरह कुछ मैडम आई थीं, उन्होंने हमें बाँटी थीं, मुफ्त में। अब तो सब करती हैं। हमारे यहाँ भी करते हैं। लेकिन कई बार बिना कंडोम के भी करना पड़ता है। नई लड़की को तो सब बिना कंडोम के ही पसंद करते हैं। यहाँ जितनी हैं सबने पहले बिना कंडोम के ही काम किया क्योंकि पता ही नहीं होता उन्हें... फिर मालकिन की बात भी तो माननी पड़ती है।

3. **(कली, उम्र 38 साल) :** जी मैडम जी, एक बात बताओ, जब एक दिन की मजूरी 50 रूपए मिलती है तो गिराहक मान भी जाए, तो भी हम न खरीदे और फिरी

मैं भी मिले तो भी न लगाएँ। एक उमिर के बाद यहाँ कोई मनमानी नहीं चलती। सब गिराहक नई लड़कियों के पास जाते हैं। उनके साथ कंडोम बिना कंडोम सब चलता है मगर जब हमारे पास कई बार जब एक भी गिराहक नहीं आता तो फिर कंडोम-फंडोम को कोई नहीं पूँछता। मुश्किल से आया गिराहक को ज़रा भी कुछ लगे तो सीधे दूसरी दुकान पर। और फिर ऐसा नहीं है। हम भी ध्यान रखते हैं छोटी बेटी तो बराबर लगाती है। औ... फिर गिराहक को छू के पता पड़ जाता है। गिराहक अगर फटकरी और नींबू के रस सूखे हाथों से झन्ना जाए तो समझो बीमारी पाले है, नई तो ठीक है। कंडोम तो आज के नुक्से हैं, हम तो बहुत पैले से जाने हैं कि बीमारी से कैसे बचै। नई त अब तक जिंदा होते? फिर मैडम जे भी है कि अब बच्चों का पेट भी तो भरना है कुछ और तो बस की बात है नईं।

4. **(सुर्जी, उम्र 28 साल) :** मैडम जी जिसकी जितनी जिंदगी होती है, इंसान उतना ही जीता है। अब यहाँ रहते-रहते पता लग जाता है कि कौन गिराहक को बीमारी है। गिराहकों से ही रोटी चलती है, तो मना तो नहीं कर सकते पर उनसे कह देते हैं कि बिना उसके काम नहीं हो सकता। आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं।

5. **(हीरा, उम्र 24 साल) :** हमेशा तो नई इस्तेमाल करते। नए लड़कों को कोई समस्या नहीं होती, पर बुढ़ाते ग्राहक बिना कंडोम के ही पसंद करते हैं। नए लड़के तो बल्कि खुद ही लेकर आते हैं।

6. **(जाह्नवी, उम्र 23 साल) :** जब कोई दे जाता है तो कर लेते हैं। अपने-आप तो हमने कभी नहीं खरीदी। मैडमें अक्सर आती रहती हैं यहाँ पर और फ्री में देकर जाती हैं। अभी भी 4-5 पड़ी हैं।

7. **(अंशी, उम्र 18 साल) :** पिछले पाँच साल से हूँ मैडम यहाँ। पहले हमारी मालकिन बहुत मारती थी, पर अब तो ग्राहक खुद ही तैयारी से आते हैं। शुरू में तो बिना इसके ही काम होता था, हमें कुछ पता ही नहीं था, मालकिन कहती थी कि गिराहक जो कहे सो करो। फिर बाद में तो करते हैं।

हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अधेड़ उम्र की महिलाओं की बात तो अलग यहाँ तो युवतियाँ भी कंडोम का इस्तेमाल नहीं करतीं। जब हमने इसके दुष्प्रभावों के विषय में इनसे चर्चा की इन महिलाओं ने भी स्वास्थ्य से पहले अपने बच्चों की भूख को तरजीह दी। जिनके बच्चे नहीं थे, वे अधिकाधिक ग्राहक खींचने की धुन में कंडोम का इस्तेमाल नहीं करतीं। हमें यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि सरकार और स्वयं सेवी संगठनों के इतने प्रचार के बावजूद भी लोग असुरक्षित यौन-संबंधों से समाज को दूषित कर रहे हैं।

इन महिलाओं से हमने देह उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की। जब हमने पूछा कि इस व्यवसाय में आना उनका व्यक्तिगत निर्णय था या फिर जैसा कि आमतौर होता है, उन्हें किसी दलाल के माध्यम से यहाँ लाया गया तो इस पर इन युवतियों के जवाब कुछ इस प्रकार थे --

अंशी : मैडम चौथी क्लास तक पढ़ी हूँ। फिर एक बार बहुत बीमार पड़ी तो बापू ने स्कूल छुड़वा दिया। मैडम जब 13 साल की थी तो अपने ही गाँव के एक लड़के से मेरा प्रेम हो गया। उसने शादी का वादा करके मुझसे शारीरिक संबंध बनाए। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं सोचती थी कि इससे तो मेरी शादी हो जाएगी, तो क्या बुरा है। मैं माँ बनने वाली थी, घर में किसी को पता नहीं था, इसलिए जब मैंने उससे कहा कि बापू से हाथ माँग लो तो, उसने कहा कि हम भाग चलते हैं, शहर में ही अपना घर बनाएँगे। तुम अपने साथ कुछ पैसे ले लो। मैडम जी बचपन से मिट्टी की गुल्लक में पैसे डालती थी, वही गुल्लक तोड़कर उसके साथ भाग आई और वो मुझे यहाँ बेचकर चला गया। अब तो पाँच साल हो गए।... माँ-बाप से भी नाता खतम। अब तो बस यही ज़िंदगी है।

जाह्नवी : हम आठवीं तक पढ़े हैं। मतलब नौमी फेल हैं। ये काम तो हमारे यहाँ शुरू से ही होता है। मैं और हीरा दोनों सगी बहनें हैं और साथ ही यहाँ आई हैं। हमारे गाँव की बहुत लड़कियाँ यहाँ हैं। अभी कुछ टैम पहले तक हमारी बुआ भी यहीं थीं, उनकी तबियत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो वापस लौट गईं।

सुर्जी : मैडम हम तो अपनी इच्छा से आए हैं। 10 साल की उमिर से घरों में काम कर रहे थे। पर कुछ गुज़ारा हो नहीं पाता था, फिर इस कोठी की मालकिन एक दिन मिली तो उसने बताया कि इस काम में जादा पैसा है और ठीक है। तो मैं फिर आ गई। मैडम बहुत अच्छी हैं।

मंगली : हमारी सौतेली माँ बेच गई थी यहाँ, 3000 में। माँ मर गई तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब उसे तो अपना परिवार ही चाहिए, हमें रखकर क्या करती? हमने भी उन्हें मरा मान लिया। अब तो यही सब हमारा परिवार हैं।

कली : मैडम जी तीन बेटियाँ हैं। उनका पेट भरने के लिए आई हूँ। जब आदमी कमा कर नई खिलाएगा तो बच्चे कैसे पलेंगे? जब अपने भूखे बच्चे मुँह ताकते हैं न तो लगता है कि बस प्राण दे दो... मर जाओ। इस काम ने तो मेरे बच्चों के मुँह में निवाला दिया है। इसलिए अब अच्छा-बुरा जो भी है, सो है। आपके कैने से हम यह सब छोड़ भी दें तो बताओ कि आप रुजगार दिलाओगी हमें? और जो रुजगार दिलाओगी, उससे बच्चों का पेट भर जाएगा? बताओ? अब मैडम जी जो भी है, ठीक है।

(क्रमशः अगले अंक में...)

Phone : 011-27491549
Mobile : 09899651272

Membership Form

Vidhi Bharati Parishad

BH-48 (Poorvi) Shalimar Bagh, Delhi-110088

No. ..... Dated .....

To
The General Secretary
Vidhi Bharati Parishad, Delhi-110088

Dear Sir/Madam,

Please enrol me as a member for the Vidhi Bharati Parishad. I am sending herewith cash/cheque/bank draft/money order as shown below :–

1.	Institutional Annual member	Rs. 500/–
2.	Institutional life member	Rs. 20,000/–
3.	Individual annual member	Rs. 450/–
4.	Individual life member	Rs. 4,000/–

Name .....
Educational Qualifications .....
Profession .....
Published Works (if any) .....
Address .....
.....
Phone Office : ..... **Resi :** .....
Mobile : ..... **E-mail :** .....

Yours faithfully

Note **:** Please send your subscription in the name of Vidhi Bharati Parishad Only. Outsiders please send Bank Draft/Money order Only.
Annual postal/courier charges for sending journal Rs. 50/- for Delhi and Rs. 100/- for Outside Delhi.